खण्ड-307, अंक-8
गुरूवार, 30 ज्येष्ठ, शक संवत् 1896
(20 जून, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 307 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, 20 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—381

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार मोहम्मद, श्री
अभिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
[illegible]न्द्र लाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री

कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी बिशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, [illegible]
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द्र, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद ोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरीशंकर (एडवोकेट), श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया—जिला आजमगढ़)।
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद ओस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दर्ला सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
ोप नारायन वन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दु धिन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रूखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उफ राजा जी)
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)

प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
काश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल व, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभो , श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीष्म, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूप सिंह केन, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मनखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मनखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ सत्तन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रफी उल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमा कान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजकिशोर तिवारी, श्री

राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम अौतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द, एडवोकेट
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि बेे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
बिमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)

शिव लाल, श्री,
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीम ी
श्री नारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य काश, श्री
सत्य काश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुख दा मिश्रा, श्रीमती
सुख राज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीम ी
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, ी (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
मोहन लाल घुसिया, ी
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरि राम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार 20 जून, 1974

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

जिलाधिकारियों की एक स्थान पर नियुक्ति की अवधि

**1—चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने जिला अधिकारी ऐसे हैं और किन-किन जिलों में जो अपने वर्तमान पदों पर 3 वर्ष या उससे अधिक समय से नियुक्त हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

ऐसा कोई जिला अधिकारी नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसमें जो सरकार ने निर्णय लिया था शायद वही अब भी कायम है कि कोई अधिकारी 3 वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रहे और आपने कह भी दिया कि ऐसा कोई अधिकारी नहीं है मैं यह जानना चाहता हूं कि 3 वर्ष की गणना आप 30 जून से करते हैं या 3 वर्ष मानते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, यह जिला अधिकारियों के बाबत है। प्रश्न सीमित है। मेरा अपना दृष्टिकोण यह कहता है कि साधारणतः सेन्सिटिव और नान-सेन्सिटिव दो प्रकार की पोस्टें होती है। तो सरकार को अपना खर्च जबरदस्ती बढ़ाना जरूरी नहीं है। जैसे कलेक्टर की पोस्ट है, पुलिस कप्तान की पोस्ट है तो इनको साधारणतः 3 साल तक रखते हैं। ये 3 साल अर्थात् 36 महीने 30 जून के पहले गिनेंगे।

तारांकित प्रश्न

*1-2--मोहन लाल कपूर--

[4थे बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न सं0 11-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला कानपुर, थाना मंगलपुर, ग्राम जलिहापुर में हुए कत्ल के सम्बन्ध में अभियुक्तों की गिरफ्तारियां

*3--चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के थाना मंगलपुर के अन्तर्गत वर्ष 1973 में जलिहापुर ग्राम में दो व्यक्तियों का कत्ल हुआ था जिसकी रिपोर्ट लिखाई गयी थी उनका नाम क्या है तथा क्या उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था जिसने कत्ल करना तसलीम किया था और उस कत्ल में शामिल अभियुक्तों के नाम भी पुलिस को बताये थे ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 931 पर।)

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उसने घटना के सम्बन्ध में किसी प्रकार का इकबाल किया है। उसके मुलिजमों के नाम और पता क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, उसने जो अपराधियों के नाम बताये हैं वे इस प्रकार हैं--मेघालाल पुत्र विपाती धोबी, सिंहपुर, 2--बन्ना उर्फ बनवारी, 3--नथुआ पुत्र मैकू, 4--मोती पुत्र अलम तथा 5--रतीराम पुत्र अर्जुन है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

हमने यह पूछा है कि वे कहां के रहने वाले हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, पहला एक सिंहपुर का है और शेष चार रसवल के रहने वाले हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

माननीय मुख्य मंत्री जी क्या बतायेंगे कि 4 अभियुक्तों का चालान किया गया है तो मेरी यह जानकारी है कि वे अपने-अपने निवास स्थानों पर क्यों रह रहे हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी उनको गिरफ्तार करने के लिये कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माननीय, जिनकी जमानत हो गई है वह जमानत पर छोड़े गये हैं । मैं उनको जेल में नहीं भेज सकता हूं । जिनको पकड़ कर जेल भेज दिया है उसके सिलसिले में यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उसका कहना है कि मैं उस समय जेल में बन्द था । कुछ अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध 87/88 की कार्यवाही जारी कर दी गई है । फरार व्यक्तियों की कुड़की कर नीलामी कर दिया गया है ।

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)--

87/88 की कार्यवाही कब हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह कार्यवाही 31-8-73 को हुई है ।

*4--श्री भीखा लाल--

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस लिया] ।

*5--कुंवर श्रीपाल सिंह--

[निरस्त]

*6--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[4थे बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*7--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा तथा चौधरी राम पाल सिंह यादव--

[निरस्त]

*8-9--श्री भीखा लाल--

[6ठे बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न 1-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*10--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[2रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*11--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[4थे बधवार के लिए तारांकित प्रश्न सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*12--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*13--श्री आशाराम यादव--

[4थे बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न सं0 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में जल विद्युत् एवं परमाणु शक्ति विद्युत् उत्पादन

*14--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विद्यत् उत्पादन की वर्षा पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए अन्य दूसरे उपायों द्वारा विद्युत् उत्पादन पर गम्भीरता से सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो विद्युत् उत्पादन के वे कौन नए उपाय हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रदेश में अधिक से अधिक विद्युत् उत्पादन के लिए समस्त श्रोतों को प्रयोग किया जा रहा है। वर्षा के अभाव के कारण जल विद्युत् के उत्पादन को पूर्णतः समाप्त तो नहीं किया जा सकता इसलिए जल विद्युत् योजनाओं के साथ-साथ कोयले तथा परमाणु शक्ति से विद्युत् उत्पादन की कई योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं एवं प्रस्तावित हैं। इन योजनाओं का ब्योरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 932 पर।)

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, पंचवर्षीय योजना में फलीभूत होने वाली कितनी योजनायें पूर्ण हो गई हैं और कितनी योजनाओं का कार्य प्रारम्भ हो गया है। नरौरा परमाणु विद्युत् उत्पादन केन्द्र के अलावा क्या और कोई परमाणु विद्युत् केन्द्र प्रदेश में विचाराधीन है या निर्माणाधीन है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यमुना स्टेज-2 में चिबरो की सितम्बर के महीने में पहली मशीन काम करना शुरू कर देगी और उसके डेढ़ महीने के बाद 3 और मशीनें यानी 240 मेगावाट बिजली की इसी साल शुरूआत हो जायगी। खोदरी में टनल का काम शुरू हो गया है। यमुना स्टेज-4 भाग-1 फरवरी 75 म, राम गंगा जुलाई 75 में, मनेरी माली भाग-1, अक्तूबर 78 में, ओबरा थर्मल एक्सटेंशन स्टेज-1 सन् 1974-75 तक यानी सितम्बर, 1974 तक काम करने लगेगी 100 मेगावाट है, ओबरा थर्मल एक्सटेंशन स्टेज-2 जून 1976, पनकी थर्मल एक्सटेंशन दिसम्बर, 1975 में आशा है, हरदुआगंज स्टेज 5 दिसम्बर, 1976। इन सब पर सिविल वर्क्स, टेंडर डिजाइन, टेक्नीकल सर्वे, आदि जो विभिन्न काम हैं वह सब पूरे हो गये हैं और हो रहे हैं।

जहां तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात है मनेरी माली भाग-2 प्रथम इकाई 1979 में—ऋषिकेश हरद्वार 79, ओवरा थर्मल इक्सटेंशन स्टेज-3 जून, 77 में, हरदुआगंज स्टेज 6 जून, 76 म, गोरखपुर थर्मल और परिच्छा थर्मल प्रथम इकाई यह अभी विचाराधीन है कमेटी के।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि नरोरा परमाणु विद्युत् गृह के अतिरिक्त और कोई परमाणु विद्युत् गृह बनने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जहां तक पानी से बिजली बनती है उसके अतिरिक्त जैसे ओबरा है, वहां पर उसकी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली नहीं बन रही है तो क्या सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि वह अपनी क्षमता के मुताबिक बिजली पैदा कर सके?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जहां तक क्षमता के अन्दर बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में मैं फिर दोहरा रहा हूं और फुल सेंस आफ रेंसपांसिबिलिटी से कह रहा हूं कि हमारी क्षमता 80.5 प्रतिशत है। हिन्दुस्तान में जो सबसे अच्छा टाटा का बिजली घर है वह भी 80 प्रतिशत पैदा करता है। उससे

ज्यादा वह भी नहीं देता क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी बिजली घर नहीं है तो बिजली बनाते समय खुद न खता हो। दूसरी बात कोयले की क्वालिटी का आता है। कोयला सिंगरौली से आता है। उसकी खुदान में एक सीम जो निकली है उसमें 50 प्रतिशत कोयला है और 50 प्रतिशत पत्थर है। हमारी जो ग्रिंडिग मशीन है उसकी क्षमता ऐसी नहीं है कि दुगना कोयला पीस सके इसलिए उसका असर ओबरा पर भी आयगा। मान्यवर, हमारे सदस्य को यह गलतफहमी है कि पानी का कोई संकट नहीं है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि रिहंड का पानी जो स्वयं के लिए कम है, उससे ओबरा का काम चलता रहे। कानपुर में मसीबत यह है कि गंगा हट रही है। हम एक बराज बना रहे हैं ताकि वह हटने न पावे इससे पीने के पानी का तो संकट आयेगा ही, साथ ही पावर का संकट रहेगा। पावर हाउस बिना पानी के चलता नहीं। एक भूल यह हुई है कि थर्मल के लिए सबसे बेहतरीन जगह मुगलसराय और बिहार के बीच में है ताकि कोयला वहां आसानी से आ सके साथ ही पानी भी है। मुगलसराय के ऊपर कोयला लाना बड़ा कष्ट का काम है।

गंगा के किनारे बड़ा थर्मल प्लान्ट बनाना चाहिये था। वहां पानी भी है। हम तो उनमें से हैं कि हम आपके सामने निवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आप कहेंगे हम सुनेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

पावर की टोटल कैपेसिटी कितनी है अपने सूबे में और उसमें थर्मल कितनी है और हाइडिल कितनी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, टोटल अधिष्ठापित क्षमता हाइडिल की 600.35 है। जो तापीय क्षमता है वह गस टरबाइन और प्राइवेट सेक्टर में बिड़ला का जो 125 मेगावाट का प्लान्ट है और छोट लाइसेन्सीज के 19.5 के हैं उन सबको मिलाकर 997.70 है।

चौधरी चरण सिंह—

थर्मल का 80 परसेंट आपने बतलाया था तो वह कितना है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो बिड़ला का है और छोटे लाइसेन्सीज का है उसको घटाकर बाकी हमारा है। उसको निकालने के लिए थोड़ा सा अर्थमेटिक लगाना पड़ेगा। 85.7 के करीब हमारा आता है।

चौधरी चरण सिंह—

हाइडिल का कितना है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नहरों और सूखे में है तो वह 30 परसेंट भी नहीं आ रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि बरसात होने वाली है तो इन चार महीनों में थर्मल पावर का ज्यादा स्तेमाल करें और पानी को बचाये रखें जिससे आने वाले दिनों म उसका इस्तेमाल हो सके?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

लोकपति त्रिपाठी और परिपूर्णानन्द जी जो बाहर हैं उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। अपने बजट भाषण में सारी बातों को समझाऊंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उनके अनुसार उचित स्थान मुगल-सराय और बिहार के बीच में होता। तो क्या सरकार के विचाराधीन कोई योजना है कि उस स्थान पर जिसको वह उपयुक्त समझते हैं वहां पर एक नया थर्मल पावर स्टेशन लगाया जाय और यदि हां, तो वह कितने मेगावाट का होगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैंने केन्द्रीय मन्त्री जी से प्रार्थना की थी। यह प्लान मेरे आने से पहले ही बन चुका था। इस प्लान में तो गुंजायश है नहीं। लेकिन मैं शिफ्टिंग के लिए भी तैयार हूं। उन्हें हमने सलाह दी है कि अगर हमें इजाजत दें तो 1 हजार मेगावाट का पावर स्टेशन लगा सकें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह अपनी स्टेट में ही होगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मनेरी माली और ऋषिकेश हरिद्वार की क्या क्षमता होगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मनेरी माली की प्रथम इकाई की 52 मैगावाट की और ऋषिकेश हरिद्वार की 36/36 की होगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जितनी योजनायें पांचवीं योजना में पूर्ण होने वाली हैं तो क्या उनके पूर्ण होने पर प्रदेश बिजली के मामले में आत्म निर्भर हो जायेगा और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास कोयले और पानी की समस्या है तो परिमाण विद्युत् केन्द्र बनाने में क्या कठिनाई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, सरकार को कोई कठिनाई नहीं है, देश को कठिनाई है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं मिला।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं अपने नवयुवक माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह संसार के बिजली के मप को देखें। जो देश जिस वक्त आगे बढ़ता है, जब तक वह अपनी पूरी तरक्की की आखिरी सीमा पर नहीं आ जाता, तब तक वह अपनी पूरी कमी को पूरा नहीं कर सकता। यही बात उत्तर प्रदेश के लिए भी है। उत्तर प्रदेश इतनी तेजी से काम कर रहा है कि कितनी भी तेजी से काम करे, तरक्की की आखिरी हद तक पहुंचने में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। वह कमी इस बात का द्योतक होगी कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश में आई ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत--

*15--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नियुक्त वर्तमान आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों की संख्या कितनी है ? उनमें अनुसूचित जाति के कितने अधिकारी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्रदेश में नियुक्त वर्तमान आई०ए०एस० अधिकारियों की कुल संख्या 318 है जिसमें 38 अधिकारी अनुसूचित जाति के है तथा पी०सी०एस० अधिकारियों की कुल संख्या 647 है जिनमें से 82 अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जब प्रदेश में या देश में हरिजनों को यह सुविधा दी गयी है कि उन्हें 18 प्रतिशत नौकरियां दी जायेंगी और हमारी सरकार ने इस नियम को पालन भी किया है और 50 प्रतिशत तक नौकरियां दी हैं, तो क्या मख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि इन नौकरियों (आई०ए०एस० और पी०सी०एस०) में 18 प्रतिशत नियुक्ति क्यों नहीं की गई !

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, बात यह है कि सन् 1947 में जिस दिन स्वराज्य आया, उसके पहले आरक्षण नहीं था। उस वक्त आई०एस०ए० उत्तर प्रदेश में 190 लिये गये। 1954 से पहली बार आरक्षण आया। जो 1947 से 54 तक भर्तियां हुयीं, उसको देखते हुए वे पूरी नहीं भरी गयीं। लेकिन 1954 के बाद साढ़े बारह प्रतिशत जगहें मिलती रहीं और उस हिसाब से देखेंगे कि उसमें कमी नहीं है। पी०सी०एस० में कुछ कमी जरूर है। इसलिए हमने कुछ निर्णय मार्च में लिया। निर्णय इस प्रकार है :--इसमें 75 प्रतिशत पी०सी०एस० डाइरेक्ट रिक्रूट होते है और 25 प्रतिशत तहसीलदार से प्रमोशन होता है। अभी तक डिप्टी कलेक्टर्स के पद में रिजर्वेशन डाइरेक्ट रिक्रूट के लिए तो था लेकिन प्रमोटीज आफिसर्स के लिए नहीं था। हमने निर्णय लिया है कि प्रमोटीज आफिसर्स के लिए 18 प्रतिशत रिजर्वेशन हो और इस हिसाब से जो कमी है वह जल्द से जल्द पूरी हो सकेगी।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह हरिजन शब्द बड़ा व्यापक है और उससे मेहतर, धोबी और गूजर आदि को यह गिनते हैं उनके लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो ब्योरे का प्रश्न हो गया। अलग से पूंछ सकते हैं।

श्री शिवचरन लाल--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दें। एक-आध तो भर्ती हुए ही होंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, इसमें कोई अनुसूचित को छोड़कर दूसरे आदमी नहीं लिये जाते।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के शासनादेश जारी होने के पश्चात् कितने हरिजन अधिकारी प्रमोट हुए ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य तो मंत्री रह चुके हैं । उनको जानना चाहिये कि आई० ए० एस० में हमारी हैसियत नहीं कि हम कुछ बढा सकें । वहां आई०ए० एस० के लिये साढे-बारह फीसदी है, हरिजनों के लिये । रही पी०सी०एस० की बात, तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्च में जो निर्णय हुआ है, उसके अनुसार 18 प्रतिशत प्रमोटीज आफिसर्स के लिए रिजरवेशन किया है । उसके बाद भर्ती नहीं हुयी । अभी 182 जगहें बाकी हैं । जब इनकी भरती होगी, तब आप देखें कि वे आये कि नहीं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पी०सी०एस० की भर्ती होगी तो जब नयी भर्तियों में हरिजनों को स्थान देंगे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित बंधुओं के अतिरिक्त जो और लोग हैं जैसे, मेहतर, धोबी, धानुक आदि जातियां हैं, उनको भी उनकी आबादी के लिहाज से प्रतिनिधित्व मिले, ऐसे कदम माननीय मुख्य मंत्री जी उठायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, संविधान को बदलने का प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष अपनी पार्टी से कहें दिल्ली में रख दें तब जातिवाद का हिसाब होगा।

*16--श्री पुरुषोत्तम (देवरिया) तथा श्री कृपा शंकर आर्य--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*17--कुंवर श्रीपाल सिंह--

[निरस्त]

इलाहाबाद स्थित मेयोहाल को लीज पर दिये जाने की शर्तें

*18--श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि इलाहाबाद स्थित सुप्रसिद्ध मेयोहाल किसी उद्योगपति को लीज पर दे दिया गया है ? यदि हां, तो किसे तथा किन शर्तों पर दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इसमें उत्तर में यह दिया हुआ है कि सूचना एकत्रित की जा रही है लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो जो सूचना एकत्रित हो कर कल रात में आई है उसको मैं पढ़ कर माननीय सदस्यों को सुना दूं । वह इस प्रकार है:--

"संक्षेप में स्थिति यह है कि सन् 1879 में मेयोहाल का निर्माण हुआ था । इसकी लागत 1,85,712 रु० लगी थी जिसमें से 80,000 सरकार का वह 30,000 नगर-पालिका व शेष जनता का लगा था । सरकार ने इसका प्रबन्ध एक ट्रस्ट समिति को सौंप दिया जिसके अध्यक्ष कमिश्नर व सेक्रेटरी कम ट्रेजरर कलेक्टर रखे गये । कोई ट्रस्ट डीड उपलब्ध नहीं है । मरम्मत व कम्पाउन्ड एंड गार्डन का रख रखाव सरकार ही करती रही मरम्मत में सरकार का रुपया आगे भी लगाया जाय या नहीं इस संबंध में सरकार ने कुछ

वर्ष पूर्व 68–69 में यह व्यु लेना चाहा कि वह इसकी मालिक ही नहीं है तो मरम्मत पर क्यों खर्च कर । लकिन बाद में 10–9–71 के शासनादेश के अनुसार सरकार मालिक बनी रहेगी यह मान लिया गया । बाद में आयुक्त, इलाहाबाद मंडल ने इस मेयो हाल को जोकि एक ट्रस्ट के मातहत था जीप फ्लैश लाइट कम्पनी को 1–2–73 को एक लीज के मातहत दे दिया । सरकार ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि आपको कौन सा अधिकार था जो यह लीज आपने दे दी । उन्होंने जवाब दिया है कि इसके रख रखाव पर खर्चा न करना पड़े इसलिये दे दी । हम विचार कर रहे हैं कि यह लीज रद्द की जाय या क्या किया जाय । यह प्रश्न आज सवेरे विधि परामर्शदाता को दे दिया है और उनसे कहा गया है कि कमिश्नर साहब ने जो यह काम किया है बिना सरकार से पूछे उसको रद्द करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं और उसकी लीगल पोजीशन क्या है ।

श्री तीरथराम कोहली––

लाखों एकड़ भूमि इस जीप कम्पनी को जो खाली पड़ी हुयी थी दे दी गयी । मिस्टर शेरवानी जो कांग्रेस के एक्स एम0पी0 हैं और कांग्रेस के फंड में लाखों रुपया देते हैं उनको कमिश्नर साहब ने सरकार के इशारे पर ही 1 रुपया लीज पर यह जमीन दे दी । तो कमिश्नर साहब ने जो यह काम किया है उनके विरुद्ध सरकार न क्या कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मैंने कहा कि उस लीज को कैंसिल करने के लिये सरकार विचार कर रही है । मैंने कमिश्नर से स्पष्टीकरण भी मांगा है कि उन्होंने किस अधिकार से यह काम किया है।

चौधरी चरणसिंह––

कब आपने एक्सप्लेनेशन मांगा है इस सवाल के आने के बाद या पहले ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

इस सवाल आने के पहले सरकार ने उनसे साधारण तरीके से पूछा था लेकिन मैंने निर्णय लिया कि जाब्ते से उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाय।

चौधरी चरणसिंह––

मुख्य मंत्री स्वयं इलाहाबाद के रहने वाले हैं । इलेक्शन के जमाने में ही यह स्कैंडल पूरे तौर से वहां फैला तब क्या यह उनकी नोटिस में नहीं आया था । तब आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे और अब चीफ मिनिस्टर हैं क्या कारण है कि यह आपकी नोटिस में नहीं आया और अगर पहले ही नोटिस में आ गया था तो आपने उसी समय कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये चौधरी साहब जो आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मेरा जहां तक ताल्लुक है, इस मेयोहाल को लीज पर देने के सिलसिले की बात जब मैं यहां चीफ मिनिस्टर होकर आया, तभी मालूम हुई और तभी कमिश्नर से पूछा गया कि यह तुमने क्या किया । कमिश्नर ने उसका बहुत दिनों के बाद जवाब दिया । मैंने इस बात की गहराई से छानबीन की । कल जब मैंने इस को देखा कि इसके जो लीज के टर्म्स थे वह बिना सरकार की स्वीकृति के उनको दिया गया है । मेरा यह ख्याल था कि हो सकता है गवर्नमेंट से इसकी स्वीकृति ले ली गई हो, या राज्यपाल शासन के समय में स्वीकृति दे दी गई हो । लेकिन ऐसा नहीं था । मैं इसे स्वयं स्वीकार करता हूं कि मैंने इसी ख्याल से ऐक्शन नहीं लिया था ।

चौधरी चरण सिंह--

स्वीकार तो आपने कर लिया लेकिन इससे काम थोड़े ही चलेगा । क्या नवम्बर में कमिश्नर से जवाब तलब किया गया ? यदि नहीं तो राइटिंग में क्यों जवाब तलब नहीं किया गया और यदि जवाब तलब किया गया तो उनका कोई उत्तर न आने पर फिर क्यों उनका जवाब तलब नहीं किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जाब्ते तथा आफीशियल लेबिल पर उनसे लिखवा लिया था कि किस हालत में उन्हें लीज पर दिया गया और उनको क्या अधिकार था । इस पर उन्होंने एक बहुत लम्बी चौड़ी चिट्ठी लिखकर भेजी कि इसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है और इसको देखने वाला नहीं है वगैरा-वगैरा । फिर "सूचना एकत्रित की जा रही है" वह हमने इसलिये कहा कि मैंने कल दिन और रात इसकी खोज-बीन की और खुद ढूंढा । वरना विभाग का तो यह ख्याल था कि यह लीज 1879 का है लिहाजा वह नहीं मिला । लेकिन मैंने फर्स्ट ग्लैंस में लीगल रिमेम्बरेंसर से बताया कि यह लीज प्रोपर नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इन तथ्यों से मालूम होता है कि जो चार्जेज लगाये गये हैं एक एक्स-एम0पी0 श्री शेरवानी पर वे ही इस कन्सर्न के मालिक भी हैं । इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है । तो मैं जानना चाहूंगा कि जो लीज दी गई उसकी शर्तें क्या-क्या थीं । शायद उससे बात स्पष्ट हो जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने सरकार से अनुमति बिलकुल ली ही नहीं है । अपनी मनमानी से कमिश्नर साहब ने अपने ढंग से काम किया है। न तो गवर्नमेंट के सेक्रेटेरियेट लेबिल पर, न मिनीस्टीरियल लेबिल पर और न राज्यपाल के रिजीम में ही कोई स्वीकृति ली गई है ।

अब उस लीज में क्या शर्तें थीं यह मेरे पास तीन पेज का डाकूमेंट है । जिसमें पहला तो यह है कि इसका बेसमेंट डिफेंस कंट्रोल आर्गनाइजेशन के हाथ में है । दूसरा इस हाल का इस्तेमाल शेरवानी की कम्पनी के क्लब के रूप में होगा । तीसरा इसकी मरम्मत और रख-रखाव तथा लान्स जो बाहर इसके जमीन है उसमें खेल आदि का बन्दोबस्त शरवानी कम्पनी वार्षिक ढंग से करेगी । फिर 2400 रुपये साल यह कम्पनी क्लब को 10 साल तक खर्च के लिये देगी । इसमें अभी और छानबीन करनी है कि यह क्या है । आया यह केमिल्स नेक है या क्या है ? खुद जमीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कारखाने के लिय नहीं करेंग ।

अब केवल एक ही बात निकलती है कि सरकारी कर्मचारियों से सम्पर्क बढ़ाने का रास्ता खुल गया । इसके अलावा मुझे और जोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है।

चौधरी चरण सिंह--

इसका कुल क्षेत्रफल कितना है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरे पास जो सूचना या लीज है, उसमें इसका क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी टेहरी--

यह मेयोहाल बहुत प्रसिद्ध स्थान है, इसे मैंने भी देखा है मैं यह भी जानता हूं कि इलाहाबाद बार में इसके बारे में लोगों में भयंकर असंतोष भी है । अतः इससे जाहिर है

कि कमिश्नर महोदय ने केवल सरकारी कर्मचारियों को शेरवानी साहब के पैसे पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए यह लीज दी है ? यदि हां, तो क्या उस कमिश्नर को, जिसने बिना सरकार की अनुमति के यह बड़ा अनियमित कार्य किया, फौरन मुअत्तल करने की सरकार कृपा करेगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस सदन में प्रशासनिक मामले में जो आप राय दे रहे हैं, उसे मैंने अपने पास नोट कर लिया है । लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने उनसे मांगा है, उसका जवाब आने के बाद ही और कोई बात हो सकती है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

जो 2 सौ रुपये महीने के लीज पर दिया गया है, मैं समझता हूं कि केवल उस बिल्डिग से ही कई हजार रुपया महीने किराये के आ सकते हैं । अतः यह बताने की कृपा करेंगे कि उस बिल्डिग से संबंधित जमीन कितनी है, और क्या यह सही है कि वह 25 एकड़ है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

25 एकड़ नहीं होगा । इलाहाबाद का नागरिक होने के नाते मैं उसे देख चुका हूं और मेरा विचार है कि वह इतना नहीं है । यों मैं इस बारे में कुछ ठीक नहीं कह सकता । (जवाब देने के मध्य श्री त्रिपाठी द्वारा इन्टरेप्ट किये जाने पर) मैं आपके पास पूरे कागज भेज दे रहा हूं । यह लीज भेज रहा हूं । दे दो यह कागज माधव बाबू को देख लें, मुझे कुछ छिपाना नहीं है । मैं कई बार कह चुका हूं कि उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा नहीं है, और मैं समझाता हूं यह बिलकुल गलत काम हुआ है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

इन कमिश्नर साहब से कबतक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आज ईश्यू होगा । यों पहले से ही उनसे पत्र-व्यवहार हो रहा था । बड़ी गम्भीरता से आज और कल मैंने उनको देखा और इस निर्णय से सबेरे सचिव से कहा कि उनसे जाब्ते से पूछें कि प्लीज एक्सप्लेन--इसमें आपकी जिम्मेदारी क्यों न मानी जाए--कि आपने डेरिलेक्शन आफ ड्यूटी आदि किया है ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन कमिश्नर साहब का नाम क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

श्री अश्विनी कुमार ।

चौधरी चरण सिंह--

यह लीज पर रिलीज करने का काम उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिकमन्डेशन पर किया है या ओरिजनल राईट ही यह उनको था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

स्वो-मोटो उन्होंने अपने आप ही किया । किसी की राय नहीं ली । वहां एक ट्रस्ट था, जिसमें चेयरमैन कमिश्नर थे । इसमें सन् 71 में एक राजाज्ञा दी गई थी यह भवन, इसका रखरखाव सरकार की जिम्मेदारी होगी और यदि यह न चले तो यह किसी सरकारी दफ्तर के काम आए ।

चौधरी चरण सिंह--

क्या चेयरमैन को यह कानूनी अधिकार था कि खुद वह लीज पर दे सकते हैं ? या यह पूरे मेम्बर्स के हाथ में था?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उनको अधिकार नहीं था और सारे बोर्ड को भी नहीं था । पर उन्होंने यह गजब किया कि पहले दे दिया और फिर पोस्ट-फैक्टो कमेटी बुला ली और उसमें भी इनके ही आदमी थे।

चौधरी चरण सिंह--

और मुश्किल यह है कि आपको भी गुस्सा नहीं आया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब मैं आपके सामने सच कहूं, बहुत गुस्सा आया है अन्यथा इतनी साफ बात यहां नहीं कहता।

श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने उत्तर में कहा है कि लीज देने के बाद हाई उसके कन्फर्मेशन के लिये कमेटी, ट्रस्टीज के सामने भेजा, तो क्या उस कमेटी ने उस का कन्फर्मेशन किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

पोस्ट फैक्टो कन्फर्मेशन किया ।

श्री प्रभुनारायण --

उस कमेटी के संबंध में क्या कोई कार्यवाही करेंगे?

(उत्तर के लिये नहीं बुलाया गया।)

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या कमिश्नर महोदय को गलत काम करने के सिलसिले में पदोन्नत करके वहां से हटा दिया गया है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसके पहले ही उनका ट्रांस्फर का आदेश हो गया था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

पदोन्नत हुए हैं या नहीं ? सरकार बाद में सोचेगी कि घटाया जाय या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

जांच कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

अगर सवाल गलत हो तो डिसएलाऊ करदें।

(उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

प्रश्न यह है कि हस्तांतरण हो गया, हस्तांतरण में पदोन्नति उनकी हो गयी है या जिस हैसियत पर थे उसी हैसियत पर गये हैं ? जांच करने के पश्चात् अवनत करेंगे वह अलग सवाल है । इस समय स्थिति क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, कमिश्नर ग्रेड में हैं । चौधरी साहब से पूछ लीजिये । मैं उनको नीचे गिरा नहीं सकता । लेकिन एक्सप्लेनेशन वगैरह आ जाय तो केंद्रीय सरकार जो लिखेंगे । क्या करते हैं, अब।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मिस्टर अश्वनीकुमार वही है जो माननीय मुख्य मंत्री जब संचार मंत्री थे, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज,नैनी में मैनेजिंग डाइरेक्टर या चेयरमैन नियुक्त किये गये थे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी नहीं, मैनेजिंग डाइरेक्टर और चेयरमैन हमने नियुक्त कभी नहीं किया था । जब मैं कम्युनीकेशन मिनिस्टर हुआ, मैसोर गवर्नमेंट का उसमें एक डाइरेक्टर होता था क्योंकि बंगलौर में फैक्टरी थी, तो जब उत्तर प्रदेश में फैक्टरी लग रही थी मैंने यह सलाह दी कि उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना एक आदमी नामजद करे डाइरेक्टर बोर्ड में । उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी को किया होगा मुझे नहीं मालूम । मेरी तरफ से या केंद्रीय सरकार की तरफ से जो संस्तुति की होगी उसका नाम डाइरेक्टर में रख दिया गया होगा।

श्री शेरथराम कोहली---

यह पहली फरवरी, 1973 से लीज दी गयी है और आज तक क्या मिस्टर शेरवानी ने लीज का पैसा कुछ जमा किया ? नम्बर 2 में उसमें बिलियर्ड की टेबिल है वह उनको फ्री दी गयी है, जैसा कि इसमें लिखा है जिससे कम से कम दो हजार रुपये रोजाना आमदनी है, क्या सरकार ने उस समय यह सोचा था ? नम्बर 3 क्या नगरपालिका को पूरा मेओ हाल और जमीन सरकार देने पर विचार करेगी इन शर्तों पर ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, पहले प्रश्न हमारे सामने यह है कि इस लीज को जो कमिश्नर साहब ने कर दिया है, कैसे कर दिया । इसका निश्चय होते ही तब दूसरा प्रश्न आयेगा कि इसको हम किस काम में इलाहाबाद के जन जीवन के लिये लायें । हमारी भी इच्छा यही है कि उसको सार्वजनिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिये कोई पब्लिक हाल जैसे हो उसके लिये उसका इस्तेमाल हो सके, तो अच्छी बात होगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि कमिश्नर का तबादला किस पद पर हुआ है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री त्रिवेणी सहाय---

व्यवस्था का प्रश्न है । क्या शेरवानी साहब कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और कमिश्नर साहब से यह चीज कराई गई है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था का सवाल उठाते हैं तो पहले असरार अहमद साहब ने प्रश्न किया था। प्रश्न पूछे जाने के बीच में व्यवस्था कैसे आ जायेगी ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

कमिश्नर साहब का तबादला किस पद पर हुआ है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, पहले मैं सोच रहा था कि उनको चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल बनाऊं। लेकिन अब विचार बदल दिया है। (व्यवधान) पहले विचार था और आर्डर यह हुआ था। लेकिन जैसे ही यह चीज देखी तो विचार बदल दिया।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या मंत्री जी को जानकारी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट तक से नहीं पूछा तो क्या यह सारा कांड श्रीमती इंदिरा गांधी के इशारे पर हुआ है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

यह बिलकुल असत्य है ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आरोप है ।

चौधरी चरण सिंह---

जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनका तबादला चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पद पर हो चुका है और आज उन्होंने विचार बदल दिया है। विजिलेंस कमीशन करप्ट लोगों के खिलाफ केसेज देखता है। फिर आपने कैसे इनको उस जगह पर रखा है जबकि उनके खिलाफ नवम्बर में शिकायतें आई थी और उनका जबाव तलब किया गया जिसका उन्होंने ठीक से जबाव नहीं दिया। इस स्थान पर बहुत ही इमान दार व्यक्ति रखा जाना चाहिये। फिर कैसे इनको वहां एप्वाइंट किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, 10-15 दिन पहले यह आर्डर्स हुये थे। उनको जो एंट्रीज दी गई है वह आउट स्टैंडिंग रही हैं। लेकिन मैंने भी समझ लिया कि लोज के बाद उनको इस जगह पर नहीं रहना चाहिये। इसलिये आदेश कर दिया है। अब कहां जायेंगे, इस पर विचार करूंगा।

चौधरी चरण सिंह---

मान्यवर, नवम्बर में यह चीज नोटिस में आ गई थी और उनसे जबाव तलब किया गया जिसको वे टालते रहे। आप मुख्य मंत्री होते हुये एक कमिश्नर से जबाव तलब कर रहे हैं उसके बारे में जो अनुचित काम उन्होंने किया। इतनी सीरियस शिकायत आने पर भी आपने उनको इस पद पर क्यों एप्वाइंट कर दिया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इतना सिद्धज करने के लिये वे नाराज हो रहे ह। मैं उन लोगों में से हूं जिसने स्पष्ट स्वीकार किया। मैंने इस कुर्सी पर बठ कर सुना है। मेरे पास यह सूचना आई कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसके लिये मैंने विभाग को लताड़ा और सूचना इकट्ठा की । आज

मैं कह रहा हूं कि जिस स्थान पर वह जा रहे थे अब वह उस स्थान पर नहीं जा रहे हैं। ऐसा आदेश कर दिया है। अब हम सोचेंगे कि हम क्या करें।

एक दिन मैं बता दूंगा कि कहते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है।

हिन्दुस्तान अल्मुनियम कम्पनी, मिर्जापुर द्वारा भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों का उपयोग तथा लगाये गये प्रतिबन्ध

*19---श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) तथा श्री रामचरण शाह (जिला लखीमपुर खीरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में रेणुकूट स्थित हिन्दुस्तान अल्मुनियम कम्पनी के प्रबन्धकों को भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जो अधिकार मिले है, उनका उपयोग उन्होंने अप्रैल, 1974 में संस्थान के मजदूरों के विरुद्ध किया ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितने मजदूरों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मिर्जापुर जनपद के रेनुकूट, थाना सिपरी स्थित हिन्दुस्तान अलमुनियम कारपोरेशन में दिनांक 12 अप्रैल, 1974 को प्रातः 7.00 बजे से प्रबन्धकों ने तालाबन्दी की घोषणा की। इस घोषणा के पूर्व दिनांक 11 अप्रैल, 1974 को उक्त कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री संग्राम सिंह कोठारी ने इस सरकार द्वारा प्रदत्त भारत रक्षा अधिनियम के अधिकारों का प्रयोग करते हुये एक आदेश प्रसारित किया जिसके अनुसार निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये:---

1---कोई भी अनधिकृत व्यक्ति 11 अप्रैल, 1974 के 11.00 बजे प्रातः के बाद इस निषिद्धस्थान पर न तो अन्दर जायेगा और न घूमेगा, अतिरिक्त उनके जिन्हें अनुमति-पत्र प्रदान किये गये हैं।

2---केवल स्थायी कर्मचारी एवं स्टाफ दिनांक 12 अप्रैल, 1974 के 7.00 बजे प्रातः तक फैक्ट्री में रहने के अधिकृत होंगे।

3---दिनांक 12 अप्रैल, 1974 को 7.30 बजे प्रातः के बाद वही व्यक्ति फैक्ट्री में रह सकते है जिन्हें विशेष अनुमति पत्र प्राप्त हो या जिन्हें आदेश के अन्तर्गत छूट दी गई हो।

इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी मजदूर के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री सत्य प्रकाश---

क्या सरकार ने प्रदेश में अन्य किन्हीं व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदत्त किये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

सन् 1971 में 7 और को।

श्री सत्य प्रकाश---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस डी0 आई0 आर0 के अधिकार को वापस लेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

श्री कोठारी से यह अधिकार हमने वापस ले लिया है।

श्री रामचरन शाह---

मेरी सूचना के अनुसार वहां पर तमाम लोगों को बन्द किया गया है और वहां के लोगों को जमानत हमारे यहां के विधायकों ने की है। तो क्या मुख्य मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

श्री कोठारी को बन्द करने का अधिकार नहीं दिया गया था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, बड़ी कृपा की सरकार ने कि यह अधिकार वापस ले लिया है । क्या सरकार बतायेगी कि क्या कोई और ऐसे उद्योग हैं जिन्हें कानून की तहत में अधिकार दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

1971 में 8 कारखानों को यह अधिकार इसी प्रकार का दिया गया था । इनके नाम हैं:---

1---साहू केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर लि0 जिला वाराणसी

2---रबड़ फैक्टरी सिन्थेटिक्स एन्ड केमिकल्स लि0, बरेली

3---जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया की फैक्टरी, नैनी, इलाहाबाद

4---हिन्दुस्तान अल्मुनियम फैक्टरी लि0, रेणुकोट, मिर्जापुर

5---इंडिया आक्सीजन लि0 कानपुर

6---मेसर्स इन्डस्ट्रियल गैसे ज लि0 के संस्थान, कजल गंज, कानपुर

7---मेसर्स इन्डस्ट्रियल गैसेज लि0 के संस्थान, लखनऊ

8---इंडियन इन्डस्ट्रियल गैसेज, मड़वाडीह, वाराणसी ।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के मजदूरों की मांगें क्या थीं । जैसा कि उन्होंने कहा कि डी0 आई0 आर0 में कोई मजदूर बन्द नहीं किया गया । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि अप्रैल, 1974 में कोई मजदूर इस कम्पनी के बन्द हुए ? यदि हां, तो वह किन दफाओं में ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो अलग सवाल पूछ रहे हैं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मैं श्रीमन् यह पूछ रहा हूं कि क्या डी0 आई0 आर0 में मजदूर बन्द किये गये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ऊदल---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह संग्राम सिंह कोठारी जो जनरल मैनेजर हैं इनके कारखाने के ऊपर विद्युत रेट का 5 करोड़ रु0 और 11 करोड़ रु0 टैक्स का बाकी है, जिनको यह अधिकार सरकार ने दिया था ।

श्री अध्यक्ष---

इसका जवाब दे चुके हैं पहले ।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार इस बात को बतायेगी कि वहां के मजदूरों की मांगें क्या-क्या थीं और उनको पढ़कर सुनायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

माननीय सभापति, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह कोठारी को जो अधिकार दिया गया था वह केन्द्रीय सरकार की परामर्श से दिया गया था। मैं इस संबंध में पूछना चाहता हूं कि इस अल्मुनियम कारखाने से प्रधान मंत्री के पी० ए० को० लाख रु० मिला ?

श्री अध्यक्ष---

इसकी इजाजत मैं नहीं देता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

माननीय राम अधार राय जी को यह शोक है कि जब कभी बिड़ला का नाम आवे तो और किसी का नाम और जोड़ दें । मैं उनसे अनुनय विनय करता हूं कि वह जो कुछ बात कह रहे है वह बिलकुल असत्य है, निराधार है ।

श्री मधुकर दिघे---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने डी० आई० आर० का इस्तेमाल करके जिनको गिरफ्तारी हुई बाद में यह सोचकर सरकार ने उनके अधिकार वापस लिया । तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्तियों को छोड़ दिया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

कोई व्यक्ति न तो पकड़ा गया और न तो उसे छोड़ने का प्रश्न उठता है ।

श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह अधिकार कब दिया गया और कब तक यह अधिकार उनको रहा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान अल्मुनियम फैक्टरी को जो पावर दिया गया था उसको हमने वापस ले लिया है । और जो 7 है, उनके सिलसिले में हम विचार कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि जो इन्हें 71 में अधिकार दिये गये थे, उन्हें वापस लेना चाहते हैं । अगर उन्हें कोई मतभेद हो तो हमें बतायें ।

जिला एटा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और गोली कांड पर जांच समिति का प्रतिवेदन

*20---श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 4 और 5 अप्रैल, 1974 को एटा में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज और गोली कांड की जांच करने हेतु उत्तर प्रदेश जनसंघ द्वारा प्रश्नकर्ता के संयोजकत्व में गठित जांच समिति का प्रतिवेदन दिनांक 15 अप्रैल, 1974 से 25 अप्रल, 1974 के मध्य सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कायवाही की है ? क्या सरकार उपरोक्त प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

शासन को प्रश्न में उल्लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। इस प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया गया है। शासन द्वारा उक्त प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री कल्याण सिंह---

4 और 5 अप्रैल, 1974 को एटा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ, गोली कांड हुआ, लूट पाट हुई और एक आदमी भी मारा गया तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कौन-कौन दोषी पाये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इस सम्बन्ध में कमिश्नर और डी० आई० जी० ने संयुक्त रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने अलग-अलग किस्म के अलग-अलग लोगों को दलों को और अधिकारियों को अलग-अलग प्रकार से गलत पाया है। उस पर हम परीक्षण कर रहे हैं। इस पर हम साफ कदम उठाना चाहते हैं।

श्री कल्याण सिंह---

श्रीमन्, मैं स्वयं वहां पर गया। 8 दिन तक एटा बन्द रहा। यहां तक कि यह सूचना बी० बी० सी० ने लन्दन से रिले की कि एटा में पुलिस ने लाठी बरसायी, लोगों को घायल किया गया, लोगों को घसीट-घसीट कर मारा गया जैसे जलियां वाले बाग में हुआ था। चूंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारी इन्वाल्वड है इसलिये डी०आई०जी० व कमिश्नर की जांच पर वहां की जनता को विश्वास नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए, इसके लिये जुडीशियल एन्क्वायरी के लिये आर्डर दिया जाय ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जब यह अनफार्चुनेट घटना घटी तो उसके बाद 13 तारीख को दिल्ली में एटा क्षेत्र के संसदीय प्रतिनिधि और एटा के कई वे लोग जिन में से श्री प्रसून, जो गोली से मारे गये, के भाई, जो वार एसोसियेशन के एक्स प्रेजिडेन्ट थे,कई एडवोकेटस और कुछ अन्य लोग, जिनको जनसंघ, कांग्रेस दल के बताया गया और कुछ इन्डिपैन्डेन्ट लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे दिल्ली में मिला। उसने अपनी बात मुझे सुनायी और उन्होंने लिख कर दिया कि अगर इस मामले में न्यायिक जांच करायी गयी, तो जो हम प्रशासनिक ढंग से और तत्परता से कर सकते हैं, उन सब बातों में देरी लगेगी। उन्होंने स्वयं लिख कर दिया कि हम आप पर छोड़ते ह। आप प्रशासनिक जांच करा लें और दूसरे एक कमेटी बना दें जिसमें जन प्रतिनिधि हों और एक अधिकारी रख दिया जाय और वह उस नुकसान को देखे जो किसी भी कारण से हुआ है, और उसको सरकार से पूरा कराने में मदद करे। उस समिति में एसिस्टेंट, कमिश्नर, आगरा डिवीजन, और 3 जन प्रतिनिधि है, जिनमें एक बार एसोसियेशन के एक्स प्रेजीडेन्ट। जो रिपोर्ट हमारे पास भेजी गयी है, उसके सम्बन्ध में कुछ आदेश हो गये है, मुआविजे के सिलसिले में और कुछ विचाराधीन है। जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्होंने चाहे सही काम किया है या गलत सब का ट्रांसफर हो गया है और कुछ को निलम्बित कर दिया गया है। इस समय एक भी आदमी जेल में नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि वहां की स्थिति को दृष्टि में रखते हुये और बिना प्रेस्टिज का क्वैश्चन बनाये हुये और जन हित को ध्यान में रखते हुये जो निर्णय लिये है, उचित थे। आपने अपने ही

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मिमोरेन्डम में कहा है कि यह काम बहुगुणा जी ने बहुत अच्छा किया है लेकिन वे कहेंगे वर्ना आप वहां क्यों होते और मैं यहां क्यों होता ।

श्री माधव साद त्रिपाठी--

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटना कितनी गम्भीर है और हमारे कल्याण सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कैसा कांड हुआ, कत्ल किया, लोगों के हाथ कटे, छत पर एक आदमी मारा गया, 8 रोज बाजार बन्द रहा तो जांच कमेटी ऐसी बने जिसमें शक करने की गुंजायश न हो और वहां के लोगों की मांग है कि जुडीशिएल इंक्वायरी हो तो क्या कठिनाई है जुडीशियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करने में ?

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मेरे जिले का प्रश्न है...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इतनी महत्वपूर्ण घटना है, इसमें जवाब आ जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, लेकिन उसका जवाब देने के लिए...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस पर बहुत सीरियस हूं । इसका हल एक ही है कि जुडीशियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी जाय ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं 9 दिन जेल में रहा हूं । इस घटना के सम्बन्ध में दो मिनट चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है, उसका जवाब चाहे दे दें...

(व्यवधान)

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए)

इलाहाबाद नगर महापालिका में मुख्य नगराधिकारी के पद पर आइ० ए० एस० अधिकारी की नियुक्ति

*21--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह से इलाहाबाद नगरमहापालिका में किसी आई० ए० एस० मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिसम्बर, 1973 के अन्तिम सप्ताह से मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, इलाहाबाद के पद पर किसी आई० ए० एस० अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ?

प्रदेश का गजट उर्दू में छापे जाने के संबंध में भाषा विभाग में अतिरिक्त पदों का सृजन

*22--श्री शफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1181,/इक्कीस-1(3)-73, दिनांक 5 मई, 1973 के अनुसार उर्दू, में सम्पूर्ण गजट छापे जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो अभी तक सचिवालय के भाषा (उर्दू) अनुभाग में कितने अतिरिक्त अनुवादकों और पुनरीक्षण के पदों का सृजन किया गया और कब से?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त पदों के सृजन के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

बलिया एवं देवरिया जिलों में परिवहन मंत्री द्वारा हेलीकाप्टर का प्रयोग

*23--श्री मधुकर दिघे तथा श्री राम आधार--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाने वाले विधान परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के समय माह अप्रैल, सन् 1974 में प्रदेश के परिवहन मन्त्री ने हेलीकाप्टर का प्रयोग बलिया, एवं देवरिया जिले में किया है? यदि हां, तो सरकार को इन यात्राओं पर कुल कितना व्यय करना पड़ा और इन यात्राओं का क्या उद्देश्य था?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

परिवहन मन्त्री जी ने 22 तथा 23 अप्रैल, 1974 को जिला देवरिया तथा बलिया का सरकारी हेलीकाप्टर द्वारा सरकारी कार्य पर दौरा किया था। उक्त यात्राओं में कुल कितना व्यय हुआ इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि उक्त यात्राओं के सम्बन्ध में अभी टी० ए० बिल प्राप्त नहीं हुये हैं।

जिला देवरिया का दौरा पडरौना में बिजली कर्मचारियों के अधिवेशन के उद्घाटन से सम्बन्धित एक सभा में तथा बलिया का दौरा नियोजन विभाग की एक मीटिंग में भाग लेने के सम्बन्ध में था।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, लखनऊ, उ० प्र० के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय) की पदोन्नति तथा सेवा नियमावली

*24--श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी), श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी) तथा श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत सामुदायिक विकास खंडों में नियुक्त सहायक विकास अधिकारी (सांख्यकीय) को विभागीय पदोन्नति एवं सेवा नियमावली सम्बन्धी सुविधा प्रदान कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) मूलतः सामुदायिक विकास विभाग में 80--200 के वेतनक्रम में प्रगति सहायक के पदनाम पर नियुक्त किये गए थे। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब इनका वेतन क्रम 280--450 का स्वीकृत किया गया है।

चूंकि इनका संवर्ग एक अलग संवर्ग था और पदोन्नति के मार्ग नगण्य थे इस कार वेतन आयोग ने स्वीकृत स्थायी पदों के 10 प्रतिशत के बराबर 350--500 के वेतन क्रम में सेलेक्शन ग्रेड सृजित करने की संस्तुति दी है। यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है कि सेलेक्शन ग्रेड का प्रतिशत 10 प्रतिशत से और अधिक बढ़ाया जाय। कुछ और भी पदोन्नति के अवसर दिये जाने के विकल्प शासन के विचाराधीन है। इनकी सेवा नियमावली के बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला बरेली में आग्नेयास्त्रों के लायसेन्स के लिये दरख्वास्तें

*25—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1972 व 1973 के वर्षों में दी गई आग्नेयास्त्रों के लायसेन्स की कितनी दरख्वास्तें जिला बरेली में अभी तक निस्तारण के निमित्त पड़ी हैं? और अब तक लाइसेन्स न दिये जाने के कारण क्या हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बरेली में वर्ष 1972 के 2,943 प्रार्थना पत्रों में से 243 तथा वर्ष 1973 के 4,593 प्रार्थना पत्रों में से 844 प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु शेष हैं।

प्रार्थियों के चरित्र तथा उनकी आवश्यकता के औचित्य का सत्यापन पूर्ण न हो सकने के कारण इन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अभी तक नहीं हो सका है।

*26—श्री हरीश कुमार गंगवार—

(4थे शुक्रवार के लिए प्रश्न सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

शिव पति डिग्री कालेज, शोहरतगढ़, बस्ती में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें

*27—श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिवपति डिग्री कालेज, शोहरतगढ़, जिला बस्ती में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितने शिकायती-पत्र वर्ष 1973 व 1974 के प्रथम 3 मास में सरकार को प्राप्त हुए? शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कथित वर्षों के प्रथम तीन मास में कोई भी शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुंसिफ मजिस्ट्रेट एवं आनरेरी स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां

*28—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने अप्रैल, 1974 में जिला स्तर की अदालतों में फौजदारी दीवानी अपराधों के मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए लगभग 300 मुंसिफ मजिस्ट्रेट एवं 150 आनरेरी स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इन नियुक्तियां का आधार क्या है और नियुक्तियां कब व कैसे होंगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह सही है कि मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने मुंसिफ मजिस्ट्रेटों तथा जुडीशियलों मजिस्ट्रेटों के संवर्ग में 298 रिक्तियों में अधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र करने तथा 150 अवैतनिक स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से सामान्य सेवा नियमों के अधीन प्रतियोगिताओं के आधार पर होगी । स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा सेवा निवृत्त अधिकारियों में से चयन के आधार पर होगी। ये सभी नियुक्तियां चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक होने की सम्भावना है ।

*29—श्री ऊदल—

[3रे गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*30-31—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

[4थे गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न 7-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला शाहजहांपुर, थाना कांट, ग्राम मदरौली के प्रधान द्वारा औरतों का अनतिक ब्यापार

*32—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया) तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री मधुकर दीघे, मन्त्री विधान मंडल, भारतीय क्रांति दल, उत्तर प्रदेश का कोई पत्र उन्हें दिनांक 13 मई, 1974 को प्राप्त हुआ है, जिसमें शाहजहांपुर जिले के थाना कांट के ग्राम मदरौली के प्रधान द्वारा लड़कियों व औरतों के अनैतिक व्यापार का विवरण अंकित है ? यदि हां, तो उसकी जांच के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री मधुकर दिघे, विधायक, का पत्र दिनांक 13 मई, 1974 शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने ग्राम महरौली, थाना कांट, जिला शाहजहांपुर के प्रधान के द्वारा नैपाल से लाई गई लड़कियों व औरतों के अनैतिक व्यापार किये जाने का उल्लेख किया था ।

2—जांच से दो नैपाली स्त्रियों के अपनी इच्छा से जिला शाहजहांपुर में आने की सूचना प्राप्त हुई । प्राप्त सूचना के अनुसार उनमें से एक ने ग्राम मदरौली के एक अविवाहित व्यक्ति के साथ अपनी इच्छा से विवाह कर लिया है और दूसरी ग्राम हटीपुर कुरिया के एक अन्य व्यक्ति के साथ जिसकी पहली स्त्री मर चुकी है, अपनी इच्छा से रह रही है ।

3—इस सम्बन्ध में अब तक की जांच से ग्राम मदरौली के प्रधान अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रुपए लेने आदि का कोई प्रमाण नहीं मिला और न कोई हस्तोदीय अपराध बनता है ।

श्रीमती मुन्नी देवी, ग्राम मदरौली, थाना कांट, जिला शाहजहांपुर द्वारा अपने पति की गिरफ्तारी क सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*33—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपनेता, विधान मंडल भारतीय क्रांति दल, उत्तर प्रदेश के पत्र के साथ श्रीमती मुन्नी देवी, ग्राम मदरौली, थाना कांट, जिला शाहजहांपुर का इस आशय का प्रार्थना-पत्र कि उनके पति के जेल में होने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिये दोबारा घर की कुर्की कर चुकी है, उन्हें दिनांक 3 मई, 1974 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्रश्न में उल्लिखित आशय का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जांच कराने से पता चला कि श्रीमती मुन्नी देवी के पति श्री लाल सिंह के घर की कुर्की धारा 87-88 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत न्यायालय के आदेश से थाना कांट को पुलिस द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 1974 को और फिर 15 अप्रैल, 1974 को की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार न्यायालय या थाना कांट पर इस बात की सूचना नहीं थी कि श्री लाल सिंह जेल में हैं। कुर्कशुदा सामान को वापस कराने के लिए न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जून, 1974 को प्राप्त किये जा चुके हैं और सामान को वापस करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की जा रही है

*34---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

[3रे गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*35---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

[4थे बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*36---श्री सीता राम निषाद, श्री गिरजा शंकर पाठक तथा श्री पुरुषोत्तम (देवरिया)---

[4थे बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*37---श्री शिव सम्पत्ति तथा सूबेदार---

[2रे शुक्रवार के लिए तारांकित प्रश्न 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला बहराइच विकास खण्ड जमुनहा नवाबगंज, मिहीपुर सिरसिया तथा हरिहरपुर रानी का पिछड़ापन

*38---श्री गंगाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)---

क्या सरकार को यह सूचना है कि राज्य नैपाल से लगे हुए जिला बहराइच के विकास खंड जमुनहा नवाबगंज, मिहीपुर, तथा सिरसिया और हरिहरपुर रानी जिले के अन्य विकास खंडों की अपेक्षा अभी हो बहुत पिछड़े हुए हैं? यदि हां, तो इस पिछड़ेपन को मिटाने के लिए सरकार ने कौन से ठोस कार्य करने की योजना अपनाई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

यह सही है कि प्रश्नगत विकास खंड पिछड़े हैं।

इन विकास खंडों का विकास जिला व विकास खंडों की योजनाओं के माध्यम से किया जायगा। इन प्रस्तावित परियोजनाओं का सारांश सदन की मेज पर रखा गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 934 पर)

जिला अलीगढ़ तहसील हाथरस में परगनाधीश के स्थायी न्यायालय की स्थापना पर विचार

*39---श्री इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या काम की अधिकता एवं जनता की सुविधा को ध्यान में रख कर अलीगढ़ जिले की तहसील हाथरस में परगनाधीश का स्थायी न्यायालय स्थापित करने हेतु सरकार विचार करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो न्यायालय कब तक स्थापित किया जायगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हाथरस में परगनाधिकारी के न्यायालय की स्थापना का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

वर्तमान मंत्री परिषद् के सदस्यों के जेब खर्च पर व्यय की धनराशि

1--श्री शिव सम्पत्ति तथा श्री सत्य प्रकाश (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान मन्त्रि परिषद् के किस-किस सदस्य द्वारा परिषद गठित होने की तिथि से 31 मार्च 1974 तक जेब खर्च (आउट आफ पाकेट इक्सपेंसेस) मद में कुल कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। खाद्य मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री के सम्बन्ध में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके यात्रा भत्ता बिल अभी प्राप्त नहीं हुए है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 935 पर)

2--श्री शिवसम्पत्ति तथा श्री सत्य प्रकाश--

[निरस्त]

मिर्जापुर के दुद्धी क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण

3--श्री शिव सम्पत्ति तथा श्री सत्य प्रकाश--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के दुद्धी क्षेत्र में जो राजकीय महाविद्यालय खुला है, क्या उसका भवन निर्माण प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं।

भूमि उपलब्ध हो जाने पर ही भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराना सम्भव होगा।

4--श्री सूबेदार--

[6 बुधवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

5--श्री सूबेदार तथा श्री शिवसम्पति--

[न्यायालय के विचाराधीन होने से निरस्त]

6--श्री हरिकेवल--

[6 जून, 1974 को उत्तरित]

प्रदेश में पावर कनेक्शन पर लगे सरचार्ज की वापसी पर विचार

7--श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिजली के पावर कनेक्शन पर लगे 3 रु० प्रति हार्सपावर लगे सरचार्ज की वापस का सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुण—

जी नहीं ।

निजी नलकूप उपभोक्ताओं से 30 प्रति हार्स पावर प्रति माह निश्चित शुल्क Fixed (charge) लिया जाता है, यह बिजली देने की दर का एक भाग है। यह पावर हाउस से उपभोक्ता के यहां तक बिजली लाने वास्ते लगी पूंजी पर ब्याज, ह्रास (Depreciation) इत्यादि का एक छोटा सा अंश है। इस कारण इसके वापस करने का कोई विचार नहीं है।

8—श्री मोहन लाल कपूर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

9—श्री जगदीश अवस्थी—

(6ठें बुधवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

चौकी इंचार्ज, चौबेपुर थाना बिठूर जिला कानपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

10—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1 अक्तूबर, 1973 से 20 अप्रैल, 1974 के मध्य में उन्हें तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर के चौकी इंचार्ज, चौबेदपुर, थाना बिठूर, जिला कानपुर के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र जनता के प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई, जांच के परिणाम क्या रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुण।—

दिनांक 1 अक्तूबर, 1973 से 20 अप्रैल, 1974 के मध्य चौकी इंचार्ज चौबेपुर थाना बिठूर, जिला कानपुर के विरुद्ध पांच शिकायती पत्र प्राप्त हुए। शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई। जांच से आरोप निराधार पाये गये।

वाराणसी सिटी मजिस्ट्रेट तथा कैंट थानाध्यक्ष द्वारा शिवपुर में खाद की बरामदगी

11—कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि वाराणसी जिले के सिटी मजिस्ट्रेट तथा कैन्ट थाना के थानाध्यक्ष ने मिल कर, दिनांक 17 अप्रैल, 1974 से 20 अप्रैल, 1974 के बीच 589 बोरा रसायनिक खाद पकड़ी है, जोकि शिवपुर वाराणसी की एग्रो ई0 कारपोरेशन के गोदाम की है ? इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 19 अप्रैल, 1974 को वाराणसी के सिटी मजिस्ट्रेट, शहर कोतवाल तृतीय तथा थानाध्यक्ष कैन्ट ने छापा मार कर दो व्यक्तियों के यहां से अनधिकृत 166 बोरा यूरिया खाद, 104 बोरी हाई अमोनिया फास्फेट, 316 बोरी अमोनियम सलफेट, 7 बोरी पोटास तथा 4 बोरी गैमक्सीन बरामद किया। अब तक की जांच से यह प्रमाणित नहीं हो सका कि बरामद की गई खाद आदि किसकी है।

स्वतंत्रता सेनानियों को वितरित ता पत्र बनाने वाली में

12—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1973 में स्वातंत्रता सेनानियों को जो ताम्रपत्र दिये गये है, किस फर्म द्वारा बनाये या क्रय किये गये हैं ? क्या वह सरकार द्वारा स्वीकृत है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ताम्रपत्र श्रीमन्त जेड0बी0 इन्डस्ट्रीज, लखनऊ तथा श्रीमन्त गांधी इन्डस्ट्रीज, लखनऊ से बनवाये गये थे । उक्त दोनों फर्म सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है । सभी ठेकेदारों के ताम्र-पत्र के नमूने देखने के बाद उक्त फर्मों को आर्डर दिया गया क्योंकि उनके नमूने अच्छे थे ।

13—तीरथ राम कोहली—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जिला देवरिया, थाना खामपार एवं बनकटा में हुए कत्ल एवं डकैतियों के संबंध में कार्यवाही

14—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना खामपुर एवं कबनकटा, जिला देवरिया में दिनांक 1 जुलाई, 1973 से 1 अप्रल, 1974 के बीच कितनी डकतियां एवं कत्ल हुये तथा इस सम्बन्ध में अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

थाना खामपार, जिला देवरिया पर दिनांक 1-7-73 से 1-4-74 की अवधि में 6 डकैतियां पड़ने व एक हत्या होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई । रिपोर्टों के आधार पर कायम डकैती के मुकदमों में से एक में अपराधियों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया, 4 में विवेचना हो रही है तथा एक रिपोर्ट झूठी पाई गई । कत्ल के मुकदमें में विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया ।

थाना बनकटा पर उपरोक्त अवधि में 4 डकैतियां पड़ने व एक हत्या होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई । डकैती की रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमों में से तीन में आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गये तथा एक में रिपोर्ट सही न पायी जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई । हत्या की घटना से सम्बन्धित मकदमें में भी अन्तिम रिपोर्ट लगी ।

कोलअसला, जिला वाराणसी के मुसहर जाति के लिये आवास, पानी रोजगार हेतु स्कीम

15—श्री ऊदल—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी में अपराधशील जाति मुसहरों हेतु आवास, पानी पीने हेतु कुयें तथा शिक्षा और रोजगार हेतु कोई स्कीम सरकार तैयार कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

16—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य सरकार के हेलीकाप्टर द्वारा यात्रा का उद्देश्य

17--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार के हेलीकाप्टर द्वारा मास फरवरी तथा मार्च, 1974 में तिथिवार किस-किस व्यक्ति ने किस-किस उद्देश्य से कहां-कहां यात्रा की ?

परिवहन मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 936-940 पर।)

जिला शाहजहांपुर थाना सेहरामऊ जनूबी द्वारा आर्म्स लाइसेंस सस्पेंशन की सिफारिश

18--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के थाना सेहरामऊ जनूबी से दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 के बीच कितने लोगों के आर्म्स लाइसेंस ससपेन्ड करने को लिखा गया और जिस वजह से सस्पेन्शन की सिफारिश की गई वह क्या है और उस पर जिलाधीश द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन गहुगुणा--

शाहजहांपुर जिले के थाना शेहरामऊ जनूबी से 1-4-73 से 31-3-74 के बीच नौ व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को निलम्बित किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

नौ व्यक्ति में से एक व्यक्ति के विरुद्ध शस्त्र का दुरुपयोग करने के कारण तथा आठ व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान एवं जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत मुकदमें से सम्बन्धित होने के कारण शस्त्र लाइसेंस को निलम्बित करने के लिये रिपोर्ट प्राप्त हुई ।

एक व्यक्ति के मामले में शस्त्र लाइसेंस को निलम्बित करने का आदेश जिला मैजिस्ट्रेट, द्वारा पारित किया जा चुका है । शेष आठ मामलों में भी निलम्बन के नोटिस नियमानुसार जारी हो चुके हैं और सम्बन्धित व्यक्तियों का उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार निलम्बन की कार्यवाही जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा की जायगी ।

जिला मिर्जापुर, अदलहाट, चुनार व अहरौरा थानों में लिखाई गई रिपोर्ट पर जांच

19--श्री ओम प्रकाश सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के अदलहाट चुनार व अहरौरा पुलिस थानों में जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1973 तक कितनी (एफ0आई0आर0) रिपोर्ट लिखाई गई ? उनमें से कितनी रिपोर्टों पर जांच कर कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मिर्जापुर जिले के अदलहाट, चुनार व अहरौरा थाना पर जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1973 तक 1651 दस्तन्दाजी तथा 3031 गैरदस्तन्दाजी अर्थात् कुल 4682 रिपोर्ट दर्ज कराई गई । 1703 मामलों में जांच कर के कार्यवाही की गई ।

जिला इलाहाबाद थाना नवाबगंज के अन्तर्गत कत्ल तथा डकैती

20—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में थाना नवाबगंज के अन्तर्गत दिनांक 15 मार्च, 1974 से 24 मार्च, 1974 के बीच कत्ल तथा डकैती की कितनी घटनायें हो चुकी हैं और मृतकों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

15 मार्च, 1974 से 24 मार्च, 1974 की अवधि में थाना नवाबगंज जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत हत्या की दो तथा डकैती की चार घटना होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई हैं । हत्या की घटनाओं में कुल मृत व्यक्तियों के नाम सुद्धू तथा हबीबुल इस्लाम हैं ।

कतिपय समितियों के निर्वाचन के स्थगन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की कतिपय समितियों आदि के चुनाव के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो तिथियां मैंने सूचित की थीं । तो माननीय विरोधी दल के नेताओं और शासक दल के हमारे संसदीय कार्यमंत्री सबका निवेदन आया है कि जो चुनाव कमेटियों के हैं यह कुछ समय के लिमे टाल दिये जायं । 20 तारीख से यह जो चुनाव कार्यक्रम है तो मैं इस चुनाव को टाले देता हूं । और इसकी तिथि फिर बाद में सदन को सूचित करूंगा ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 जून, 1974 की बैठक में दो विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के लिये समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो सिफारिश की है वह इस प्रकार है:—

1—उत्तर प्रदेश शहरी भवन [किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन (संशोधन)] विधेयक, 1974 दिनांक 26 जून, 1974 को सायंकाल 5 बजे से उस समय तक जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय ।

2—उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1974 दिनांक 27 जून, 1974 को सायंकाल 5 बजे से उस समय तक जब तक कि यह विधेयक पारित न हो जाय ।

समिति ने यह भी निश्चय किया कि प्रदेश में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित विधेयक, सदन में पुरःस्थापित हो जाने की दशा में बजट की चर्चा के दिनों में ही लिया जायगा ।

विश्वविद्यालय के बारे में आपने कहा है तो यह सर्वसम्मत फैसला है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों को स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सुझावित प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मेरी एक प्रार्थना है कि जनसंघ इस वक्त यहां पर नहीं है । आप जनसंघ के नेता को यह लिख कर भेज दें कि सदन ने इसको स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष—

वह सहमत हैं, उनके दस्तखत हैं ।

एक सदस्य—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको यह लिख कर भेजना जरूरी है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं । अब मैं नियम 56 की सूचना देता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

देवरिया जिले के छितौनी बांध के पास आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न संकट के बारे में श्री नारायण जी ने भेजा है । यह पहले भी आया था । श्री श्री नारायण जी हैं ? (कोई आवाज न आने पर) वह हैं नहीं ।

दूसरा है संयुक्त प्री-मेडिकल टेस्ट के छात्रों के एडमीशन कार्ड न प्राप्त होने के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयां । यह श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री त्रिवेणी सहाय और श्री मोहन लाल कपूर ने दिया है । आपका कहना यह है कि आज ही आखिरी तारीख है । टेस्ट दो दिन बाद प्रारम्भ होने वाला है....

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

कल से ही शुरू होने वाला है....

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा वह सही है या जो लिखा है वही सही है ? परन्तु अभी ऐसे परीक्षार्थियों की सैकड़ों में तादाद है जिन्हें परीक्षा के लिये एडमीशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है और छात्रों में उत्तेजना है । ठीक है, यह स्वाभाविक है । यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं भेज देता हूं और वह सदन को अवगत करा दें ।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या व्यवस्था की है, जरा बता दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

यू० पी० बोर्ड की परीक्षा में भी ऐसा हुआ था ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जो प्री-मेडिकल टेस्ट की परीक्षा हो रही है.....

श्री अध्यक्ष—

हमने मुख्य मंत्री जी की कार्यवाही के लिये और फिर बता देने के लिये भेज दिया है लेकिन अगर आपको कोई सूचना हो.....

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

इस वक्त कोई सूचना नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कितना अहम मसला है । कल से इम्तहान होने वाला है ।

श्री अध्यक्ष—

अगला है बांदा जिले में पीने के पानी का संकट के बारे में । यह श्री देव कुमार यादव, श्री जमुना प्रसाद बोस तथा श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा ने दिया है ।

यह वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और 3 से 5 बजे के बीच में कभी रख दिया जायगा । अभी इस समय मैं नहीं रख रहा हूं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

बरेली की शुगर फैक्टरी ने 67 लाख रुपये किसानों के नहीं दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वह आपने नियम 51 में दिया होगा । यह तो हम नियम 56 का सुना रहे हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मंत्रि-परिषद् के 10-12 आदमी हैं । उन पर काम बहुत बढ़ गया है और उनको बहुत तकलीफ है । तो माननीय मुख्य मंत्री को क्या कठिनाई है, क्या अपने साथियों पर भरोसा नहीं है कि अपने मंत्रिमंडल को बढ़ा सकें ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, असरार साहब अगर ज्वाइन करने वाले हों तो बता दें । (हंसी)

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

देवरिया जिले में बड़ी गंडक में भयंकर बाढ़ आयी हुई है,.....

श्री अध्यक्ष—

आप कहां से बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं ? अब हम आगे चले गये । उस वक्त आपको बुलाया था मैंने, पर आप उठ नहीं । मैंने अब माननीय प्रभुनारायण सिंह को बुला लिया है....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, देवरिया जिले की एक विशेष परिस्थिति है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि वे उस समय थे नहीं । अब हम आगे चले गये । अब कल दीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी सहाय (जिला गोंडा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि कुछ दिन पहले प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी जो अचलनगर कांड के नाम से दुनिया के हर प्रमुख पत्र में प्रथम पृष्ठ पर छपी थी । पार्लियामेंट में भी यह प्रश्न उठा था....

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है । आप पहले मुझे समझा दें ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने नियम 56 के अंतर्गत चर्चा करने के लिए आपसे आज्ञा मांगी, पर आपके कार्यालय से यह उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले हमें समझा दें । यह व्यवस्था का प्रश्न कहां है । जो स्थिति हो पहले आप हमको समझा दें । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने...(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय--

आपने क्या व्यवस्था दी, हमारी बात तो सुन लें । आप कहें तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे कक्ष में आकर पहले मुझे समझा दें ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

ठीक है, मैंने यह बात सुनी नहीं थी ।

1974-75 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

*श्री प्रभु नारायण (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, 1974-75 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसे देखने से आर्थिक कठिनाइयां और वित्तीय दिक्कतों के बावजूद यह एक तरह का संतुलित बजट है । यह सही है कि यह बजट शुरू में घाटे का बजट था और 45 करोड़ के लगभग घाटा था लेकिन उसी के साथ-साथ जो करों की छूट की बात हुई और जो नए कर लगाने की बात है उसको लेकर के अन्त में बजट की स्थिति लगभग 19 करोड़ के घाटे की रह जायेगी । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो वित्तीय सुझाव दिये हैं और जो सरकार से प्रशासन को चुस्त करके और प्रशासन में फजूलखर्ची को कम करने की बात कही है और जिन चीजों पर बंदिश लगाने की बात कही है उससे ऐसा लगता है कि मौजूदा बजट में घाटे की स्थिति साल के अन्त में नहीं रह जायेगी । इस संदर्भ में यह बात कहने की जरूरत है, सदन को बताने की जरूरत है कि कुछ करों के सिलसिले में जो बात उठायी गयी है, जो कुछ कहा गया है कि इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन से आम जनता पर असर पड़ेगा इसमें कोई दो राय नहीं है । यह सही है । इससे आम जनता पर असर जरूर पड़ेगा लेकिन जिस तरह से यह टैक्सेज लगाये गये हैं, उससे आम जनता पर कोई विशेष बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि समाज के कुछ हिस्से पर जो खाते पीते लोग हैं उन पर इसका असर पड़ने वाला है । ऐसी स्थिति में जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह एक संतुलित बजट है । इस बजट के दरमियान माननीय वित्त मंत्री जी ने पांचसाला योजना का जिक्र किया । पांचसाला योजना के सिलसिले में उन्होंने सवा 3 हजार करोड़ पये की बनाने की बात कही है । जो प्रदेश की स्थिति है, जो प्रदेश के सामने परेशानियां हैं उसको देखते हुए यह कम है ।

---

†19 जून, 1974 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रभुनारायण]

1960-61 में हमारे प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 246 0 थी जो कि आज बढ़कर 273 रुपये हो गयी । जो कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स 1960-61 में था अगर उसकी तुलना हम 1974-75 के कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स से करें ो मैं कहना चाहता हूं कि जो रियल इंकम 1960-61 में थी और जो रियल इंकम 1974-75 में है, उसमें टोत्तरी हुयी हैं । हमारी परचेजिंग कैपेसिटी में कमी हुयी है। इस सिलसिले में अपनी पांच-साला योजना को बड़े आकार में बनाना लाजिमी हो गया है। मान्यवर में कहना चाहता हूं कि हमारी पांचसाला ोजना 1972-73 के कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स पर बनी थी लेकिन आज कीमतें कम से कम 20 फीसदी बढ़ गयी है ऐसी स्थिति में यह जो 3 हजार करोड़ रुपये की हमारी योजना है इस ोजना में एक कार से कटौ ी हो चुकी है। अतः स योजना पर पुनर्विचार करने की जरूरत है । इस मौके पर में यह और कहना चाहता हूं कि जहां इस पांचवीं पांच साला योजना के लिये संसाधन जुटाने की बात है, संशाधन जुटाना जरूरी है इसमें कोई दो राय नहीं हैं । संशाधन जुटाने के सिलसिले में में फिर कहता हूं कि कोई ऐसा काम न करें जिससे समाज के गरीब वर्ग पर असर पड़े।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में डाक्टर लकड़वाला की कराधान समिति का जिक्र किया है, और इस कराधान समिति का जिक्र करते हुए उन्होंने स बात का संकेत दिया कि जो सवा 6 एकड़ किसानों को मालगुजारी छोड़ी गयी थी उस मालगुजारी को पुनः चालू किया जाय, या नहीं किया जाय इस प्रश्न को भी उस कराधान समिति के सामन रखा गया है।

मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि टैक्स पुनः लगे या न लगे । यह श्न तो सरकार को तय करने का है, समिति को तय करने का नहीं है। समाज के गरीब तथा कमजोर वर्ग पर टैक्स लगे या न लगे, यदि लगे तो कितना टैक्स लगे यह सरकार को तय करना चाहिये समिति को नहीं । मैं समझता हूं कि यह कांग्रेस दल की मंशा नहीं है । कांग्रेस दल के चौधरी साहब ने अपने भाषण में कहा था कि सवा छः एकड़ की भूमि पर मालगुजारी लागू हो । यही मंशा कांग्रस दल की भी थी कि सवा छः एकड़ मि पर स मालगुजारी की समाप्ति खत्म हो। जहां तक चौधरी साहब का जिक्र है उन्होंने ईमानदारी के साथ महसूस किया कि मालगुजारी की समाप्ति नहीं होनी चाहिये । लेकिन चौ री साहब ने यह बात सोची थी कि सवा छः एकड़ पर मालगुजारी लागू हो परन्तु उनका कहना है कि सवा छः एकड़ जमीन बंटवारे में कानून के अन्तर्गत नहीं आ ी ह। तो एसी स्थिति म सवा तीन एकड़ की बात उनके दिमाग में आई थी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर कल दूसरी बात सुना रहे थे और आज दूसरी बात आप सुना रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण---

तो, मान्यवर मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी के भाषण ैर चौधरी साहब के समर्थन के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मालगुजारी वापिस न हो जाय । म इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि संसाधन जुटाने की बात है । लेकिन उसके साथ ी साथ आज मालगुजारी की सेटिलमेंट की बात हो सकती है, जमींदारी छोड़ने के समय जो बड़े काश्तकार थे उनके पास जो काफी अच्छी उपज की जमीन थी उसके आ ार पर यह सेटिलमेंट हो तो ऐसी स्थिति म उन बड़े किसानों से बढ़ी मालगुजारी का भार वसूलना आवश्यक हो सकता है । परन्तु छोटे किसानों के ऊपर मालगुजारी के रूप में टैक्स लगाना आवश्यक नहीं है।

इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में यह बात जो कही गई कि सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखा गया वह वाजिब है । यह बात अच्छी कही गयी है । सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह कहना चाहता हूं कि सन् 1967-68 से 1974-75 के बीच में 200 करोड़ 0 की बढ़ोत्तरी, महंगाई भत्ते के रूप में तथा पे कमीशन लाग् करने में की गई है । साथ ही साथ 1 फरवरी, 1974 से उस महंगाई के बढ़ोत्तरी के सिलसिले में जो 200 करोड़ 0 की बात हुई है उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि ट्रेड यूनियनों का यह तरीका अच्छा नहीं है कि किसी कर्मचारी नेता का बयान न हो कि सरकार ने फरवरी 1974 से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की है यह अच्छा फैसला है ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जिस दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की है वह तारीफ की बात है और यह वाजिब कदम था । इस मामले में सरकारी कर्मचरियों की तरफ से आज इस तरह का बयान आना चाहिये था कि सरकार ने जो मंहगाई भत्ते में वृद्धि की है वह उचित है ।

इस बजट के माध्यम से कृषि की तरक्की के लिये सिंचाई तथा विद्युत पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है । मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बात अच्छी बात है कि इस पर विशेष ध्यान सरकार का है, लेकिन सिंचाई विभाग में, विद्युत् विभाग में, बहुत सी गड़बड़ियां हैं उन पर ध्यान सरकार का जाना चाहिये और मजबूती के साथ जाना चाहिये । आज फर्टीलाइजर में जो भ्रष्टाचार है उसको देखते हुये यह ठीक नहीं है कि जो थोड़ा बहुत फर्टीलाइजर उपलब्ध ह उसमें चोरबाजारी की स्थिति हो । उस चोरबाजारी की स्थिति को रोकना चाहिये और जिस कीमत में हो और जिस हालत में हो उसे आज रोकने की आवश्यकता है । इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्राइवेट ट्रेडर्स के माध्यम से फर्टीलाइजर की बिक्री का सवाल है उसे पूरी तरह से बन्द करना चाहिये और केवल एग्रीकल्चर और कोआपरेटिव के माध्यम से ही खाद का वितरण होना चाहिये । एग्रो और ए ो के साथ प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनके हाथ से बंटवारा खतम किया जाना चाहि । इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि जिस जिले के कृषि विभाग में खाद जाती है वहां छोटे अहलकार पर ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफीसर और डिप्टी डाइरेक्टर पर भी ध्यान देने की बात होनी चाहिये ।

इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सिंचाई तथा पावरका सवाल है न ोनों के मामले में सरकार को पुनः अपनी कार्य प्रणाली में सुधार की स्थिति और चुस्ती की स्थिति लाने की आवश्यकता है । आज इर्रीगेशन विभाग में और पावर विभाग में खरीद और फरोक्त का मामला है वह बहुत खराब हो चुका है । उसमें स्थिति यह है कि अगर 100 रुपये का मामला है तो 50-60% तो वाजिब खर्चा है और बाकी 40% इन विभागों में गड़बड़ी है । ऐ ी स्थिति में सिंचाई मंत्री जी बैठे हुये हैं मैं उनसे और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस प्रकार की जांच हो कि जो नियम या कायदे हैं और जो अधिकार सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को मिले हुये हैं उनसे ज्यादा की खरीद फरोक्त करने की आवश्यकता क्यों हुई और किसलिये हुयी, उनके खिलाफ कार्यवाही होने की बात होनी चाहिये ।

जहां तक पावर विभाग का मामला है, पावर विभाग आटोनोमस बाडी होने के कारण जो पदोन्नति होती है उसमें 7/8 और 10/10 आदमियों को सुपरसीड किया गया है । आज उसके आटोनामस होने की बात कही जाती है जब कि मान्यवर करोड़ों रुपय की सिक्योरिटी सरकार उन्हें देती है, उनकी मदद करती है इसलिये जहां तक सरकार को पालिसी चलाने का सवाल है, सरकार को दखना चाहिये क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है । अगर इस तरह से सुपरसीड लोग होते रहे ो कैसे बोर्ड को ठीक किया जा सकता है । यदि तरक्की के मामले में वाजिब रास्ता नहीं अख्तियार किया गया तो जो गड़बड़ियां हैं खराबियां हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है । अन्त में यह बात कहते हुये कि आज पावर की प्रदेश को सबसे बड़ी

[श्री प्रभु नारायण]

आवश्यकता है उसके बिना न तो खेती की तरक्की हो सकती है और न कोई काम ही हो सकता है इस पर विशेष ध्यान देने की बात सरकार ने कही है और कर रही है। लेकिन उसके साथ-साथ आज चर्चा हुई रिहन्ड की उसमें मुख्य मंत्री जी ने बात कही है कि नहर को रिहन्ड से मिलाने की। मुख्य मंत्री जी ने यह बात भी कही कि सूखे से सूखे की लड़ाई नहीं हो सकती। उन्होंने ठीक कहा। जहां तक कनहर को रिहन्ड में मिलाने की बात है अगर वह हो जाय तो जो पानी की कमी है वह नहीं रह जायेगी और उसी के साथ जो 1800 मेगावाट तापरी का पावर स्टेशन ओबरा में बनाने की बात है और उसकी तरक्की हो ी चली जा रही है, उसके कूलिंग के सिलसिले में रेणु के पानी की जरूरत होगी। और ऐसी सूरत में कनहर को रेनु में मिलाना बहुत जरू ी है। इस तरह से 400 मेगावाट की बिजली जो सुरक्षित और से मिल सकती है वह मिल सकेगी।

आज मुख्य मंत्री जी ने बाराणसी के मुगलसराय और बिहार के बीच में एक हजार मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन बनाने की बात का जिक्र किया। बहुत अरसे से यह बात चल रही है। वहां पर कोयला कम दाम पर मिल सकेगा, कम खर्च पर ट्रांसपोर्ट हो सकेगा और गंगा का पानी भी मिलेगा। मुगलसराय का इतना बड़ा यार्ड है। मुगलसराय और चन ोली के बीच में यह बनाने की बात केन्द्र से चलनी चाहिए। नरोरा की योजना ठीक है। रिहंड भी ीक होने से और मुगलसराय और चन्दोली के बीच में पावर स्टेशन बन जाने से पूरबी क्षेत्र की पावर की समस्या में बहुत कुछ सुधार हो जायगा। इस बजट में छात्रों के कल्याण की भी बात कही गयी है। छात्र आने वाली पीढ़ी के निर्माता होंगे। ऐसी हालत में युवकों की ओर सरकार का ध्यान जाना एक वाजिब कदम है। अन्त में मैं उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री जी का ध्यान पब्लिक सेक्टर की ओर दिलाना चाहता हूं। इस ओर सरकार का जितना ध्यान जाना चाहिए था वह नहीं गया। यदि सचमुच समाजवाद लाना है तो पब्लिक सेक्टर के फैलाव की बात होनी चाहिए। सूखा ोजना को चलाने की बात कई जिलों में कही गयी लेकिन गाजीपुर जनपद को छोड़ दिया गया जो कि सूखा से प्रभावित रहता है और वह पिछड़ा हुआ भी है। जहां जेनेरेटर का सवाल है तो पूंजीपतियों को 50 प्रतिशत छूट देने की बात है। यदि डीजल से पंपिंग सेट लगाने की बात किसान करे तो 50 प्रतिशत अनुदान उसे भी मिलना चाहिए जिससे कि पावर पर कुछ बोझा कम हो सके।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो लेखाजोखा माननीय वित्त मंत्री जी ेश किया है, मैं ारम्भ में ही निवेदन कर दूं कि इससे इस प्रदेश की तरक्की होने वाली नहीं है। जब तक आप केन्द्रित सत्ता, भ्रष्ट प्रशासन, फिजूलखर्ची और कथनी करनी के बीच का फर्क बनाये रखेंगे तब तक कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। चाहे आपका वार्षिक बजट हो, चाहे पंचवर्षीय योजना हो ये सब दिशा विहीन, नीति विहीन है और लगता है कि अज्ञानी लोगों द्वारा यार किये गये हैं जिन्हें पिछड़े क्षेत्रों का गांवों का ज्ञान नहीं ह। अगर इस रास्ते पर चलते जायंगे और खर्च को ही तरक्की का आधार बना लेंगे तो इससे हमेशा गलत नतीजा निकलेगा मंत्री जी ने अपने बजट भाषण म कहा कि यह वर्ष पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है। और चौथी पंचवर्षीय ोजना के अन्त का बजट है। पंचवर्षीय योजना का हवाला बजट में दिया लेकिन उसकी रूपरेखा नहीं दी। मामूली तौर पर कह दिया गया कि तीस हजार करोड़ मांगा है और 21 हजार करोड़ मिलेगा। इस 21 हजार करोड़ की क्या स्थिति होगी। आप चौथी योजना के मुकाबिले में बढ़ेंगे तो कहां जा ंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना और इस योजना के जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं और जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसकी छानबीन कर लें ो नतीजा निकलेगा कि हम सचमुच आगे बढ़ रहे कि नहीं, दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले में। तभी वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो चौथी योजना में लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। उदाहरण स्वरूप, मैं सबसे पहले प्रति व्यक्ति जो आय है, उसके बारे आंकड़े रखना चाहता हूं। 1960-61 में मूल्य के आधार पर चौथी योजना का लक्ष्य रखा गया था 279 पये लक्ष्य रखा गया था। लेकिन परिणाम क्या निकला 246 इसी तरह से 1968-69 में 286 का लक्ष्य था और हासिल किया, 273 सन् 1960 से 1974 तक, यानी 13 वर्षों में, केवल 27 रुपये हासिल किये जो 0.7% आता है या कह सकते हैं कि कोई उपलब्धि नहीं हुयी। तो यह चौथी पंचवर्षीय ोजना की उपलब्धि है, जो प्रत्यक व्यक्ति की आय के आधार पर है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या प्रगति हुई। देहात में एक कहावत कही जाती है--'तांत बाजी, राग बूझा'। प्रत्येक व्यक्ति सालाना आमदनी नहीं के बराबर है। इसके अलावा ऐसे भी व्यक्ति है जो इस गरीबी की सीमा-रेखा के नीचे रहे हैं--और जिन्हें हरिजन कहते हैं, जिनके बारे में आप रात-दिन, अखबारों में, रेडियो में, सोते-जागते बखान करते रहते हैं। इनकी आमदनी जब 1970 से आज तक नहीं बढ़ी है ो नका हाल क्या होगा। आप रोजाना इनके बारे में अपने भाषणों में घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं। यह उपलब्धि आपके आंकड़ों के हिसाब से है, अगर आपके आंकड़ों को सत्य मान लें। वैसे आपके आंकड़े प्राय: सत्य नहीं होते, क्योंकि उनको बढ़ा-चढ़ा कर छापा जाता है। तो आप गरीबों के लिये कुछ नहीं कर रहे है। अगर किसी के पास गंजी है, कुर्ता है, गमछा है, तो आप उनको भी उससे छीन रहे हैं और उसकी धोती भी उतरवा रहे हैं। यही आपके समाजवाद का चित्र है। यही आप की चौथी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि है।

दूसरी प्रगति की कसौटी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में यह बतलाई कि वह देश ज्यादा प्रगति की ओर बढ़ता माना जायगा जिसकी आबादी का बोझ कृषि पर घटेगा यानी राष्ट्रीय आय कृषि का योगदान घटता जायगा और दूसरे श्रोतों से उसकी आमदनी बढ़ती जायगी। अ मेंर इस सिद्धान्त को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो आप देखेंगे कि जहां राष्ट्रीय आय में गकृषि का योगदान 60-61 में 60.9 प्रतिशत था यह आय 70-71 में घ कर रह गयी केवल 57.9 प्रतिशत यानी 3 प्रतिशत का अन्तर। यदि आंकड़ों के हिसाब से हम 1973-74 का हिसाब ले लें तो मंत्री जी ने बजट भाषण में स्वयं बताया है कि वह 2.3 बढ़ गया। इधर 2.3 प्रतिशत बढ़ गया और उधर 3 प्रतिशत कम हो गया तो इससे यही सिद्ध होता है कि कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में जहां था वहीं रहा, बढ़ा घ टा इनहीं। इस तरह स आप खेंग कि प्रदेश प्रगति नहीं कर रहा है, स्टैंड स्टिल है।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी गढ़वाल) ---

69-70 के जो आंकड़े आप बतला रहे है उस समय संविद सरकार थी, इससे प्रदेश को पीछे हटना पड़ा।

श्री राम सेवक यादव---

26 साल के दिल्ली के कांग्रेसी शासन में संविद की सरकार केवल 7,8 महीने रही लेकिन संविद का चिकारा बचाने के लिये माननीय सदस्य बेशर्मी से खड़े हो जाते हैं। 26 साल कांग्रेसी शासन के खाज व कोढ़ को हुए हो गये। इस तरह से यह सरकार सोचे कि उसने जो कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में घटाने की बात की थी वह घट नहीं रहा है बल्कि ज्यों का त्यों है। इस तरह से जिस बनियाद पर तरक्की की बात की जाती है वह बुनियाद ही खत्म हो जाती है।

इसी सिलसिले में मैं यह बतलाऊंगा कि योजना की सफलता का आधार यह नहीं होना चाहिये जैसा मंत्री जी ने बतलाया कि कितना रुपया किस मद में रखा। आपके आंकड़े बतलाते हैं कि आधा रुपया लैप्स हो जाता है, कहीं-कहीं फिजूलखर्ची हो जाती है। आधार

[श्री राम सेवक यादव]

यह होना चाहिये कि जिस मद पर आपने रुपया रखा है उसका लाभ उन लोगों को मिला जिनके लिये वह रुपया रखा गया था और जिस काम को आप करना चाहते थे उसमें आपको सफलता मिली अथवा नहीं मिली। उदाहरण के लिये कृषि उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था 56 फीसदी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत। 1968-69 में अन्न का उत्पादन 160 लाख टन था और 1972-73 के आंकड़ों के हिसाब से 180 लाख टन का उत्पादन हुआ यानी केवल 20 लाख टन की बढ़ोत्तरी हुई। 5 वर्ष में इस तरह अगर 4 साल टन की बढ़ोत्तरी मान लें तो यह जो 5, 6 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था उससे आधे से भी कम प्रगति कृषि के उत्पादन में हो सकी। इस तरह से जो प्रगति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसका आधा भी पूरा नहीं कर सके। यह सरकारी आंकड़ों से सिद्ध होता है। और वास्तविक आंकड़े जो भी हैं, वह सब जानते हैं। यह है आपकी चतुर्थ पंच वर्षीय आयोजना की उपलब्धि। आपके किसी भी उद्देश्य की पूर्ति उसमें नहीं हुई। वह आधे से भी कम है। क्योंकि आपने कृषि की उपेक्षा की है।

माननीय नेता विरोधी दल ने तथा उधर के बैठने वाले लोगों ने जिन्होंने सोचा होगा, मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि खेती की उपेक्षा हुई है। कहां तक उपेक्षा हुई है, अब मैं इसे बताना चाहता हूं। पहली बात है--सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धि। आपने अभी तक कुल खेती के 1/4 हिस्से को ही पानी दिया होगा। इससे ज्यादा नहीं दिया होगा। आपके ही यहां से जो आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार 1950-51 में खेती को जो पानी मिलता था वह 38.8 तिशत था। 1970-71 में जो पानी मिला वह कुल 42.6 प्रतिशत और 1972-73 में जो पानी की व्यवस्था की गई उसके लिये तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है क्योंकि आप कहते हैं कि आसमान जबाव दे रहा है, रिहन्ड में पानी न होने से बिजली फेल हो रही है, अन्य कोई सिंचाई के साधन नहीं है। इन आंकड़ों को यदि देखा जाय तो जिस हिसाब से आप 20 वर्ष में सिंचाई के लिये पानी दे पाये हैं उस हिसाब से कुल खेती की सिंचाई के लिये पानी देने की व्यवस्था आप 100 वर्ष में कर पायेंगे। कुल खेती को 100 वर्ष में पानी मिल पायेगा। इस स्थिति को देख कर आज लोगों में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है, बेकारी और महंगाई के कारण आपकी नीतियां फेल हो गई हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के साहस और धैर्य को दाद देता हूं कि वह फिर भी किसान से कहते हैं कि घबराना मत, 100 वर्ष में सिंचाई की समस्या दूर हो जायेगा। इसी तरह से आपने डेढ़ सौ वर्ष में सभी को शिक्षित बना दन का विश्वास दिलाया है। सारे देश का हृदय जो यह प्रदेश है वह हर मामले में पिछड़ता जा रहा है।

उर्वरक का मामला आप देख लीजिये। इसके बारे में जितना न कहा जाय, उतना ही ठीक है। इस देश में 80 प्रतिशत लोग खेती पर गुजर करते हैं और इस 80 प्रतिशत में 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास अलाभकर खेती से भी कम है। उनको उर्वरक कहां से मिलेगा। पहले यूरिया की खाद जिस दाम पर मिलती थी उस दाम पर आप दे नहीं सकते। यह आपके भ्रष्ट प्रशासन, वितरण की गन्दी प्रणाली और अधिकारियों तथा सहकारी समितियों की देन के कारण ही है। खाद का दाम पिछले साल 52-54 रुपये कानूनी तौर पर निश्चित था लेकिन उसे ही लोगों ने 100 रुपये बोरी खरीदी। आज उसका दाम आपने 103 रुपये कर दिया है। अलाभकर जोत के जो किसान है उनको यह खाद मिलने वाली नहीं है। दूसरे अगर वहां खाद चली भी जाय तो छोटे किसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वह इतनी मंहगी खाद खरीद सके और उसे अपने खेत में डाल सके। उसका नतीजा यह होगा कि खेती की पैदावार गिरेगी तथा स्थिति और भयावह हो जायेगी।

जहां तक बिजली का सवाल है, आप रोज यहां पर देखते होंगे कि बिजली गायब हो जाती है। आपके ही विधायक निवास में आज बिजली फेल हो गई थी। तो जब सरकार

की ही बिजली फेल हो जाती है तो गांवों की क्या हालत होगी। न नलकूप ठीक से चल पा रहे हैं, न उद्योग धन्धे ठीक से चल पा रहे हैं। माननीय प्रभुनारायण सिंह मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि उन्होंने सवा छः एकड़ वाली लगान की बात कही थी या नहीं कही थी। प्रभुनारायण जी जब इधर थे तो उससे इत्तिफाक करते थे और अब भी करते हैं।

जमीन की पैदावार की हालत यह है और कम है बड़े ट्रैक्टरों का इस्तेमाल और उनका प्रोडक्शन। बड़े ट्रैक्टर कौन खरीदेगा, 5 एकड़ और 3 एकड़ के किसान कितने हैं, वह भी ट्रैक्टर 25 हार्स पावर वाले और वह भी विदेशों के। आप कृषि में उन्नति चाहते हैं और आधार है आपका खेती का बड़ी खेती वाला। आपकी योजना में और कर्म में, दिशा और नीति में कोई सामंजस्य नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके चलते छोटे किसानों का या कृषि का कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि रही वह ठीक नहीं रही है और 73-74 वर्ष की जो हालत है, उसमें कृषि इस तरह से घटेगी। छोटे किसानों की तरफ विशेष ध्यान नहीं जायेगा तो उससे कुछ चलने वाला नहीं है। मंत्री जी कहेंगे कि मैंने इसमें छोटे किसानों के लिये प्राविधान किया है। आपने इस हेतु स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी का जिक्र किया है। प्रदेश में 80 प्रतिशत खेतिहर लोग हैं और उसमें भी 80 प्रतिशत छोटे किसान हैं। अब इतना बड़ा अपना सूबा है, जिसमें 54 जिले हैं, अब पूरे सूबे में शायद ही कहीं कमल की खेती होती हो, मैं नहीं जानता। कमल की खेती हजरतगंज और सेक्रेटेरियट छोड़ दीजिये, लेकिन पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, किन्तु आपने इसमें कितने जिले चुने हैं, इसके अन्तर्गत। 55 जिलों में से केवल 4 जिलों में यह स्कीम है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

लेकिन उनके लिए लीड बैंक स्कीम हर जिले में है।

श्री राम सेवक यादव---

इस एजेंसी का क्या है, जितना धन आबंटित हुआ है, उसका आधा भी धन नहीं खर्च हुआ है। आपकी एक अन्य स्कीम है मार्जिनल फार्मर्स एण्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स योजना। यह योजना कहां है, वह भी दो जिलों में केवल है। यह भी मैं भूल में कह गया, दो जिलों में नहीं बल्कि दो जिलों की दो तहसीलों में केवल यह योजना है बलिया का रसडा और मथुरा का छाता। और बाकी सब जगह ठीक है नहीं। यह 3 वर्ष से है और इसकी क्या उपलब्धि है? कुछ नहीं है। हमको यही जानकारी है, मन्त्री जी को इससे अधिक जानकारी हो तो वह मुझे बता दें, मैं सही कर लूंगा। इलाहाबाद में एक ऐसी संस्था है, वह मूल्यांकन करती है इस तरह के कामों का। उसका कहना है कि यह जो मार्जिनल फार्मर्स एण्ड एग्रीकल्चरल लेबरर्स योजना बनाई गई है, उसके पास आंकड़े ही नहीं है, उनके पास कितने लोग हैं, ऐसे कितने किसान हैं इसकी कोई जानकारी उन पर नहीं है। जब इसकी ही जानकारी नहीं है तो क्या तरक्की का काम होगा यह सोचने की बात है। इसका नतीजा क्या है? आज अपने प्रदेश में जो पैदावार है पूरे देश की तुलना में वह गिरती चली गई है और औसत में भी कम है।

एक बात मैं और निवेदन करूं मन्त्री जी ने किसी अन्न-सेना का जिक्र किया है। उसके बारे में दो बार जुमला लिखा है। उससे समझ में नहीं आता कि अन्न-सेना से मतलब क्या है। माननीय मन्त्री को याद रहा होगा, हम और वह इधर ही बैठते थे, इसीलिए अन्न-सेना रखा है। आप लोग शब्द चोर हो। आप लोग ढ़ांचे से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम नहीं करते। आप लोगों को जनतन्त्र के ढ़ांचे से प्रेम है, जनतन्त्र की आत्मा से नहीं। समाजवाद शब्द रख लिया है, समाजवाद की आत्मा से कोई मतलब नहीं है। आपका विकेन्द्रीकरण से वास्ता है लेकिन विकेन्द्रीकरण से कोई प्रेम नहीं है। मैं समझता हूं कि विकेन्द्रीकरण का लाभ उठायेंगे आपके डिप्टी कलेक्टर लोग। विकेन्द्रीकरण में अफसरशाही

[श्री राम सेवक यादव]

न बढ़ाइये। विकेन्द्रीकरण में जनता की शक्ति बढ़ती है। जिस तरह आपका विकेन्द्रीकरण है उसी तरह आपने कहा है अन्न सेना। अन्न सेना का मतलब है कि जो गरीब हैं, हरिजन हैं, खेती लायक जमीन को तोड़ने के बाद उससे पैदा करें, श्रम का इस्तेमाल करके तो उससे समाज का हित होगा। लेकिन आप ढ़ांचे के रूप में ला रहे हैं। उससे न हमें संतोष होगा न जनता को संतोष होगा क्योंकि आपने ढ़ांचे के रूप में हर चीज ले ली, जनतन्त्र, समाजवाद, कारपोरेशन, स्वायत्तता। लेकिन है सब वाह्य आडम्बर। अन्दरूनी तरीके पर सब खत्म हो चुका है। सिर्फ शब्द जाल बना कर रखा है।

पूरे देश के मुकाबले में आपकी औसत पैदावार क्या है। 1972-73 के हिसाब से चावल का क्षेत्रफल पूरे देश का 12 प्रतिशत है, और उपज है 8.30 प्रतिशत। इसी तरह मक्का का क्षेत्रफल 26 प्रतिशत है और उपज 21 प्रतिशत। इसी तरह से तेलहन का क्षेत्रफल 25 प्रतिशत है और उपज 21 प्रतिशत है। गन्ने का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत है और उपज 41 प्रतिशत है। गेहूं में जरूर हम बराबर हैं। लेकिन इस साल हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि जैसे और सब जगह कम हैं उसी तरह से गेहूं में भी कम हो जाय। सब चीज में कम हैं तो गेहूं में क्यों न कम हो। लिहाजा उस कमी को भी पूरा करेंगे। सीमेंट का उत्पादन 1960 में 3 प्रतिशत था 1970 में 2.5 प्रतिशत हो गया। इसी तरह से डालडा का उत्पादन 1969 में 22.2 प्रतिशत था और 1970 में 19.3 प्रतिशत हो गया। कपड़े का उत्पादन 1960 में 7.4 प्रतिशत था और 1970 में 6.1 प्रतिशत हो गया। दुनिया में तरक्की का मापदंड है कि पैदावार बढ़े। हमारे यहां मापदंड है कि पैदावार गिरे। अगर यह मापदंड है तो आपको मुबारक। देश की जनता मुबारकवाद नहीं देगी। इसके साथ-साथ कागज का उत्पादन 1960 में 7.1 प्रतिशत और 1970 में 4.2 प्रतिशत। चीनी का उत्पादन 1960 में 60.49 प्रतिशत और 1970 में 38 प्रतिशत।

(व्यवधान)

ये आंकड़े आपके दफ्तर से मंगाये हैं, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हैं। इसी तरह से हरिजन कल्याण है। थोड़ी सी बात कह कर खत्म करूंगा।

हरिजन कल्याण विभाग पर उन्होंने कहा कि पहले 11 करोड़ का खर्चा था अब 14 करोड़ होगा। हमारे हरिजन भाई रेडियो पर सुनकर खुश होंगे। हरिजनों की आबादी 20 प्रति सैकड़ा के हिसाब से लगाएं तो दो ढाई करोड़ होगी। इन ढाई करोड़ के लिये आपने 11 करोड़ रुपया रखा है जो अब 14 करोड़ हो गया है। लेकिन मंहगाई बढ़ जाने के कारण जो 14 करोड़ का प्राविधान किया है वह घटकर 10 करोड़ ही रह जायेगा। इस पर भी आप कह रहे हैं कि हरिजनों का कल्याण कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 6 हजार मकान बनायेंगे। मैं परिवारों का हिसाब लगाकर कह रहा हूं कि करीब 70 लाख परिवार होंगे। उनके लिए क्या 6 हजार मकान समस्या के अनुरूप होंगे? यह लेमन जूस देना बन्द कर दें। लोग मकान क्यों बनाते हैं। उनके पास कोई न कोई साधन जरूर होते हैं। आप सहकारी विभाग के भ्रष्टाचार को खत्म करके एक भूमि-हीन बेरोजगार परिवार को रोजगार देंगे तो समस्या का समाधान होगा। लेकिन लैमन जूस देने से कोई फायदा नहीं होगा यह आपके हरिजन कल्याण की बात है।

इसी प्रकार से योजना के बारे में कहा था। यह बढ़ नहीं रही है। आपने 3 हजार करोड़ मांगा है लेकिन 2100 करोड़ ही मिलेंगे। जो आपके परफामेन्सेज रहे हैं उनसे आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं बल्कि पीछे हटने वाले हैं। आप चाहते हैं कि आपका प्रदेश तरक्की करे। लेकिन वह होने वाला नहीं है। केन्द्रीय सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आपने हमेशा देश को प्रधान मन्त्री अपने यहां से दिया है जिसकी बड़ी भारी कीमत हमको चुकानी पड़ रही है। यहां लोग नंगे घूम रहे हैं, भूखों मर रहे हैं,

रिक्शा खींचते हैं तथा बम्बई जैसी महानगरी में मजदूरी करते हैं। आप तो खाली झुनझुना बजाइये और लट्टू घुमाइये। चाहे आपके प्रदेश की जनता नंगी रहे और भूखों मर जाये। क्या इसी तरह से प्रदेश का कल्याण होगा।

मैं श्रीमन्, इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि बिक्री-कर को ही ठीक कर लें और अपना बर्जटिंग ठीक कर लें तो मामला सुधर सकता है। आपने इससे केवल 11 करोड़ की आमदनी का अनुमान लगाया है। अगर वर्षा ने हमारा साथ दे दिया और मैं चाहता हूं कि वर्षा हमारा साथ दे और हमारे यहां तरक्की हो तो लोग खरीद फरोख्त के लिए बाजार में ज्यादा जायेंगे। यह आमदनी कम से कम 70/80 करोड़ रुपये तक हो सकती है। आपने जो 11 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है तो इससे वित्त विभाग अफसरों और व्यापारियों को गठबंधन करने का फैसला किया है। अगर इसी को आप ठीक कर लें तो काफी आमदनी हो सकती है। इसके अलावा बिक्री-कर जो 25-30 करोड़ रुपया बकाया है उसको वसूल कर लें तो फिर आपने जो टैक्स लगाये हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी और आपका डेफीसिट बर्जटिंग भी ठीक हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारे सदन में 1974 का बजट प्रस्तुत है। मैं इसका समर्थन करते हुए कुछ शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस बजट में हरिजनों को दिया जाने वाला खर्चा साढ़े 15 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह की जो वृद्धि हरिजनों के विकास के लिये की गई है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीवन में आल इंडिया सेंट्रल कास्ट फेडरेशन का प्रेसीडेंट भी रहा हूं।

(इस समय 1 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवई, पीठासीन हुईं।)

मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हरिजन छात्रों की ओर आकर्षित किया था। जो हरिजन छात्र छात्रावास में रहते हैं उनको सरकार की ओर से 50 रुपया मिलता था और जो हरिजन छात्र छात्रावास में नहीं रहते हैं उनको 27 रुपया मिलता था। अब इस धनराशि को बढ़ाकर अधिक कर दिया गया है। जिन छात्रों को 50 रुपया मिलता था उनको अब 100 मिलेगा और जो 27 रुपया पाते थे उनको ड्योढ़ा कर दिया गया है। इससे हरिजन छात्रों को अपने अध्ययन में किसी परेशानी का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। मैं इसके लिये माननीय वित्त मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया।

यही नहीं चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया। अभी तक अढ़तिया और मालिक इन मजदूरों से काम करवाते थे और जब माल तैयार हो जाता था तो मनमाने दामों पर बेचते थे। इसे हमारे सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे। इसका सबसे बड़ा असर कानपुर और आगरा के मजदूरों पर पड़ा है। हमारे मंत्री जी ने लेदर कारपोरेशन की स्थापना की है जिससे मजदूरों को काफी फायदा हुआ है। माननीय नेता विरोधी दल चौधरी साहब जैसी उनकी आदत है वह बोलना जानते हैं लेकिन सुनना नहीं जानते हैं। वह जिन आंकड़ों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं उनको हमारे साथी माननीय रामसेवक यादव उठा लेते हैं और उनके आधार पर अपनी बात सदन में रखते हैं। आप वरिष्ठ विधायक हैं आपका नम्बर बोलने में अधिक आ जाता है। मैं एक छोटा विधायक हूं और मेरा नम्बर बोलने में बहुत ही कम आ पाता है। इसलिए मैं सम्मानित सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि एक छोटे विधायक की भी बात को सुनें।

[श्री गौरीशंकर]

तो मैं कह रहा था। इतिहास में हूंण राजा, बराह मिहर जो अपनी फौज को क्रूर बनाने के लिए उसके सामने बकरे कटवाया करते थे। उसी प्रकार से चौधरी साहेब ने भ्रष्टाचार के जाल में डालकर हरिजनों को जिसप्रकार से काटा है वह किसी से छिपा नहीं है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिस दल ने, उन्हें राजनैतिक जीवन दिया उसी दल से वे 17 विधायकों को लेकर अलग हुए। वह यहां के अकबर अवश्य नहीं बन सके, यहां के अशोक तो नहीं बन सके लेकिन वह दलबदलुओं के सम्राट अवश्य बन गये। माननीय चौधरी साहेब ने प्रजातंत्र में राजनैतिक वैश्यावृत्ति का जन्म दिया है, यह कहना अनुचित नहीं है। चौधरी साहब 1967 में मुख्य मन्त्री भी रहे हैं और कांग्रेस में रहकर वे मन्त्री भी रहे हैं। हरिजन विधायकों ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उनपर अत्याचार होता है। यदि आप उनके हितों को ध्यान में रखते तो हरिजनों से पुलिस में दरोगा नियुक्त कर दिये होते।

चौधरी साहब ने अपने मुख्य मन्त्रित्वकाल में एक काम और भी जोरदार किया। एक वर्ग विशेष के कांस्टेबिलों को तरक्की देने के लिए आपने ए0एस0आई0 का काडर बनाया। उसमें 1000 हेड कांस्टेबिल को ए0एस0आई0 बनाये गये। आपके समय में प्रदेश में हरिजन, कांस्टेबिल से हेड कांस्टेबिल कैसे बन सकता था। परिणामस्वरूप ऐसे 1000 ए0एस0आई में से हरिजनों की संख्या 10 भी नहीं थी। उस समय के हरिजन वर्ग के विधायक व मन्त्री श्री राम लखनवी ने आपको लिखकर यह प्रस्ताव दिया कि 1000 हेड कांस्टेबिलों की प्रोन्नति से 1000 स्थान सिपाहियों के रिक्त हुए हैं। चूंकि हरिजन ए० एस0 आई0 के पद के लिए विभाग में नहीं है। अतः 25 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 250 हरिजन कान्स्टेबिल बना दिये जायं। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आपने तत्कालीन मन्त्री श्री राम लखन जी को इस पत्र का उत्तर तक नहीं दिया। सरकारी सेवाओं में माननीय वतमान मुख्य मन्त्री जी जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने तो 50 प्रतिशत आरक्षण हरिजनों के लिए कर दिया है। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल, जो अपने को पिछड़े वर्ग का नेता कहते हैं, के दिमाग में यह बात नहीं आई कि हरिजनों का आरक्षण पूरा कराया जाय।

माननीय नेता विरोधी दल अपने को एक कुशल प्रशासक भी समझते हैं। यह कैसी कुशलता कि नीचे के अधिकारी शासन के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करें और शिकायत करने के बावजूद भी आप कोई कार्यवाही न करें। आपने-अपने काल में हरिजनों को सेवाओं में कोई समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि जो हरिजन अधिकारी या कर्मचारी सेवाओं में अपने मां–बाप के खून पसीने की कमाई से पढ़कर आ गये थे उन्हें सेवाओं से निकाला व निलम्बित किया और उन्हें कितने तरीके जलील करने के हो सकते थे वे सब आपने किये। आपने अपने समय में जितने हरिजन कर्मचारी सेवायों से अलग किये तथा निलम्बित किये वह आपकी हरिजन विरोधी नीतियों की बमिसाल दास्तानें हैं। आप पिछड़े वर्ग की बात तो बहुत करते हैं परन्तु जब-जब आप मुख्य मन्त्री रहे तब आपने कोई सुविधा हरिजन वर्ग को तो दी ही नहीं। किसी पिछड़े वर्गों के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। आप यह कहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में लोक सेवा आयोग के लिए एक हरिजन सदस्य नियुक्त किया। यह मांग बहुत दिनों से चल रही थी। उस मांग को आपने पूरा किया लेकिन लोक सेवा आयोग में जिस व्यक्ति को लिया गया उससे भी आपको हरिजन विरोधी नीति का सबूत मिलता है। स्व0 दौलतराम निम जीवन भर न्याय के लिए संघर्ष करते रहे तथा अन्त में जब श्री निगम को डी0 आई0 जी0 बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए तो आपने उन्हें डी0आई0जी0 न बनाकर लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया जिससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद से वंचित हो गये। दाद देता हूं चौ0 साहब आपको इस सूझ-बूझ के लिए, एक तीर से आपने दो शिकार अच्छे किये।

माननीय चौधरी साहब ने इस जातियों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। उल्टे आपने इन जातियों में राजनीतिक विषमता पैदा की, जातिवाद का जहर फैलाया। हरिजन मजदूरों को पिछड़े वर्ग के किसानों से पिटवाया। महिला समाज को प्रशासन के लिए अयोग्य घोषित करके उसका जितना अपमान कर सकते थे आपने किया। आप तो तुलसी के इस सूत्र को अपनाया "ढोल, गंवार, शुद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी", और इस प्रकार से आपने नारी को भी कह दिया। "Ladies are not fit for admiristrative posts" और उन्होंने Nitzoche दर्शन अपनाया जो यह कहता है—

"Every thing in a woman is tiddle and in every thing in a women hath one answer, its name is child-bearing man for a woman is a means, the end is always the child but what is a woman for a man?..... a dangerous toy. A man shall be educated for over and woman for the recreation of the warriors and everything else is folly."

तो आपने उस परिपाटी को अपनाया। आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन किया है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

आपने एक भविष्य वाणी की थी कि 28 फरवरी को आल इंडिया रेडियो घोषणा करेगा कि आप प्रदेश के मुख्यमन्त्री होंगे आपके कुछ माननीय सदस्य यहां सदन में आ गये। पिछड़ी जाति के भाई जो अशिक्षित होते हैं, जिनमें राजनीतिक सूझ-बूझ नहीं है, अगर उनके दिमाग में यह बात क्लियर हो जाती तो आप विश्वास रखिये कि आपके आधे सदस्य भी यहां पर चुनकर न आते।

आपने क्या क्या नहीं किया। आपने बिजली बोर्ड का चेयरमैन बनाया। इसी सचिवालय में एक अपर डिवीजन असिस्टेन्ट को आपने पी0 सी0 एस0 के रैंक पर प्रोन्नत किया और अब वह डिप्टी केन कमिश्नर है। आप प्रजातंत्र और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं आपके भाई मान सिंह के खिलाफ कितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं लेकिन उनके साथ आपने बन्धुत्व, को निभाया और जो शिकायतें थीं उनको दबा दिया।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ। (माइक बन्द कर दिया गया)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

इनके ससुर को चौधरी साहब ने सस्पेन्ड किया था इसलिए क्या आप इतने नाराज हैं ?

श्री राम सेवक यादव—

पता नहीं क्या आपके ऊपर चौधरी साहब का भूत सवार है ?

श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। अभी हमारे नौजवान साथी जो कांग्रेस के बोल रहे थे यद्यपि वे बजट पर बोल रहे थे जो महज एक धोखे का बजट है लेकिन बड़ी लम्बी डींग हांक रहे थे हरिजन सुधार की। शायद वे इसी बिरादरी के हैं जिनको थोड़ी बहुत सुविधा मिली है। इस देश में मान सिंह और जयचन्द्र जैसे लोग पैदा हुए हैं और उन्हें मुहम्मद गोरी और अकबर ने यह लालच दिया कि तुम हमारे साथ रहो, पृथ्वी राज को हराओ, दिल्ली का शासन तुम्हें मिलेगा। उसी प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने थोड़ा सा टुकड़ा हरिजनों को फेंका कि तुम्हें एम0 एल0 ए0 बना दिया

[श्री आशा राम यादव]

जायगा, तुम्हें आई० ए० एस० या पी० सी० एस० बना दिया जायगा । आज जो हरिजन भूख से कराह रहा है, उसे रोटियां नहीं मिल रही है, पहनने के कपड़े नहीं हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, क्या आपको उनकी भी याद आती है ? नहीं (व्यवधान)

मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक टुकड़ा फेंक कर आपको एम० एल० ए० बना दिया गया । आप यहां आकर अपने भाइयों को भूल गये । आज वे किस स्थिति में हैं ? आप इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि जो बजट में प्राविधान किया जाता है, उसमें से हरिजनों को कितना मिल पाता है । छात्रों को जो अनुदान दिया जाता है तो उसमें क्लर्क कहता है कि इतना पैसा दो तो तुम्हें इतना देंगे । क्या उसकी भी याद है? हरिजनों को मकान बनाने के लिये पैसे दिये जाते हैं, क्या उनका सदुपयोग हो रहा है, इसकी याद उनको नहीं आयी । चौधरी साहब की आलोचना करना याद रह गया केवल । क्योंकि कांग्रेस के टुकड़ों पर पल रहे हैं । उन्होंने थोड़े से टुकड़े फेंक दिये कि एम० एल० ए० हो जाओ, भूल जाओ अपनी बिरादरी को और मेरी तारीफ करो । . . . . (व्यवधान) चूंकि सुनने की उनमें हिम्मत नहीं, छोड़िये इसे ।

अधिष्ठाता महोदया, यह उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश किया गया है तो बहुत शब्दों के जाल में फंसा कर उत्तर प्रदेश की जनता को और नरक के गर्त में मिलाने वाला है । जनता को इससे कोई लाभ नहीं होगा । क्योंकि लच्छेदार भाषा को उसमें पेश करके यह दिखाया गया है कि साल भर में बहुत बड़ी उन्नति हो जायगी और जो कुछ किया गया है उसके साथ ही साथ कुछ जिलों के प्रति बड़ी ही उपेक्षा की नीति बरती गयी है । मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं । अप्रैल में पूरे मिर्जापुर का मैंने दौरा किया और देखा कि दुद्धी और राबर्टसगंज की क्या हालत है । बैठे हुए मन्त्रिमण्डल में कुछ सदस्य मौजूद हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उस इलाके में जाकर देखें मैं दिखा दूंगा कि वहां का इंसान पेड़ की पत्तियां और फल खाकर जिन्दा है । आपने इस बीच में उनके लिये कुछ प्राविधान किया कि रोटी उनको हम कैसे देंगे?

इसी सदन में 1968–69 में मिर्जापुर के एक सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि वहां का इंसान भूख से कितना पीड़ित है कि राबर्टसगंज का निवासी अपने बच्चों को बेचता और उस पैसे से अपने पेट का भरण-पोषण करता है । तोक्या इस बजट में उनके भोजन का कुछ प्रबन्ध किया गया ? उसके बावजूद खाद्य मन्त्री महोदया ने जो वहां राशन की दुकानों पर राशन जाता रहा वह मई से नहीं जा रहा है, ऐसी व्यवस्था कर दी । आज वहां की जनता केवल पीपल की पत्ती और अन्य पत्तियों को पका कर, नमक डाल कर अपना जीवन व्यतीत कर रही है और वह भी हफ्ते में 2–3 दिन मिल पा रहा है । कोई भी सदस्य चल कर देख सकता है । म गारन्टी से कहता हूं और इस तरह का जब मैंने स्टेटमेन्ट दिया पेपरों में तो जिलाधीश ने कहा कि यह गलत है । मन्त्रिपरिषद् के एक सदस्य का एक वक्तव्य आया कि सूखा नहीं है, उत्पादन बहुत काफी हुआ है क्योंकि मैंने बहुत बंधियों बनवा दी है । एक तरफ आप कहते हैं कि रेहंड डैम में पानी नहीं आया, बिजली कम हो गयी तो बंधियों में पानी आया कहां से और कहां से सिंचाई हो गयी और उत्पादन हो गया? कैसी बेतुकी बातें हैं? उधर कहते हैं कि पानी नहीं बरसा और दूसरी तरफ कहते हैं कि बंधियां बहुत बन गयीं जिससे पानी आया, सिंचाई हुई । इसी तरह यह बजट मृग-मरीचिका माया जाल जैसा जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है ।

माननीय वित्त मन्त्री ने सबसे पहले बजट में दिखाया कि 1973–74 में किस तरह से उन्नति की गयी, यह प्रदेश कैसे आगे बढ़ा । उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन की वृद्धि हुई सिंचाई में वृद्धि हुई, नल-कूप अधिक लगाये गये, रहट और कुएं अधिक खोदे गये । पर जनता यह नहीं जानती कि आपने क्या खोला, क्या बन्द किया । जनता तो यह जानती है कि क्या आपने उसको रोटी दिया? क्या आप बढ़ती हुई महंगाई को रोक पाये? इसका कारण है कि

बजट में दिखाया कि यह वृद्धि हुई लेकिन यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि लोग भूखों कितने मर गये और कितने लोग हफ्ते में एक दिन भोजन करके जिन्दा हैं और पीपल की पत्तियां खा रहे हैं। आपने यह नहीं दिखाया केवल ऊपरी ढांचा खड़ा कर दिया। आपने दिखाया कि हरिजनों को नौकरियां दी जायेंगी और विशेष कर एक चीज दिखाई कि इलाहाबाद तथा बांदा की कोल जातियों को तथा पिथौरागढ़ और चमोली की भोटिया और थारू जातियों को आर्थिक तथा शैक्षिक उन्नति के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की जायेंगी, लेकिन क्या मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या वहां कोल और गोंड आदिवासी जातियां निवास नहीं करतीं? उस जिले को क्यों काट दिया गया जैसे अन्य पहाड़ी जिलों को आपने लेवी से छूट दी वैसे ही मिर्जापुर जिले को क्यों नहीं दी? क्या मिर्जापुर एकदम उपेक्षित जिला है? उसके प्रति आपका ध्यान नहीं जा सकता? जिस जिले से प्रदेश को सबसे अधिक आमदनी होती है उस मिर्जापुर जिले की इतनी उपेक्षा। सरकार से मेरा आग्रह है कि मिर्जापुर जिले को भी पहाड़ी जिलों में जोड़ लिया जाय जैसे अन्य जिलों को रखा है।

इसके अलावा रोजगार के लिये 589 करोड़ रुपया केन्द्र से इस प्रदेश को मिला था। उससे केवल 46,837 लोगों को नौकरियां दी गयीं। इतनी ही रकम इस साल भी केन्द्र से आपको प्राप्त होने वाली है। और बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अनुमान सरकार को है। फिर सरकार ने अलग से उसके लिये कोई प्राविधान क्यों नहीं किया? जब आदमी भूख से कराहेगा तो क्या नहीं करेगा। भूख की ज्वाला जब बढ़ेगी तो उसमें यह पूरा प्रदेश और मंत्रिमण्डल तहस-नहस हो जायगा और साल बीतते बीतते गुजरात और बिहार की स्थिति यहां भी पैदा हो जायगी और यह मंत्रिमण्डल खतम हो जायगा।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। सरकार को दो विधेयक और लाना चाहिये। एक तो जो बेरोजगार हैं उनको अगर सरकार रोजी न दे सके तो बेकारी का भत्ता दे। दूसरे जो भिक्षा वृत्ति करते हैं उस पर रोक लगाये और हर जिले में एक कर्मशाला खोली जाय जिसमें उनको काम दिया जाय और बदले में उनको रोटी दी जाय।

इसके अलावा सरकार ने कहा है कि विद्यार्थियों का एक परिषद् बनाया जायगा। यह केवल विद्यार्थियों में फूट डालने के लिये हैं। ताकि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की पीठ में छूरा भोंके। इसको बन्द किया जाना चाहिये और विद्यार्थियों की मदद उनकी फीस माफ करके तथा अन्य सुविधायें देकर की जानी चाहिये।

*श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मेरे नाम को इस चर्चा में जोड़ दिया है। आज जबकि यह बजट प्रस्तुत हुआ है मैं यह देख रहा हूं कि हरिजनों के बहुत से हिमायती घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस ने टुकड़े फेंककर इनको खरीद लिया, बात सही है, संविद शासन काल में भी ऐसे ही टुकड़े फेंके जाते रहे होंगे, क्योंकि उसी अपनी करनी और कथनी को वे दोहरा रहे हैं (व्यवधान)। बहुत समय के बाद आज यदि इलाहाबाद का एक नौजवान हरिजनों की ओर सरकार का ध्यान दिला रहा है तो उससे न जाने क्यों आपको तकलीफ हो रही है।

मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, हरिजनों के उसने न्याय नहीं किया। हरिजन जाति में 66 जातियों के लोग आते हैं। इन 66 में से केवल 2–3 जातियों को ही कुछ लाभ पहुंच पाता है, बाकी को कोई लाभ नहीं मिलता। संविद शासन काल में भी मैंने इनकी ओर ध्यान दिलाया था। मैं आशा करता था कि वे लोग इनकी ओर ध्यान देंगे क्योंकि वे विरोध पक्ष से आये हैं और विरोध पक्ष में जब वे थे तो हरिजनों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल सोनकर]

के लिये अपने हृदय में विशेष स्थान रखते थे । (व्यवधान) मगर संविद सरकार ने भी उनके लिये कुछ नहीं किया । इन 66 जातियों में से कितनी ही जातियां ऐसी हैं जो पीपल के पत्ते खाकर गुजर बसर करते हैं । लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बैठे बैठे केवल 2–3 जातियों को जो सुविधायें प्राप्त हैं उसके आधार पर ही सारे आंकड़े पेश कर देते हैं जिसको पढ़ कर विरोधी पक्ष वाले भी संतुष्ट हो जाते हैं । मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ रहा है, अपने हक के लिये लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है.....(व्यवधान) । हां, मैं जनसंघ में था, लेकिन इस बार उसी क्षेत्र से जन संघ की जमानत जब्त कराकर आया हूं । (व्यवधान)

माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो यह बजट 1974–75 का पेश किया है मैं इस पर आता हूं । माननीय मुख्यमन्त्री जी जब यहां सदन में मुख्य मन्त्री होकर पहली बार आये थे तो उन्होंने बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा था कि हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है और हम सब को मिल कर इस कलंक को दूर करना है और सभी को मिल कर सहयोग देना है । मुझे यह कहने में कष्ट हो रहा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के निवेदन करने पर, बार बार निवेदन करने पर भी, किसी ने यह सुझाव नहीं दिये कि इस बजट में क्या क्या त्रुटियां हैं, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है । इसको कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है । सुझाव देने के बजाय विरोध पक्ष ने केवल एक ही काम किया---वे कांग्रेस की आलोचना करेंगे, सरकारी कर्मचारियों की आलोचना करेंगे, बजट की आलोचना करेंगे । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ज्यादातर विरोध पक्ष बजट का अध्ययन करके नहीं आता है, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बजट का अध्ययन करके आते हैं बजट को हमारे दल ने बनाया है और वह आप सब लोगों के विचार करने के लिये रखा गया है । अफसोस की बात है कि आप बजट को विवेचना की दृष्टि से नहीं देखते है ।

मान्यवर यदि यह बजट वास्तव में जनता का हित करने वाला नहीं है तो आप कोई ठोस उपाय बतलावें, सरकार को बतायें । इसमें आप केवल मीन-मेख निकालते हुये चले जाते है । एक बात यह मानने के लिये मैं तैयार हूं कि यह बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है वह पास होगा और भारी बहुमत से पास होगा । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं । लेकिन सरकार के जो कर्मचारी हैं वे इस बजट को किस ढंग से लागू करते हैं यह हमको देखना पड़ेगा । हम मार्च के अन्त में इस बजट का तमाम पैसा पानी की तरह बहाया जाता है । अनाप सनाप खर्च किया जाता है और इसका सदुपयोग नहीं हो पाता है ।

मान्यवर, मैंने देखा है कि हरिजन विभाग में साल भर तक विद्यार्थी स्कालरशिप के लिये भागत रहते है पर स्कालरशिप नहीं मिलती । लेकिन मार्च का अंत आता है तो इस तरह से देते है कि दुबारा और तिबारा स्कालरशिप मिल जाती है । और बाद में उनसे वसूल की जाती है और कहा जाता है कि आपको गल्ती से मिल गयी । इस तरह से धन का दुरुपयोग सरकारी कर्मचारी करते है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से और सम्पूर्ण मंत्रिमंडल से कहना चाहता हूं कि इसको ध्यान पूर्वक देखा जाय और आप इस पर विचार करें कि यह धन जो पास किया जाता है उसका सरकारी कर्मचारी दुरुपयोग न करें । मान्यवर 2 मिनट समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय अभी 2 मिनट बाकी ही है ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर---

मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं इस पर एक सुझाव देना चाहता हूं कि धन इस हिसाब से हर विभाग को दिया जाय कि वह साल के बीतने से पहले ही जनता के हित के कामों

में खर्च हो जाय । मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद में उर्वरक के दाम जबसे बढ़े उससे पहले जो स्टाक एजेन्टों के पास में था उस स्टाक को सरकारी अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर नहीं लिया जिसका अंजाम यह हुआ कि कल तक नये रेट से किसानों को पुराना उर्वरक दिया गया है और आज कहा जाता है कि उनकोभाव जो गलत दिया गया है उनको बाकी पैसा वापस दिया जायगा । मान्यवर, वापस तो नहीं किया जायगा लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जेब में तो अवश्य जायेगा और उनको पैसा मिलेगा । इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों के धन का वे दुरुपयोग न होने दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खडे होकर बोलने से शोर)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने काजी मोहीउद्दीन को पुकारा है । उन्हीं को बोलने दें ।

काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस वक्त और इसके पहले ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से जो तकरीरें हुई उनको सुनकर ऐसा महसूस होता है कि शायद मिनिस्ट्री बढ़ने का समय आ रहा है । इसलिये ट्रेजरी बेन्चेज के स्पीकर बजट पर बोलने के बजाय किसी सूरत में मुख्य मंत्री जी को खुश करने में लगे हुये हैं और उन्होंने महसूस किया है कि मुख्य मंत्री जी खुश होते है कि चौधरी साहब के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाये जांय । इस समय और इससे पहले अध्यक्ष महोदय के सामने कई सदस्यों ने बेबनियाद और व्यर्थ के आरोप चौधरी साहब के ऊपर लगाये उन्होंने बिरादरीवाद और कुनबावाद को बढ़ावा दिया । अब मैं इस पर बताना चाहता हूं कि अभी जो एक सज्जन ने दौलत राम नीम का जिक्र किया था । उनके बारे में मुझे यह कहना है कि उन्होंने जब सरकार के खिलाफ रिटायर किया था कि मुझे सिनियारिटी के मुताबिक तरक्की नहीं दी गई है तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी । इसका मतलब यह हुआ कि नीम साहब को नाराजगी कांग्रेस सरकार से थी न कि चौधरी साहब से ।

सबसे पहले दौलत राम नीम जो एस0पी0 सहारनपुर के थे जो बाद में रेलवे के डी0आई0जी0 नियुक्त थे । उनको चौधरी साहब ने अपने मंत्रित्व काल में यू0 पी0 पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर बनाया जो कि हरिजन थे । मैं उनसे परिचित था । इसी प्रकार श्री महमूद खां को भी यू0 पी0 पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बनाया जो कि मसलमान थे । इसी प्रकार उनके समय में एक सेलेक्शन होना था पुलिस में जिसमें लगभग 22 हेड कान्स्टेबिलों को सब इन्स-पेक्टर बनाया गया । ये सब के सब मुसलमान थे । क्या कांग्रेस सरकार इस तरह की कोई मिसाल पेश कर सकती है ! परन्तु आज के बिरादरीवाद की एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं कि थाना मंगलौर में एक हेड कान्स्टेबिल है जो बहुगुणा जी की ही बिरादरी का है । दो सेकेन्ड आफिसर हैं तथा स्टेशन इंनचार्ज वे सब बहुगुणा की ही बिरादरी के है । डी0एस0पी0, रुड़की थाना मंगलौर बहुगणा जी की बिरादरी के हैं एस0पी0 सहारनपुर थाना मंगलौर भी उसी बिरा-दरी के हैं । डी0आई0जी0, मेरठ तथा आई0जी0 के बारे में आप जानते ही होंगे । क्या इस तरह इन्होंने बिरादरीवाद और कुनबावाद को बढ़ाव नहीं दिया है ! परन्तु मैं यह नहीं महसूस करता हूं कि बहुगुणा जी ने यह जान बूझकर किया है । मैं उनकी नियत पर शक-सुबह नहीं करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बिरादरीवाद पर न बोलें तो अच्छा है । बजट पर बोलें ।

काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन—

मैं बहुगुणा जी की नियत को खराब दृष्टि से नहीं देखता हूं ।

[का० मु० महीउद्दीन]

खैर, अधिष्ठाता महोदया, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस बजट को मैंने शुरू से आखीर तक देखा और इसको समझने की कोशिश की है। कुछ समझ पाया हूं और कुछ नहीं। इस बजट को पढ़कर मैंने यह इम्प्रेशन कायम किया कि इस बजट में गरीबों, मजदूरों, किसानों और गांवों में रहने वाले सारे के सारे लोगों को नजरअन्दाज किया गया है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा। मैं यह सोचता था कि इस साल के बजट में कोई ऐसा प्राविजन होगा कि मेरठ डिवीजन में हाई कोर्ट की एक बेंच कायम की जायेगी। लेकिन ऐसी कोई बात नजर में नहीं आई। बहुत प्रचार, हरिजनों का गरीबों का, मजदूरों का किया जाता है लेकिन उन्हें सहूलियत से सस्ता न्याय मिल सके, ऐसी बात नहीं है। इलाहाबाद से लखनऊ 100 मील की दूरी पर है, लेकिन यहां हाई कोर्ट की बैंच है। यहां से आदमी वहां जाने की तकलीफ नहीं कर सकता और यहीं बैठे उसे अपील करने की सुविधा है। लेकिन इलाहाबाद से सहारनपुर और उधर के अजल लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। अगर 4 आना जाने का और 4 आना आने का एक किलोमीटर पर लगा लिया जाय तो हजारों रुपया आने जाने में ही खर्चा हो जायेगा। तो क्या कोई गरीब आदमी, कोई छोटा किसान, कोई छोटा हरिजन आशा कर सकता है कि वह इलाहाबाद जाकर हाईकोर्ट में इन्साअ तलब कर सके। आलिबन मैं इससे यह मतलब निकलता हूं कि अगर कोई बड़ा आदमी किसी हरिजन, किसी मजदूर या कोई बड़ा सरमायादार मिल ओनर किसी की जमीन को हड़प ले और किसी तरह से वह मुकदमा जीत जाये तो वह मजदूर उसकी अपील हाई कोर्ट में न कर सके।

यह है कांग्रेस सरकार का मकसद निहायत अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है। सी तरह से स्टाम्प की बात है। बड़े लोगों के पास तो ब्लैक मनी है। उन्होंने यह सोचने की जरूरत नहीं है कि रुपया कहां से आयेगा। उन्हें चिंता है कि खर्चा कैसे करें। वह जमीन खरीदते कुछ में है और कीमत कुछ की कुछ दिखाते हैं। लेकिन मुसीबत तो गरीब आदमी है, और उस पर उन पर स्टाम्प और बढ़ा दिया। उसमें कमीज नहीं कायम की गई गरीब और अमीर की।

दूसरी बात यह है कि गांवों में बिड़ला और टाटा तो रहते नहीं, इसलिये बिजली बराबर मिलती नहीं। गवों में ट्यूबवेल चलने के लिये 4 घण्टे बिजली मिलती है वह भी लगातार नहीं, जब कि शहरों में सिनेमा हाउसेज के लिये 18 घण्टे बिजली लगातार मिलती है। यह कैसा समाजवाद है, यह कैसा इन्साफ है। शहर वालों को 18 घण्टे और हम लोगों को 4 घण्टे भी नहीं। मान्यवर, इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं रखी गई कि गांव वालों को खासतौर से बिजली मिलती रहेगी।

मान्यवर, एक उर्दू की बात कहूंगा। उर्दू पर हमारी सरकार ने बड़ी इनायत की है। काश, जो पैसा इस बजट में रखा गया है अगर कांग्रेस फंड से दिया जाता तो अच्छा था। अगरचे वह भी इतना कम है कि कुछ होने वाला नहीं है। जहां तक उर्दू को तस्लीम करने की बात है, मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं और वह यह है कि कुछ दिन पहले मैंने एक दरख्वास्त दी थी, इस हाउस में लेकिन वह दरख्वास्त मुझको लौटा दी गई कि उर्दू में दरख्वास्त नहीं कबूल होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों को उर्दू क्यों पढ़ाई जाय जब कि वह काम नहीं आ सकती। जब इस हाउस में उर्दू में दरख्वास्त को कबूल नहीं की जा सकती तो और कहां कबूल की जायेगी। यह जो रकम है केवल प्रोपेगेन्डा के लिये है, कांग्रेस के सरमायेदारों का यह बजट है। किसानों के साथ और गांवों में रहने वालों के साथ नाइन्साफी की गई इसमें। लिहजा मैं माननीय सदन से दरख्वास्त करूंगा कि इस बजट को नामंजूर किया जाय।

श्री महेश सिंह (जिला हरदोई)—

अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। वित्त मंत्री जी ने 74–75 का जो तखमीना पेश किया है। मैं समझता हूं कि वह बहुत संतुलित है

और इससे अच्छा बजट क्या हो सकता था मैं नहीं समझ पाता। जो हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश से गरीबी जल्दी से जल्दी हटे तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हर सम्भव प्रयास इसमें किया गया है। इसका भी प्रयास किया गया है कि जो हमारे सीमित साधन हैं उनका अच्छे से अच्छा उपयोग हो। इस बजट में कई नई मदों का जिक्र है जिन पर ही काफी चर्चा हुई है। जैसे इसमें लगभग दो दर्जन व्यक्ति प्रस्ताविक किये गये हैं। लोगों का ख्याल है कि इनकी क्या जरूरत थी। मैं समझता हूं कि जो वित्तीय मामलों को समझते हैं उन्हें तो इनको सराहना चाहिए था। विभागीय प्रबन्ध में किस प्रकार से दिक्कतें आती हैं और सरकारी अधिकारियों के जरिये किस तरह स दिक्कतें आती हैं यह समझना चाहिये और यह भी समझना चाहिये कि जब रुपये की जरूरत पड़ती है तो वह इंतजाम सरकार नहीं कर सकती इंस्टी यूशनल फाइनेन्स से मदद मिल सकती है। जैसे कि मिसाल में दूं। रिफाइनेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया है। इसका काम है खाद के लिये या खेती सम्बन्धी इन पुट्स के लिये पैसा जुटा दे। 64/65/ में यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक से में एक डेलीगेट था। मैंने देखा कि यहां के लिये जितना रुपया यहां के लिये एलाटेड था यू0 पी0 गवर्नमेंट बहुत कम उठा पायी। 68-69 में बहुत भारी मात्रा में यहां रुपया उठाया गया और उसका लाभ भी हुआ।

बजट पर बोलते हुये कुछ यह भी सुझाव आये कि यहां की आमदनी बढ़नी चाहिये। बार-बार कहा गया कि पर कैपिटा इन्कम कम है। पर कैपिटा इन्कम बढ़े तो इसके लिये जरूरी है कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेन्ट हो। बहुत से कल कारखानें खुलें और खेती की तरक्की हो। वित्त मंत्री जी ने इंगित किया है कि 100 करोड़ रुपया कोआपरेटिव से देते हैं। मुझे भी तजुर्वा है। जब मैं सनता हूं कि वहां भ्रष्टाचार ह तो मुझे लगता है कि लोग इसकी गहराई में नहीं जाते। सहकारी प्रयास कोई छोटा प्रयास नहीं है। जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें जो काम हो रहा है उसके लिये 50 प्रतिशत से अधिक सहकारिता जिम्मेदार है। कोरे कह देने से कि भ्रष्टाचार है काम नहीं चलता। यदि हम गहराई में जाय और माननीय सदस्य दस-दस केस भी जांच करके विभाग के पास या सम्बन्धित मंत्री के पास लायें और फिर उन पर जांच हो तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि हम खाली आरोप लगायें।

अगर हमारी उन पर कड़ी निगरानी रहे तो यह एक अच्छी और बलशाली संस्था हो सकती है। अगर मान लीजिये यह खत्म कर दी जाय तो मैं पूछना चाहता हूं दूसरा विकल्प क्या है। किस प्रकार से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का सुधार करेंगे। किस प्रकार से वहां पूंजी लगा सकेंगे कि जिससे उनको महाजनों से छुटकारा मिल सके। किस प्रकार खेती और पशुधन का सुधार कर सकेंगे। मैं समझता हूं कोई और जरिया इसके लिये दिखाई नहीं देता। गांव में पशुओं और खेती की ओर निगाह नहीं जाती। मोटे रूप से 600 करोड़ रुपयों की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था खेती और पशुधन को ठीक करने के लिये जरूरत पड़ती है। मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि जब कुछ लोगों ने कहा कि एक साल मे सरकार इसको कैसे बदल देगी। मेरा ख्याल है कि पांच साल में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और पशुधन को ठीक करने में सबसे अधिक तरक्की कर सकते हैं। इतनी तरक्की कर सकते हैं कि खेती की आय इण्डस्ट्री से भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि इस तरह की बहुत सी मदों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे अब बहुत सारे मुल्कों में जाने का मौका मिला है। मैंने देखा कि दूसरे देशों में पशुओं की तरक्की में काफी ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे यहां बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। यहां पर पशुओं के क्रय-विक्रय का कोई हिसाब नहीं है। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने कोई तरक्की पशुओं की नहीं की। वही बैल 500 रुपये का और वही कहीं 700 रुपये का, कोई तरक्की नहीं हुई। पशुओं की, जो खेती के अंग हैं, ठीक से मार्कीटिंग हो सकती है और इससे सरकार को भी लाभ हो सकता है। अपने प्रदेश में ही ऐसे अनेकों मेले लगते हैं, जिनमें एक-एक दो-दो लाख आमदनी है। मेरठ में नौचन्दी का मेला है। इसी तरह से बस्ती, हरदोई और अन्य जिलों में भी अनेक मेले पशुओं के लगते हैं। नौचंदी का तो नहीं कहता, लेकिन दूसरी जगह सरकार का पैसा जाया जाता है।

[श्री महेश सह]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खेती और भोजन दोनों विभाग एक साथ हों । लेकिन भोजन के सिलसिले में यहां पर उसे फूड डिपार्टमेंट से जोड़ दिया गया है। मैं यह भी कहता हूं कि आज की दुनिया में नेशनल पालिसी फूड की हो सकती है । आपके जो सप्लाई डिपार्टमेंट फूड बांटते हैं, उससे वह काम नहीं हो सकेगा । अगर नेशनल फूड पालिसी हो तो अच्छा काम हो सकता है । किस तरह से वितरण हो, किस तरह से दूसरी व्यवस्था हो, इन बातो पर विचार करने की जरूरत है ।

इसके अलावा इस बजट में एक-दो कमियां दिखाई दीं, जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा । मैंने देखा कि सोशल प्लानिंग के लिये प्रचार और संचार की सबसे बड़ी जरूरत होती है । 1954 में जब गोविन्द सहाय जी चीन गये तो उन्होंने वहां के प्रचार और संचार की व्यवस्था के बारे में बताया । जो थोड़ी सी साढ़े-तीन लाख रुपये की रकम वहां इस काम के लिये रखी गयी है, वह बहुत कम है । इसके लिये इसमें और अधिक धनराशि होनी चाहिये थी, ताकि किसानों का अधिक से अधिक लाभ हो सके । हम देखते हैं कि 30 हजार आदमियों से, जो कृषि विभाग में लगे हैं, किसानों को इतना लाभ नहीं हो रहा है, जितना कि लाभ सुना कि किसानों और पन्त नगर के बीज के प्रचार से हो रहा है ।

(इस समय 2 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है मैंने इसे देखा और मेरे मस्तिष्क पर इसकी जो प्रतिक्रिया हुई मैं एक वाक्य में उसे आपके सामने पेश कर दूं । मेरी समझ में यह पूरा का पूरा बजट भाषण शब्दों की जादूगरी से ज्यादा नहीं है और तथ्य इससे कम के हैं आज के आणविक युग में सारी दुनिया जिस प्रकार तेजी से प्रगति करती चली जा रही है, उसके मुकाबले इस बजट को देख कर ऐसा लगता है कि हमारे वित्त मंत्री राज्य को भैंसागाड़ी पर सफर करा कर विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं । जिस तरह से राज्य में आमदनी के वृद्धि तथा जनसंख्या में वृद्धि के आंकड़े पेश किये गये हैं अगर उस पर गौर किया जाय तो यह रफ्तार ऐसी है जिस पर गर्व करने की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर आप इस पर पुनर्विचार करेंगे तो यही पायेंगे कि देश की प्रगति के सिलसिले में जो रास्ते अपनाये गये हैं वे उसके विकास में अवरोध पैदा कर वाले हैं ।

यह जो बजट भाषण है इसके अन्दर जो उपसंहार का पैराग्राफ है। मैंने महसूस किया कि अगर यह पैराग्राफ भाषण के प्रारम्भ में रखा जाता और जो आणविक प्रगति हमारे देशकी है उस पर गर्व किया जाता और उस स्थान से आगे बढ़ाया जाता तो शायद सही दिशा में जाने का मौका मिलता । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि जिस तरह से देश के अन्दर एक भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है और आर्थिक संकट जो कि राजनीतिक संकट का रूप धारण करता जा रहा है खड़ा हुआ है । इस संकट को हल करने के लिये जरूरी है कि कोई बुनियादी हल खोजा जाय और ऐसा बुनियादी हल खोजा जाय जिससे इस संकट से मुक्ति मिले और जो हमारे राज्य व राष्ट्र की समस्यायें हैं, परेशानियां हैं उनका हल निकाला जा सके । लेकिन बजट के अन्दर जिस तरह से आय के स्रोत खोजने की कोशिश की गयी है मैं बहुत सफाई के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोशिशें हैं सब व्यर्थ हैं, कोई बुनियादी हल निकालने की कोशिश नहीं की गयी है ।

यह बजट मात्र पिष्टपेषण है उस पूंजीवादी व्यवस्था का जो विकास के नाम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसका यह एक बहुत छोटा सा हिस्सा है । इसके अन्दर शब्दों की जादूगरी से पेचीदगियों को ढकने की कोशिश की गयी है जिस स्तर से संकट बढ़ रहा है, जनता परेशान है, जिस तरह से खाद्य सामग्री के लिये जनता परेशान है और महंगाई बढ़ती जा रही है, खरीदने की ताकत गिरती जा रही है उसमें यह आवश्यक है कि ऐसा हल निकाले जिससे बुनियादी समस्या को हल करने की दिशा में हम प्रगति कर सकें ।

और हमारी जनता का जो जीवन-स्तर है, खरीदने की ताकत है उसको बढ़ाया जा सके। मान्यवर, क्या आज हमारा शासन यह सोचता है कि साधारण जनता पर करें का बोझ लादकर उसका जीवनस्तर बढ़ाया जा सकता है। मैं बहुत सफाई के साथ यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे शासन ने आज जो बजट पेश किया है उसकी दिशा, रवैया और रफ्तार पूर्ण रूपेण हमारे राष्ट्र के पतन की ओर ले जाने वाली है विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से और खासतौर से शासक दल से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस नजरिये पर पुनर्विचार करें। जब तक आप बुनियादी रास्ते नहीं खोजेंगे, आय के श्रोत नहीं ढूंढ़ेंगे, आम जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से करों का बोझ लादते रहेंगे, बड़े-बड़े धन्ना सेठों के पास संपत्ति का केन्द्रीयकरण न होने देंगे, साधारण जनता को साधन मुहैया नहीं करेंगे तब तक इस देश की भलाई होने वाली नहीं है।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। आज चाहे वर्तमान मुख्य मंत्री का प्रश्न हो, चाहे इनसे पहले के मुख्य मंत्री का प्रश्न हो और चाहे विपक्ष के लोगों की जब सरकार थी उनके प्रश्न हो चीनी मिलो के राष्ट्रीयकरण का सवाल बार-बार जनता के सामने घोषित किया गया और वह वायदा किया गया कि हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि चीनी मलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। आज जो हिन्डालको के ऊपर बिजली का बकाया टैक्स है जो कि करोड़ों में है, उसी को वसूल कर लिया जाय तो काफी हद तक पूर्ति हो सकती है, बचत हो सकती है। इस ओर शासन का ध्यान बिलकुल नहीं है। इसलिये इस दिशा में बुनियादी परिवर्तन खोजने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार बजट में संशोधन करें।

बिजली के संकट की चर्चा की जाती है। बहुत से नये-नये सुझाव आये हैं और बहुत सारी बातें माननीय सदस्यों ने कहीं हैं। इस बिजली के सवाल पर किसानों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। बड़े-बड़े धन्ना सेठ, मिलओनर और बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज के मालिक जो हैं वे बिजली की चोरी करें और उसके बदले में छोटे से किसान के ऊपर असेसमेंट किया जाय यह क्या वजह है? बार-बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

अब मैं मैनपुरी जिले के खाद के प्रश्न के सम्बन्ध में जिक्र कर देना चाहता हूं। कल यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की कि खाद का जो पुराना स्टाक है उसको पुराने रेट्स से ही वितरित किया जाय। मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी ने ये आदेश 13 जून को प्रसारित किये और इस आदेश का एलान उन्होंने उसमें किया। 14 तारीख को न जाने किस दबाव में आकर या जादू से एक दूसरा आदेश उन्होंने प्रसारित किया कि पुराना आदेश निरस्त किया जाता है। इस तरह की नौकरशाही की बदतमीजियों और साजिशों से आज आम जनता त्रस्त हो रही है। मैं पूछता हूं कि क्या शासन इस पर पुनर्विचार करेगा और ऐसे समुचित रास्ते अपनायेगा? हम समझते थे कि हम लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे हैं और 10 प्रतिशत की वृद्धि हमारे कृषि विकास लक्ष्य में तथा 20 प्रतिशत की वृद्धि उद्योग में होगी। लेकिन इसमें निराशा ही प्राप्त हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

(लाल बत्ती पुनः होने पर)

श्री जगदीश नारायन त्रिपाठी—

मान्यवर, एक मिनट और। अगर हम इस रफ्तार से बढ़ेंगे तो जो बड़े-बड़े देश हैं, जिनसे मुकाबला करने की बात हम कहते हैं, उनके नजदीक पहुंच सकेंगे? लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसमें उनसे मुकाबला कर सकना, उनसे मुकाबला करने की कोशिश करना शेखचिल्ली के स्वप्न के समान होगा। यह जो स्थिति है उस पर शासक दल पुनः विचार करे और बजट में

[श्री जगदीश नारायन थिपाठी]

संशोधन करे और संकट की जो स्थिति है और बजट की जो खामियां हैं, जिसका फायदा राईट रिएक्शनरी पार्टी के लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार व गुजरात की तरह की अव्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में उत्पन्न करने की साजिश कर रहे हैं, उसका भी हमें मुकबला करना है। आज सरकार और शासक दल को अपने बजट पर विचार करना पड़ेगा और ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिससे उनकी मनचाही स्थिति यहां न पैदा होने पाये।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र हैं, उनको कांग्रेस के साथ समझते हैं या जब विपक्ष के बोलने का मौका आता है तो आप उन्हें उनके साथ समझते हैं? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कम्युनिस्ट पार्टी की इस सदन में एक पार्टी के रूप में मान्यता है और उसी हैसियत से उसको अलग से समय दिया जाता है।

श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिठौरागढ़)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज मैं करीब 2–3 दिन से इस बजट पर माननीय यादव साहब कुछ अन्य विरोधी दलों के सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं। और मुझे श्री यादव साहब का भाषण सुनकर बहुत दुःख हुआ। दुःख इस बात का हुआ कि बहुत बुजुर्ग आदमी जो लोकसभा सदस्य रहे और जिन्हें बजट का ज्ञान है, वह भी यह कहते हैं कि यह बजट अज्ञानियों द्वारा बनाया गया है। उन्होंने इस बजट के बारे में यह भी कहा कि इस बजट से उत्तरप्रदेश की तरक्की होनेवाली नहीं है। मैं समझता हूं कि एक विद्वान आदमी जिन्होंने इतने साल सार्वजनिक सेवा की है, उन्होंने मनमाने ढंग से ऐसे अच्छे बजट के बारे में अपना बयान दिया है और यह विश्वास के काबिल नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, यह बहुत ही सन्तुलित बजट है। बहुत सारी बातें जो पूर्व के बजटों में नहीं होती थीं, उन सबका समावेश इस बजट में, प्रदेश की द्रुतगति से प्रगति करने के लिये किया गया है। टेहरी बहुप्रयोजनीय योजना एवं खाद्यान्न अन्य आवश्यक सामग्री गम आदि 35–37 ऐसे आईटम दिये गये हैं जो इस प्रदेश को आगे ले जायेंगे। नये-नये कारपोरेशन बनाने की बात कही गई है। मैं उनका समर्थन करता हूं और मुझे यह उम्मीद है कि इन्हीं कारपोरेशनों के द्वारा हमारे प्रदेश की तरक्की होगी। चौधरी साहब ने जो सदन के सामने प्रश्न उठाया है कि खेती की तरफ हमने प्रगति नहीं की है, मैं उसको नहीं मानता हूं। क्योंकि प्रथम द्वितीय था तृतीय व चतुर्थ पंचर्षीय योजनाओं में खेती के बारे में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। यदि हम 50–51 वर्ष के आंकड़े लेते हैं, तो उस समय 117.50 लाख टन फूडग्रेन्स का उत्पादन हुआ और फर्स्ट फाइवइयर प्लान का जो आखिरी साल था उसमें 120.18 लाख टन का हुआ है। फिर सेकेंड आइव इयर के अन्त में 144.43 लाख टन का अनाज यहां उत्पन्न हुआ और तीसरे प्लान के आखिर में 132.90 लाख टन अनाज पैदा हुआ है, यहां। 1971–72 में 190.52 लाख टन अनाज यहां उत्पन्न हुआ है। इसलिये हमारे विरोधी दल के नेता ने जो यह कहा कि कृषि उत्पादन के लिये सरकार कोई काम नहीं करती है। यह विश्वास के काबिल नहीं है फूड ग्रेन्स का ज्यादा उत्पादन हुआ है। लखनऊ में एक सेमिनार हुआ था। उसमें कृषि विशेषज्ञ ने कबूल किया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार कृषि के मामले में दिलचस्पी ले रही हैं और खेती को आगे बढ़ाना चाहती है और खेती के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं।

एक बात विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि शिक्षा में बहुत कम खर्च किया जा रहा है। आज 25 वर्ष के बाद हमारी प्राइमरी शिक्षा पर 12 गुना, माध्यमिक शिक्षा पर 22 गुना और विश्वविद्यालय शिक्षा पर 10गुना खर्च किया जा रहा है। इस बजट को देखने से मालूम हो जाता है कि फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय और दो विश्वविद्यालय कुमाऊं और गढ़वाल में स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कानपुर में जो ऐग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है उसको बढ़ा कर कृषि विश्व-विद्यालय का रूप दिया जा रहा है। अमेरिका में 100 वर्ष पहले कृषि का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। उन्होंने वहां लड ग्रांट्स कालेज के नाम पर एक कालेज की स्थापना की। वहां खाने का अन्न नहीं होता था। कृषि में एक एकड़ में 70 प्रतिशत आदमी काम करते थे। आज एक आदमी 40 आदमियों को खिलाता है और 28 देशों को अनाज देता है। वही एक्सपेरिमेंट यहां किया गया है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में जो सम्पूर्ण देश में एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। वहां पर राजमा की फसल होती है, जिससे तरह-तरह के भोजन बनाये जाते हैं, मट्ठा बनाय, दही बनायें, विभिन्न एक्सपेरीमेंट किये जा रहे हैं। 15–16 हजार एकड़ में खेती की जा रही है।

पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय से खेती में काफी उन्नति हो रही है। जो कृषि शिक्षा वहां दी जा रही है उसके विद्यार्थी जगह जगह जो एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं उससे खेती में विकास हो रहा है। पहाड़ में उसका एक कैम्पस खोलेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में जो चीज लगायी जायगी उससे फायदा होगा। इस प्रकार सारे के सारे बजट की आलोचना करके जो कहा गया है कि यह संतुलित नहीं है, इससे कोई विकास होने वाला नहीं है, खेती की उपेक्षा की गयी है, वह किसी विश्वास के काबिल नहीं है। वह चाहते हैं कि विरोधी दल के लोगों को कहना है, विरोध करना ही है। आज का बजट 25 वर्ष के बाद, पुरानी नीतियों को देखकर, कमियों को दूर करके बजट बनाया गया है। यह प्रदेश की उन्नति के लिये है।

मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं। हमारे क्षेत्र में कोई पक्की सड़क नहीं बनी है। कोई प्राविधिक शिक्षा का साधन नहीं है। मैं अपनी कांस्टीट्एंसी में अगर पैदल घूमूं तो छः महीने लग जायेंगे। 1964–65 में वहां पेयजल का सर्वेक्षण हुआ था। वहां पर 7771 ग्रामों में पानी है ही नहीं। यहां पर बड़े-बड़े पावर हाउस बन रहे हैं लेकिन पहाड़ों में पीने के पानी की बिलकुल कमी है। हमारे यहां शिक्षा के साधन नहीं हैं पानी का बिल्कुल अभाव है, अन्दरूनी हिस्सों में न कोई डिग्री कालेज है, न कोई मेडिकल कालेज या आयुर्वेदिक कालेज है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अब भी यह दशा है कि चार पांच मील जा कर पानी पीने के लिये लाते हैं। अन्य जो पर्वतीय क्षेत्र उत्तर भारत के हैं वहां देखा जाय वहां तो प्रति व्यक्ति आय व्यय बढ़ा है। जम्मू काश्मीर में प्रति व्यक्ति 354 रुपये खर्च हुआ है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। हिमांचल प्रदेश में 337 पया है, नागालैंड में 812 रुपया है, उपूसी (नेफा) में 478 रुपया है और हमारे उत्तर प्रदेश में 180 रुपया प्रति व्यक्ति व्यय है। 8 पहाड़ी जिले (चौथी योजना में प्रस्तावित) 56 करोड़ के बदले 65 करोड़ पर प्रचारित कुल प्रति व्यक्ति व्यय 209 पया है। मैं केवल तना कहना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ों में अभी भी बहुत ज्यादा गरीबी है जिससे लोगों में निराशा व्याप्त है। हमारे यहां सड़कें नहीं हैं। माननीय इंदिरा गांधी ने कहा था कि पहाड़ी इलाकों की तरक्की के लिये 300 करोड़ रुपये प्राविधान किया जाय और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यही कहा है कि हम बड़ी योजनायें पहाड़ों के जरिये बनायेंगे और उनसे हमारे पहाड़ों की तरक्की होगी। इससे तो हमारे मैदानी इलाकों को भी लाभ होगा। यदि पहाड़ों पर पानी का प्रबन्ध किया जायगा तो मैदान में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मेरा निवेदन है कि आज पहाड़ों की तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिये। यदि आप लोग पहाड़ों पर घूमने के लिये जायें तो वहां की गरीबी को देखें कि किस कदर वहां पर गरीबी का साम्राज्य फैला हुआ है। वहां की सड़कों को देखें कि वहां सड़कों का इंतजाम नहीं है और बड़ी-बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है। इसको भी देखिये कि प्रति व्यक्ति वहां पर क्या आमदनी है? वहां प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है। मैं प्रार्थना करता हूं कि पहाड़ की तरफ सब लोगों की सहानुभूति होनी चाहिये। ज्यादा से ज्यादा रुपया देकर यहां की गरीबी को दूर किया जाय।

[श्री गोपाल दत्त ओझा]]

इन शब्दों के साथ मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। 300 करोड़ रुपये का हमें आश्वासन दिया गया है कि इसका प्राविधान पंचम पंचवर्षीय योजना में किया जायगा जिससे पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होगा। लकिन आज करीब 23 करोड़ रुपये का ही बजट रखा गया है। इससे हमारे यहां सड़कें तथा स्कूल यथोचित बनने वाली नहीं हैं। हमारे यहां पिथौरागढ़ की हालत बहुत ही दयनीय है। वहां गर्मियों में केवल 15 मिनट के लिये पानी आता है और लोगों को 5-5 मील दूर से पानी लाना पड़ता है। एक करोंड़ कुछ लाख रुपये की योजना है उसको स्वीकार करने की कृपा की जाये जिससे वहां का विकास हो सके। वहां पर डिग्री कालेज बनाया जाये। आयुर्वेदिक कालेज की मांग मंजूर की जाय। वहां के जीवन स्तर को बढ़ाया जाय।

हमारे यहां खेती के साधन बहुत कम हैं। हमारे यहां प्रति व्यक्ति आबादी जमीन केवल 0.68 हैक्टर में खेती होती है और मैदान में 0.88 हक्टर है। हमारे यहां खेती के काबिल जमीन बहुत ही कम है। मैदानों में काफी जमीन है। हमारे पास दो महीन क लिय भी खाने को नहीं है। हमारे यहां उद्योग भी नहीं हैं। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां की गरीबी को देखा जाय और ज्यादा से ज्यादा पये का प्रबन्ध किया जाये जिससे वहां गरीबी दूर हो सके। इससे हमारे यहां के लोगों का मनोबल बढ़ेगा और तरक्की हो सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि कल से आज तक की इस मेहनत के बाद आपने 10 मिनट का समय दिया। मान्यवर, इसमें शक नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने जो पुस्तिका बांटी है बजट सम्बन्धी और जो भाषण दिया है उसमें शाब्दिक जाल बिछाया गया है। उनके शाब्दिक जाल को देख कर लोगों को मोह हो जाता है लेकिन अगर असलियत की तरफ देखा जाय तो पता चलेगा कि इसमें सबसे ज्यादा भलाई उन्हीं कर्मचारियों और अधिकारियों की ग ी है जिन्होंने इस जाल को सुन्दर ढंग से बनाया है। मान्यवर, 4-4 पंचवर्षीय योजनायें बीत जाने के बाद पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनी है। हमारे पूर्व वक्ता कांग्रेस के माननीय सदस्य ने बड़ी सफाई से इसकी तारीफ की, लेकिन आखिर में सच्चाई उनके सिर पर बोली। उन्होंने कहा कि हमारे यहां 5-5 और 6-6 मील की दूरी से ीने के लिये पानी लाना पड़ता है और घन्टों के बाद एक लोटा पानी मिलता है। यह बड़े शर्म की बात है। आजादी मिलने के 27 साल बाद हम पीने के पानी की समस्या को भी नहीं हल कर सके। हमारे प्रान्त में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पीने के पानी को भी उपलब्ध कराने में हम सक्षम नहीं हो सके हैं। आज हालत यह है कि जहां जानवर गढ़े का पानी पीते हैं। वहां का पानी आदमी भी पीते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से और उधर के बैठने वाले लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही अखबार में निकला है कि बांदा में पानी की बड़ी समस्या है और गढ़ों में जो पानी है उसे वहां के लोग भी पी रहे हैं।

एक ऐसे ेश के लिये जो बहुत बड़ा देश है और उस देश का हृदय यह प्रान्त है जिसने हमेशा धान मंत्री दिये हैं उस राज्य की यह हालत है कि जहां मनुष्य को जानवरों के भांति पानी मिलता है। मान्यवर, इस बजट की तारीफ की जा रही है। बजट की उपलब्धियां क्या हैं, यह देखा जाये। हमसे पहले राम सेवक यादव जी ने जो कहा है उनका मैं समथन करता हूं। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है कि आंकड़े देने से या पया रखने से कुछ नहीं होता। हमें देखना है कि उन रुपयों का हासिल क्या है, मिलता क्या है, वह उपलब्धियां पूरी होती हैं या नहीं। मान्यवर आज दशा हमारी यह है कि हम परेशान है। मुख्य बात तो यह है कि खेती की बड़ी उपेक्षा की गयी है। खेती के लिये जरूरी है पानी और उसके लिये जरूरी है खाद बिजली आज 4 पंचवर्षीय योजनायें समाप्त होने के बाद भी इन चीजों की पूर्ति नहीं हो पायी है। खाद की

हालत यह है कि हम नैपाल के पड़ोसी हैं । वह एक छोटा सा देश है। मेरा ख्याल है कि पिछले साल अगर वहां से खाद हमको न मिलती तो वहां के हमारे खेत खाली ही पड़े रह जाते । उनके यहां ज्यादा स्टाक था उसका स्तेमाल नहीं हो सकता है उन्होंने कोई रोक टोक नहीं लगायी । 4 जिलों की सरहद तक वहां की खाद आई । इस बार हम लोग घबड़ा रहे है कि खाद का क्या होगा ।

मान्यवर, ये छोटे काश्तकारों के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग बैठे हैं । बैठे ही नहीं हैं बल्कि समर्थन भी करते हैं । हमारी खाद्य मंत्री महोदया यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि जो गेहूं देगा उसको खाद मिलेगी । खाद उनको देंगे जो गेहूं दिलावने में मदद करेंगे । मान्यवर, छोटे काश्तकारों के पास इतना गेहूं नहीं है कि वह सरकार को दे सकें अगर उसके पास थोड़ा बहुत है तो वह बीज के लि रखना पसन्द करेगा, लेकिन जब वह गेहूं नहीं गा तो उसको खाद नहीं मिलेगी । उनकी खेती कैसे होगी । उनकी जिन्दगी कैसे संभलेगी । वह अपना कर्जा कहां से और कैसे दे पायेगा । मान्यवर, आज उन छोटे काश्तकारों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है । इस संबंध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं मनकापुर के एक काश्तकार ने 40 रुपये की तकावी ली और एक साल के बाद ही उसने 40 के 42 रुपये कुछ पैसे अदा कर दिए । उसके पास रसीद थी । पांच साल के बाद सरकारी अमीन तहसील का फिर पहुंचता है । इसी अषाढ़ के महीने में उनके बैलों को ले जा कर के मवेशीखाने में बन्द कर देता है । तो वह गरीब कर्जा लेकर उस 40 रुपये का 80 रुपये कुछ पैसे देता है । इसके रिकार्ड मौजूद हैं । डी0 एम0 ने जांच कराया उसमें वसूली दो दफे हुई पाई गई । मगर उस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई इस तरह से आजकल यह हाल है और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है । उधर के माननीय सदस्य अब खड़े होते हैं तो यह कहते हैं कि साहब विपक्ष में कोई सुझाव नहीं आते, कोई विकल्प नहीं आते । अरे यही तो विकल्प है । जो बुराइयां हैं बजट में मैं उसकी आलोचना करता हूं यही तो मेरा सुझाव है । इसी को मान लें बुराई दूर हो जावेगी ।

मान्यवर, गेहूं की खरीददारी के लिए माननीया मन्त्री जी ने यह कहा बार-बार कि हमारे यहां से कोई सख्ती नहीं, हम लेवी नहीं लेना चाहते हैं लेकिन आज किसानों के यहां घर-घर में घुसकर तलाशी होती है जबरदस्ती वसूल हो रहा है । यही हालत है पुलिस के लोगों की । आज पुलिस मनमाने ढंग से काम कर रही है । कोई रोक-टोक नहीं रह गई है । मान्यवर, हमारे यहां अराजी सुबाइन में डकैती हुई, डकैती की रपट होती है । डकैत लोगों ने सीने पर बन्दूक से मार दिया है, छुरे के निशान पचासों मौजूद हैं पचासों छुरे के निशान मौजूद हैं जोकि उसके सीने पर लगे हुए हैं । उसके घर के पांच आदमियों को मारा है लेकिन उसकी डकैती की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी । थानेदार ने बताया कि आपस का झगड़ा था । मान्यवर, 12 बजे रात को घर का तमाम सारा जेवर लूट लिया गया । मगर पया लेकर डकैती नहीं दर्ज की गई और उसी जगह गांव के सभापतियों ने पंचायत कर के एक भैंसी की चोरी के सिलसिले में एक एकबाली चोर के कहने पर चोर जो पकड़ा था जिसमें पांच भैंसें चोरी गईं थीं और उसने अकबाल किया था कि हमारे साथ फलां-फलां लोग थे और जानवर ट्रक पर लादकर मेरठ भेजे गये । मान्यवर, उस मुकदमे को कायम न करके उससे 700 रु0 लेकर उल्टा उन पांचों पर मुकदमा डकैती का कर दिया गया और आज कल वह मुकदमा चल रहा है ।

मान्यवर, आज सबेरे मेयो हाल के मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य को सुनकर कि बिना किसी इजाजत के कमिश्नर ने मेयो हाल बेंच दिया अब जवाब तलब हुआ है । मैं यह सोच रही हूं कि अगर यही हाल रहा तो हमारे देश की, हमारे प्रशासन की तो जिले के अधिकार

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

बजट तो खाते थे अब जिले को बेंच डालेंगे। अब जिले की सारी जमीन को बेंच डालेंगे और सरकार कुछ नहीं कर पायेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से कहूंगा कि इस बजट को संशोधित करें और पूर्वी जिलों की तरफ कुछ ध्यान दें ताकि इस पिछड़े जिलों की कुछ भलाई हो सके। अगर यही हालत इस देश की रही तो यह देश बरबाद होता चला जायगा।

श्री महाबीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ कहने के पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने प्रथम बार मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यहां पर विपक्ष के नेता, जनसंघ के मा0 नेता तथा सदन के अन्य सम्मानित सदस्यों के विचारों को सुना जिन्होंने बजट के सम्बन्ध में अपने-अपने विचारों को प्रकट किया है। मैंने उनके विचारों को कई दिनों से सुना। मैं बजट के सम्बन्ध में जिसे मा0 वित्त मन्त्री जी इस सदन में प्रस्तावित किये हैं उनके सम्बन्ध में मैं भी अपना विचार रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 1974-75 के वार्षिक बजट पर बोलने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रहा और उसमें क्या प्रगति रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 678.90 लाख टन कृषि का उत्पादन हुआ था जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना में यह 884.86 लाख टन हुआ जिसका वार्षिक औसत 135.78 लाख टन से बढ़कर 176.97 लाख टन हो गया। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारी कृषि योग्य भूमि 224 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 232 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में हो गई। इसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि बहु फसली भूमि जिसे हम कहते हैं, वह भी 28 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार से सिंचाई विद्युत में, शिक्षा में, परिवहन में तथा अन्य मदों में भी बढ़ोतरी हुयी है। जब हम इस पंचवर्षीय योजना के तहत में जाते हैं तो देखते हैं कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को मिटाकर आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है। चौथी योजना को भी जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हम एक प्रगति के पथ पर चले हैं।

अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय से हमें आगे बढ़ना है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना 965 करोड़ रुपये की बनी थी जिसमें प्रस्तावित व्यय 1150 करोड़ रुपये का था। हमारे यहां इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई निश्चित धनराशि योजना आयोग ने अभी तक निश्चित नहीं की है फिर भी प्रस्तावित बजट, जो सदन में रखा गया है, 3000 करोड़ पये का है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि यह बजट प्रगतिशील बजट है। इसमें स्पष्ट है कि विभिन्न मदों पर, जैसे सिचाई पर हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। सिंचाई के बिना खेती नहीं हो सकती है। प्रस्तावित बजट में दो नलकूप निगम की स्थापना भी की गई है, प्रत्येक के लिए 50 लाख पये का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार से आवश्यक वस्तुओं की क्रय-विक्रय के लिए 50 लाख पये का बजट में प्राविधान करके, एक निगम बनाया गया है। इसी प्रकार से टिहरी बहुउद्देशीय योजना का भी प्राविधान किया गया है। वहां पर विस्थापित लोगों की सहायता के लिए 1 करोड़ पये की व्यवस्था की गई है तथा उस बांध के निर्माण के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही साथ देखते हैं कि पूर्वी जिलों के लिये एक बाढ़ नियंत्रण योजना बनायी है। इस काम जो पूरा करने के लिए करीब दो करोड़ 78 लाख रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है। चिकित्सा के सम्बन्ध में भी हम देखते हैं कि किसी भी पंच वर्षीय योजना में हातों में या ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित जो उप-केन्द्र हुआ करते थे उनमें किसी प्रकार के धन

की व्यवस्था नहीं होती थी। प्रस्तावित बजट में 875 प्राथ मिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनसे सम्बन्धित करीब 7 हजार उप-केन्द्र हैं और उनमें प्रत्येक के ऊपर 2 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। इस आधार पर एक करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य के विषय में एक क्रांतिकारी कदम है।

श्रीमान्, इसके बाद लखीमपुर में जो एक जूट की मिल खोल रहे हैं वह एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बेरोजगारी को दूर करने के लिये एक काम होगा, जिसम 2 करोड़ 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। उसकी ततकालिक मदद के लिये करीब 4 लाख रुपये का प्राविधान कर दिया गया है। इसके बाद हमें देखते हैं कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की योजना के लिए 4.25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। गंडक, रामगंगा और शारदा के नदियों के कमांड एरिया के क्षेत्र में रहने वाले किसानों के कष्ट को दूर करने के लिये या विकास के लिये 2 करोड़ पये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से मुरादाबाद में पीतल के बरतनों के विकास के लिये एक निगम की व्यवस्था की गई है जिस पर 25 लाख रुपये की व्यवस्था है। आगरे में चमड़े के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये निगम पर भी 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसके बाद हम शिक्षा में देखते हैं कि प्रस्तुत बजट में प्राइमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रति जो नियम बनाये गये हैं उनके कल्याण के लिए जो कल्याण परिषद् बनाया गया है यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

(लाल बत्ती होने पर) थोड़ा समय और दिया जाय। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी हरिजनों की समस्याओं के सम्बन्ध में बहुत से सदस्य चाहे वे इधर के हों और चाहे उधर के हों काफी बोले। श्रीमन्, प्रस्तावित बजट में यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी प्राविधान किया गया है कि पहले बजटों में या विगत चार पंचवर्षीय योजनाओं में मेडिकल कालेजों में कहीं भी हरिजनों के बच्चों के लिये संरक्षण नहीं था, लेकिन इस प्रस्तावित बजट में 10 प्रतिशत संरक्षण उनके लिए दे दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिये भी 1 प्रतिशत संरक्षण दिया गया है, यह क्रान्तकारी कदम है।

इसके बाद आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि असंतुलित क्षेत्रों का जो सवाल है, उत्तर प्रदेश में जबकि 37 जिले, पिछड़े जिले हैं और गोरखपुर इसका पिछड़ा जिला है और फिर भी गोरखपुर जिले के लिये प्रस्तावित बजट किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। और मेरा निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव जो गोरखपुर में ही नहीं, एशिया का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वहां किसी भी प्रकार के आवागमन के साधन नहीं हैं। अतः प्रस्तावित बजट में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप बैठिए, आपका समय समाप्त।

श्री रामचरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)––

अधिष्ठाता महोदय, आज जो वित्त मन्त्री जी ने बजट रखा है, जिसको हमारे कांग्रेसी भाई अच्छा कह कर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। क्योंकि अगर आज से हम 20 वर्ष पूर्व जायं, उस समय से देखें तो 4 पंचवर्षीय योजनायें इन्होंने बनायी हैं। वह सब पंचवर्षीय योजनाएं देहाती और शहरी क्षेत्रों में खाई पैदा करने वाली हैं। देहाती क्षेत्र की उपेक्षा की गई और देहात के लिये जो इनको करना चाहिए था, जहां से ये चुनकर आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सदैव उपेक्षा करते रहे हैं और भगवान जाने कब तक करेंगे। लेकिन अब इनको जरूर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी बात इसी संदर्भ में कहूंगा। क्योंकि कहने के लिए तो 2–4 घंटे चाहिए और आप

[श्री रामचरन शाह]

समय देते हैं 10 मिनट। तो खाली 2-4 बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आप विचार करें, चाहे कोई चीज हो, मिसाल के लिए चीनी को ले लीजिए, जहां वितरण का प्रश्न आता है देहात में चीनी इनके माध्यम से मिलती है एक परिवार को 1 किलो और शहर में मिलती है एक व्यक्ति को एक किलो। क्या देहात में कोई दूसरे आदमी रहते हैं और शहर में कोई दूसरे आदमी रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में डेढ़ किलो प्रति व्यक्ति चीनी मिलती है और देहात में 500 ग्राम प्रति व्यक्ति। इनको चाहिए यह कि जितने साधन हैं सबको बराबर-बराबर उपलब्ध करायें। वोट सबका बराबर होता है लेकिन वितरण का प्रश्न जब आता है तो वे देहात और शहर का विभाजन करते हैं। इसके अलावा किसान की पैदावार को देखिए।

सरकार का यह बजट कैपिटलिस्टों के साथ मिला-जुला बजट बना हुआ है। देहात में गन्ना पैदा होता है। आज से चार वर्ष पूर्व गन्ने का दाम 12 और सवा 13 रुपये प्रति क्विंटल था। तब चीनी का कंट्रोल रेट था 1 रुपया 3 आना और 1 रुपया 4 आना प्रति किलो और खुले बाजार में वह बिकती थी 2 पये किलो। आज भी गन्ने का भाव वही 12, 13 रुपये क्विंटल है परन्तु चीनी का भाव कंट्रोल में 2 रुपये 15 पैसे है और खुले बाजार में 4 रुपये है। इस हिसाब से तो गन्ने का मूल्य भी 24 रुपये क्विंटल होना चाहिए था।

सरकार कहती है कि महंगाई कम होनी चाहिए लेकिन ये व्यापारी लोग बीच में गड़बड़ करते हैं। घाटे का बजट पेश करके इन्होंने सदैव टैक्सेशन किया है। इस प्रकार से बजट बना कर ये स्वयं महंगाई को लाते हैं और यहां की खाई को बढ़ाना चाहते हैं। आप जूट को ले लीजिए। आज से 4 साल पहले जूट का भाव 30-32 रुपये मन था। आज भी लखीमपुर में जूट का भाव 30-35 रुपये मन है लेकिन उसका बारदाना, जैसे सुतली आज से चार साल पहले बिकती थी उससे आज दोगुनी बारदाना दो, ढाई सौ रुपये में और आज बारदाने का भाव है चार, साढ़े चार सौ रुपये। क्या कारण है कि शहर के माल का दाम दूना और देहात के माल का दाम कम।

इसी तरह सरकार ने जो गेहूं की स्कीम चलायी तो पिछले साल शुद्ध में 76 पये के रेट से किसान से गेहूं लिया गया और बाद में खुद सरकार ने ही 125 और 130 रुपये में उसे बेचा और आज 133 पये में बेच रही है। तो यह क्या है? सरकार ने जो जबरदस्ती गल्ला वसूल करने की योजना बनायी है उसके माध्यम से 105 रुपये क्विंटल गेहूं खरीद रही है और दूसरी ओर ब्लैक-मार्केट को प्रोत्साहन दे रही है। इन्होंने किसान को लालच दिया कि 20 क्विंटल गेहूं दीजिए, हम आपको बन्दूक का लाइसेन्स देंगे। अगर कोई बदमाश 20 क्विंटल गेहूं आप को दे दे तो आप उसको बन्दूक का लाइसेन्स दे देंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा? आप किसान को सीमेंट का लालच देते हैं। सीमेंट की एक बोरी ब्लैक में 30 पये में बिकती है। एक बोरा सीमेंट पर 15 रुपया, 5 किलो चीनी पर 10 रुपया हो गये, 40 रुपये का ब्लैक खाद की बोरी पर है, मिट्टी का तेल मिलता है, एक बोरी पर जो यह सब सामान मिलता है वह सब अगर बाजार में ब्लैक में बेचा जाय तो उसे 60 रुपये प्राप्त होते हैं। किसान जिसको सीमेंट की जरूरत नहीं है, वह क्या करेगा अगर उसको ब्लैक में बेचेगा नहीं तो और क्या करेगा। इस तरह से व्यापारियों से ज्यादा आप ब्लैक मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। इलेक्शन के दिनों में पिट्रोल पम्पों से भी आपने फ्री कार्ड पर 5 लीटर तेल वितरित करवाया। उसके कारण देहातों में मिट्टी के तेल की त्राहि-त्राहि मच गई। शहरों में तो बिजली भी होती है, देहात में तो किसानों को मिट्टी का तेल ही जलाना पड़ता है। उन्होंने 3 रुपये लीटर के हिसाब से मिट्टी का तेल खरीदा है। आपकी इस नीति के कारण देहात वालों को मिट्टी का तेल मिला ही नहीं।

आप देहात और शहरों के बीच एक खाई पैदा करते चले जा रहे हैं। जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे आप खोल रहे हैं, अगर उनको देहात में खोला होता तो आज जो देहात से लोग भाग-भाग कर शहरों की ओर आ रहे हैं वे न आते। देहात में छोटे उद्योगों के खोलने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। आप जो देहात और शहरों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं इसके कारण एक दिन ऐसा आयेगा जब कि वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जायेंगे। केन्द्र से जो पैसा आपको मिलता है वह आबादी के लिहाज से वितरित करना चाहिये। आज बजट का 83 प्रतिशत पैसा तो आप कर्मचारियों पर ही खर्च कर रहे हैं। कर्मचारियों की तो महंगाई आप बढ़ा देते हैं, पर प्रदेश में जो और रहने वाले लोग हैं उनकी महंगाई की ओर आप कतई ध्यान नहीं देते।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ। आप कृपया बैठ।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर जो बोलने के लिये समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने आज की जिन विषम परिस्थितियों में जिस प्रकार का संतुलित बजट यहां पेश किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि विरोध पक्ष वाले यदि इधर बैठे होते तो वे भी इससे अच्छा बजट पेश नहीं कर सकते थे। इस बजट में हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने 903 करोड़ 37 लाख का व्यय दिखाया है और 863 करोड़ 9 लाख की आमदनी दिखायी है। लगभग 45 करोड़ 11 लाख का घाटा दिखाया है और यदि इसको भी थोड़ा सा जो हमारे गेहूं की लेवी है उसके परचेज टैक्स पर जो छूट दी गयी है उसको भी यदि जोड़ लें तो 4 करोड़ और घाटा होता है यानी लगभग 49 करोड़ का घाटा है। हमारे वित्त मन्त्री जी ने इस घाटे को पूरा करने के लिये यहां पर जो कर प्रस्तावित किये हैं उनको अगर आप लें तो उनसे करीब 30 करोड़ की आमदनी होगी। इस तरह से 20 करोड़ का घाटा रह जाता है। इसको पूरा करने के लिए मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार से और सरकारी ऋणों द्वारा इसकी पूर्ति करेंगे।

जहां तक हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि जो वित्त मन्त्री ने जो कर प्रस्तावित किये हैं उनसे आम जनता पर अधिक भार पड़ेगा। इसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो टैक्स प्रस्तावित किये हैं उन आइटमों पर जिन आइटमों का प्रयोग आम जनता नहीं करती है। इससे आम जनता पर असर कम पड़ेगा। हमारे वित्त मन्त्री जी ने स्टैम्प शुल्क, पथकर और होटल आदि पर टैक्स लगाये हैं और थोड़ा सा टैक्स आबकारी पर भी लगाया है और इनसे किसी प्रकार से 30 करोड़ पये की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि समाज में जो बड़े लोग हैं पूंजीपति लोग हैं वहीं लोग ज्यादातर होटलों में ठहरते हैं, गरीब आदमी को इस पर टैक्स देने की बात नहीं है। इस तरह से ज्यादातर इन टैक्सों का असर बड़े लोगों पर पड़ेगा आम जनता पर नहीं। मैं यह मानता हूं कि यह घाटे का बजट है और घाटे का बजट पेश करने से मुद्रा स्फीति बढ़ती है लेकिन इसके साथ-साथ में इस बजट से यह भी जाहिर है कि यह बजट कितना महत्वाकांक्षी है। कल प्रश्न उठा कि इस बजट में लगाये गये टैक्सों से आम जनता पर भार पड़ेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि बजट में ऐसी चीजों पर टैक्स नहीं लगा है जो आम जनता को प्रभावित करती है। हमारे वित्त मन्त्री जी ने बड़ी सूझ-बूझ और विचार विमर्श करने के बाद यह बजट पेश किया है। अगर मैं यह कहूं कि उन्होंने बहुत ही संतुलित ढंग से बजट पेश करके गागर में सागर भर दिया है तो मेरी यह उक्ति अतिशयोक्ति न होगी।

[श्री जगदीश प्रसाद अवस्थी]

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट में थोड़ी राहत भी देनेका प्रयास किया है। नगरों में भूमि भवन कर समाप्त किया है इससे भी हमें राहत होगी। साथ ही साथ जो जूता उद्योग उसमें श्रमिकों को बिक्री कर से राहत दी है। हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि बड़े आदमियों पर हमारे टैक्स बाकी पड़े है। उनकी वसूली में सरकार ने कोई प्रगति नहीं की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जो भी चाहे जितना बड़ा आदमी हो बकाया टैक्स सख्ती के साथ वसूला जायेगा। जबसे माननीय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री बने हैं तब से वह इस तरफ सचेष्ट हैं और देख रहे हैं कि जो पूंजीवादी लोग हैं जो समाज के शोषक हैं उन पर सख्ती की जाय। यह आरोप करना कि शासन बड़े आदमियों का पक्ष ले रहा है, ऐसी बात नहीं है।

यह आरोप लगाना कि बड़े उद्योगों को टैक्स से मुक्त कर रहे हैं और छोटे उद्योगों को कस रहे है, ठीक नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि शासन क्या अमल कर रहा है तभी आपको महसूस होगा कि इस बजट में बड़े व्यापारियों के साथ न कोई रियायत की जा रही है और न छोटे व्यापारियों तथा किसानों के साथ कोई जबरदस्ती। साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि खेती की तरक्की के लिये पंचवर्षीय योजना में गांवों में विद्युत के जरिये तरक्की की जा रही है लेकिन खेती का धन्धा ऐसा है कि आबादी बढ़ रही है परन्तु जमीन नहीं बढ़ सकती और उस पर भार बढ़ता जा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण अंचलों में छोटे उद्योग धन्धों के साथ-साथ बड़े उद्योग धन्धे भी खुलने चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहूंगा कि आज कानपुर जैसे बड़े नगरों में बड़े उद्योग धन्धे न खोले जांय क्यों कि वहां तो बहुत बड़े धन्धे खुल चुके हैं। अब ऐसा नियम बनाया जाना चाहिये तथा प्रदेश सरकार की केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये कि बड़े उद्योग धन्धों के लाइसेंस कानपुर जैसे बड़े नगरों के आस-पास न देकर नगरों से 20–30 मील की दूरी पर उद्योग धन्धे लगाने के देना चाहिये। इससे गांव ने गरीब लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

अब मैं सरकार का ध्यान दूसरी बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि गांवों में हमारी क्रेडिट सोसाइटीज होने के बावजूद भी बड़े-बड़े महाजन तथा सूदखोर लोग वहां बैठे हुये हैं। वे लोग किसानों तथा गरीबों को पैसा देकर उनसे लम्बी-लम्बी दरों पर ब्याज लेते हैं जिससे वह मूलधन तथा ब्याज से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन सूदखोरों से किसान की रखी हुई जमीन लेकर आप भूमि विकास बैंक को बन्धक के रुप में देकर उनको कर्ज मुक्त करेंगे।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप कानपुर में गंगा नदी में एक बैराज बनाना चाहते हैं जिस पर 22 करोड़ रु0 की योजना स्वीकार की है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। कानपुर जनपद के विकास के लिये भी सर्वेक्षण करके योजनायें बनाई जांय इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने जो हम बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं: दो दिनों से इस बजट पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के लोग इस बजट की बड़ी तीखी गति से आलोचना कर रहे हैं और सरकारी पक्ष के लोग इस सरकार पर मक्खन पालिस कर रहे हैं। बजट को समझ नहीं है परन्तु मंत्री की तारीफ करेंगे। वित्त मंत्री जी की तारीफ करेंगे बजट के संबंध में।

श्री अधिष्ठाता—

अब माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कुछ न कहें। यह मर्यादा की बात है। सभी सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार भाषण दे रहे हैं।

चौधरी राम पाल सिंह यादव––

यह जो वर्ष 1974–75 का बजट है वह बोलता है कि प्रदेश की प्रगति डूबी हुई है। यह वर्ष अकाल, महंगाई और अशांति का होगा। भीषण महंगाई के कारण इस प्रदेश में बहुत बेचैनी बढ़ेगी और इस जनवादी सरकार का चेहरा साफ होगा। अरबों पयों का बजट है। यह बजट 8 अरब 63 करोड़ 9 लाख रु0 की आमदनी और 9 अरब 3 करोड़ 37 लाख पये का खर्च का बनाया गया है। 9 अरब 3 करोड़ 37 लाख पये का खर्चा होगा। 37–38 पन्ने का यह बजट भाषण और इसके साथ एक बहुत बड़ा साहित्य बिलकुल मुनीम जी का खाता है। जिस प्रकार मुनीमजी के खाते में आमदनी और खर्चे का मिलान कर दिया जाता है उसी प्रकार से आमदनी और खर्चे का मिलना करके एक थोथा पुलिन्दा बनकर इस सदन में पेश कर दिया गया है। मान्यवर, 45 करोड़ रुपये का घाटा होगा। 30 करोड़ के करीब नये टैक्स लगा देंगे और इस प्रदेश की तरक्की कुछ होगी नहीं। मान्यवर वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में जो 35 पेज का है समाजवाद का नाम एक दफा भी नहीं लिया। सदन के बाहर यह कांग्रेस के लोग, यह मंत्रिगण समाजवाद की तोता रटन्त लगाते है, लेकिन जब हाउसमें आते हैं ो भूल जाते हैं कि समाजवाद वया है, समाजवादी समाज की रचना कैसे होगी उसके लिये किस रास्ते पर चलना पड़ेगा।

मान्यवर, इस प्रदेश में जो तरक्की की रफ्तार हैं वह 2.3 प्रतिशत है जब कि आबादी बढ़ती है 2.2 प्रतिशत। तो तरक्की को प्रतिवर्ष की जो औसत है वह 0.1 प्रतिशत पड़ती है। इस तरीके से मान्यवर यह जो कि इनकी निर्धनता की सीमा रेखा है, उसमें यह है कि 40 रुपया प्रति महीना प्रति व्यक्ति खर्चा हो, उसको बुरी तरोकें से पार कर चुके हैं और करीब 68. लोग ऐसे हैं यानि 6 करोड़ जनता ऐसी है जो निर्धनता की सीमा रेखा पार कर चुकी है। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो निरक्षर है। मान्यवर, समाजवादी समाज की रचना तथा समानता की ओर इन्हें कदम बढ़ाने के लिये अपनी यथास्थति में परिवर्तन करना पड़ेगा। पुराने नियम पुराने रास्तों को बदलना पड़ेगा। लेकिन यह लोग बदलना नहीं चाहते। वही सड़े कानून जो अंग्रेजी राज्य से चले आ रहे थे वही चल रहे हैं। उसी तरीके से दरोगा की लाल पगड़ी है, उसी तरह से कलेक्टर आज भी है। उसी तरीके से पुलिस मैनुअल जो 150 वर्ष पुराना है आज भी है, उसी तरह से रेवेन्यु एक्ट जो 150 वष पुराना आज भी है। यह कांग्रेस की सरकार अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चल रही है और पैबन्द लगाकर का मकर रही है। मान्यवर, इनमे इतनी हिम्मत नहीं कि उन सड़े गले कानूनों को बदल सकें जिनके बल पर अंग्रेजों ने हम पर राज्य किया और गुलाम रखा। यह लोग बदलना नहीं चाहते और अगर चाहते हैं तो फिर नमें अकल नहीं है। बदलने की और समाजवादी समाज की रचना के लिये नये न कानून बना सकें।

आज गरीबी और अमीरी का भेद बराबर बढ़ता चला जा रहा है। अमीर और अमीर और गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। अगर यह समाजवाद के रास्ते पर चलना चाहते है तो क ेंन आमदनी और खर्चे की सीमा बांधते कि हिन्दुस्तान में किसी को भी आमदनी 300 रुपये से कम न हो चाहे वह रिक्शा चलाने वाला हो, चाहें चपरासी हो, चाहे झल्ली ढोने वाला हो। आज 1500 और 2000 रुपये से ज्यादा किसी अफसर की आमदनी नहीं होगी और इससे ज्यादा वह खर्चा नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं करते आप। अभी तक कहते रहे गरीबी मिटायेंगें, बेकारी मिटायेंगे। अब इस बजट में मंत्री जी ने कह दिया है कि हम गरीबी और बेकारी घटायेंगे, मिटायेंगे नहीं। इस तरह से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी मिटाने का इरादा नहीं है बल्कि टाने का है। जिस गति से यह गरीबी घटा रहे हैं उनमें इनको सैकड़ों वर्ष लगेंगे और तब कहीं इंसान को इंसानियत के स्तर पर ला पायेंगे।

उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोग बेकार हैं। पिछलीबार इन्होंने सदन में डींग हांकी थी कि हम बेकारों को काम देंगे। पांच छै करोड़ रुपया इनको केन्द्र से मिला और कुछ लोगों को न्होंने काम दिया। इस बजट में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार पैसा देगी ो देखेंगे। लटका दिया

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

आशा में कि केन्द्रीय सरकार पैसा देगी तो बेकारों के बारे में देखेंगे। यह सरकार न गरीबी मिटा सकती है, न बेकारी मिटा सकती है, न भुखमरी मिटा सकती है और न महंगाई दूर कर सकती है। आज महंगाई इतनी तेजी से बढ रही है कि आदमी तबाही के रास्ते पर आ गया है। हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने महंगाई को न रोका ो निश्चित रूप से इस प्रदेश में लूट शरू हो जायगी। भूखा इन्सान जिसके पास पैसा नहीं होगा और महंगी चीज नहीं खरीद सकेगा तो वह लूटेगा। महंगाई को रोकने के लिये क्यों नहीं दाम बांधत। जो मिलों में पैदा हो वाली चीजें हैं और जो गांव में पैदा होने वाली चीजे हैं उनके दामों में संतुलन करें। लेकिन आज तो गरीबों के हाथ की पैदा होने वाली चीजें सस्ती हैं और मिलों में पैदा होने वाली चीजों के दाम बेतहासा बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं आप दाम बांधते। मान्यवर बजट में हमें और कुछ नहीं मिला एक तरह देखा कि यह सरकार बड़ा ेर मारने जा रही है। हमारे सूबे में करोड़ों आदमी हैं जिनके पैर में जूते नहीं और इन्होंने लिखा है कि दस हजार जूते रूस को भेज दि । आपको बड़ा घमंड है, बड़ा अच्छा व्यपार कर लिया। शर्म आनी चाहिये। देश और प्रदेश में करोड़ों आदमी नंगे पैर घूमते हैं और रूस को जूते भेजते हैं। इन्होंने जूते का निगम भी बनाया है।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

माननीय सदस्य जिसको कहें उसी को जूता दे दें। दस हजार रूस को भेजते हैं। किसी दूसरे देश का नाम बतायें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

कुछ अपने लोगों को लिये रख लीजिये। (हंसी)

श्री अधिष्ठाता---

कुछ जूते यादव जी को भिजवा ेजियेगा। (हंसी)

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

असल में मियां की जूती मियां के सिर होती है। रूस इनको चप्पल भेजा देगा। दोनो का काम चल जायगा। (हंसी) मान्यवर, इस तरह से यह सरकार चल रही है और प्रदेश को ऐसी जगह लाना चाहती है जहां से बगावत शुरू हो। पंचवर्षीय योजनाओं का बड़ा जिक्र किया किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजन, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना पूरे 20 साल हो गये और अरबों रुपयें खर्च कर दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 20 सालों में आपने इस प्रदेश में कितनी तरक्की की। गरीब इन्सान को इन 20 सालों में कितनी राहत पहुंचायी और कितनी गरीबी को दूर किया। मैं कहता हूं, मान्यवर आपने कुछ नहीं किया। और अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना है। बाप न मारी मेढकी, बेटा तीरन्दाज। 20 सालों में चार योजनायें चली गयीं और अब तीर मार रहे हैं कि पांचवीं योजना में स्वर्ग बना देंगे। यह बिल्कुल झूठी दलील है। इनका यह योजनारूपी सफेद हाथी, इस प्रदेश की गरीब जनता को ठगने के लिये खड़ा किया गया है। इसमें कुछ नहीं है।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मान्यवर, इस सदन की परम्पर रही है कि उधर से जितने इधर आते हैं, पहले कांग्रेस को गाली देने वाले होते हैं। क्या माननीय सदस्य भी तो नहीं वहां से खिसक कर इधर धीरे-धीरे आ रहे हैं! (हंसी)

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायें कि कौन-कौन से लोग उधर खिसक कर गये हैं!

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मान्यवर, आज खेती की पैदावरा गिरती चली जा रही है। आज भी इस कांग्रेस के शासन में तीन-चौथाई जमीन को पानी नहीं मिलता। अगर यह सरकार केवल हर खेत को पानी पहुंचा दे तो गेहूं की भीख मांगने से बच जायेगी और उत्पादन दुगना हो जयगा। इनको पता नहीं कि गंगा में 430 हेक्टोलिटर जल का संशाधन है और उसमें का 310 हिक्टोलिटर जल उत्तर प्रदेश के जरिये समुन्दर में जाता है। इस पानी का सदुपयोग किया जा सकता है और आप हर खेत को पानी पहुंचा सकते हैं और इस तरह से अपने यहां के कृषि उत्पादन को दुगना और तिगुना हो जायगा। लेकिन यह काम आप नहीं करें। कृत्रिम वर्षा करेंगे। लाखों रुपये लगाकर मशीन के जरिये पानी को उड़ाकर फिर वर्षा करायेंगे। बिल्कुल नौटंकी कर रहे हैं। जो वास्तविक काम है, नहीं करते।

मान्यवर, एक बात और बता दूं। कर जांच समिति ने पिछले दिनों रिपोर्ट दी थी लेकिन शायद इन लोगों ने उसको पढ़ा नहीं। कर जांच समिति ने रिपोर्ट दी थी कि अगर एक करोड़ रुपये लोहे के धंधे में लगा दिया जाय तो 16 लाख रुपये का मुनाफा होगा। और अगर एक करोड़ रुपया कपड़े के उद्योग में लगा दिया जाय तो 35 लाख रुपये का मुनाफा होगा। क्यों नहीं इस रुपये को ऐसे धंधे में लगाते, ऐसे कामों में लगाते कि जिससे राष्ट्रीय उत्पादन बढ़े, प्रदेश का उत्पादन बढ़े। मान्यवर, ये ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे देश और प्रदेश का उत्पादन बढ़े। ये तो केवल कुर्सी पर बैठे रहने को पसंद करते हैं और करते कुछ नहीं। मान्यवर, इसी बीच एक बात और कहना चाहता हूं। हमें परसों यह सुनकर, इस सदन में, बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे विरोधी दल के नेता हैं चौधरी चरण सिंह उन्होंने कल इस सदन में यह कह दिया कि यह जो सवा 6 एकड़ का लगान है जिसे 70 में संविद की सरकार ने माफ किया था अब इसको फिर लागू कर दिया जाय। हमने 70 में यह कहा था कि शराब को एक दम बन्द कर दो या शराब की एक बोतल के दाम 100 रुपये कर दो जिससे रिक्शे वाला गरीब आदमी पीने से बच जाय और जो अमीर आदमी अय्याशी में पीना चाहे पीये। चौधरी साहब शराब पर बढ़े हुए टैक्स को तो घटाना चाहते हैं और 70 फीसदी किसान जो है अलाभकर जोत वाला उसके लगान को फिर से लगाना चाहते हैं।

10 दिसम्बर, 70 को राजस्व मंत्री, प्रभु नारायण सिंह ने अलाभकर जोत यानी सवा 6 एकड़ पर से लगान हटाने का प्रस्ताव विधान सभा में बहुमत से पास कराया था और वह 1 जुलाई, 70 से लागू हो गया था और वह लगान आज तक माफ है और मुझे याद है कि दिल्ली से राम सेवक यादव जी रेडियो पर बोले थे कि डाक्टर लोहिया की मुराद पूरी हुई लेकिन आज क्या उस मुराद को भुलाया जा रहा है? यह क्या इसके लिये किया जा रहा है चूंकि कांग्रेस भी समाजवादी हो रही है इसलिये हम समाजवाद को छोड़ रहे हैं। अगर कोई व्यापारी नकली सोने से बाजार को पाट दे तो क्या असली सोने वाला उसे समुद्र में फेंक देगा या नकली समाजवादी आ जाय तो क्या असली समाजवादी कन्दराओं में घुस जायेंगे! हम तो उनका मुकाबला करेंगे और नकली लोगों का परदाफाश करेंगे जब तक कि शोषणविहीन समाज, समृद्ध तथा समानता वाले समाज की रचना नहीं हो जाती है। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि अरे तुम तो 5 हो। सही है हम 5 हैं लेकिन दुर्योधन के मुकाबले जो 5 पांडवों की शक्ति थी वह हमारी है।

श्री राजमंगल पांडेय—

क्या कौरव उस तरफ हैं? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

वह पहले ही संकेत कर चुके हैं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

वैसे तो सही माने में कौरव कांग्रेस पार्टी ही है लेकिन कुछ लोग शिखंडी भी हैं जो हमारी लड़ाई में अवरोध पैदा करना चाहते हैं। (हंसी) (व्यवधान)। हम समाजवाद लाने में अगर असमर्थ हैं तो इन शिखंडियों के बीच में आने के कारण हैं। इस सरकार को मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बधाई दूंगा माननीय प्रभुनारायण सिंह और माननीय प्यारेलाल जी को जिन्होंने कि कांग्रेसी सदस्य होने के बाद भी सवा छः एकड़ लगान की माफी का विरोध किया। मान्यवर, हम इस सरकार को आगाह भी करते हैं। अगर चौधरी साहब की सरकार भी आ गई तो सोशलिस्ट पार्टी सारे प्रदेश में डट कर मुकाबला करेगी और बगावत करेगी। जैसी रैलीज चौधरी साहब की सरकार के समय हुई थी वैसी ही रैलीज हम बहुगुणा सरकार में भी करेंगे यदि इन्होंने सवा छः एकड़ लगान माफी कानून यहां पर लाने की कोशिश की। अगर मौजूदा सरकार यह नहीं कर रही है तो बड़ा अच्छा काम कर रही है और यदि करने जा रही है तो हमारा चैलेन्ज है कि आगे मैदान में हम और आप निपटेंगे। आप कहते हैं कि सवा छः एकड़ की जोत का किसान लगान दे सकता है। मान लीजिये 50 रुपये की लगान माफी उसकी की जाती है तो वह उस पैसे को खेती में लगा सकता है। उस पैसे को वह सिनेमा में नहीं लगायेगा। अगर उसका लगान माफ रहता है तो जो पैसा उसका बचता है उसको वह खेती के उत्पादन में लगा सकता है। अगर आप छोटे किसानों की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें खाद दीजिये, बीज दीजिये, पानी दीजिये सस्ता दीजिये और साथ ही मुकदमा भी दीजिये। उत्पादन बढ़ाने के लिये आपको यह काम करने होंगे। अगर आपने अंग्रेजों की तरह जिन्होंने कि डेढ़ सौ वर्ष तक सामन्ती प्रथा के द्वारा किसानों का खून चूसा, तो फिर वही बगावत होगी जो कि अंग्रेजों के साथ हुई थी। वास्तव में मूल रूप से यह सामन्ती प्रथा समाप्त होनी चाहिये, मालगुजारी प्रथा समाप्त होनी चाहिये। यह गुलामी की प्रथा की निशानी है। अगर आप में हिम्मत है तो आय-कर आप लगा दें जिसकी आमदनी होगी वह कर देगा जिसकी आमदनी नहीं होगी वह नहीं देगा। क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं?

आज आप किसानों से गेहूं खरीदने चले हैं। किसानों को आप 105 रुपये देंगे। बीज निगम की रिपोर्ट के अनुसार एक क्विंटल की लागत 112 रुपये होती है। यह रिपोर्ट पिछले साल के लिये थी और आज वह लागत बढ़कर 130–135 रुपये हो गई होगी जिसको कि आप केवल 105 रुपये दे रहे हैं। इस प्रकार आप किसानों को लूट रहे हैं। हमारे पांडेय जी मौजूदा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं और गन्ने के इलाके से आये हुये हैं। ये गन्ना 10-12 रुपये क्विंटल के हिसाब से यानी 4-5 रुपये मन गन्ना खरीदते हैं। आज गन्ने का दाम 4-5 रुपये मन है और बबूल की सूखी लकड़ी का दाम 12 रुपये मन है। इस ओर आपका कभी ध्यान नहीं गया कि गन्ने का दाम बबूल की सूखी लकड़ी से भी कम है। किसान को गेहूं का कम दाम दे रहे हैं और टाटा साहब को, बिरला साहब को, बड़े-बड़े आफीसरों को, रिक्से वालों को, चपरासियों को और झल्ली वालों को सबको एक ही दाम में बेच रहे हैं। क्या यही समाजवाद है! अगर आप में हिम्मत है तो जो बड़े-बड़े आफीसर हैं जो 30 रुपये किलो काजू खरीद कर खाता है, क्या आप उनको 10 रुपये किलो में गेहूं नहीं दे सकते हैं? उन आदमियों को जो रिक्शा चलाते हैं, भूमिहीन और गरीब हैं उनको 8 आने किलो क्यों नहीं देते हैं? इस तरह से जो बड़े आदमियों से पैसा मिले, उससे इन लोगों को छोड़ दीजिये।

यह तो समाजवाद है लेकिन आपके यहां तो अंधेर है––अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यह आपका राज्य है, यह इस तरह से चलने वाला नहीं है। अब आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे और उन परिवतनों में यदि आप समाजवादी लाईन पर नहीं चलते तो निश्चित रूप से आप इस प्रदेश की 9 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात करेंगे। आप कहने को तो कहते हैं कि हम समाजवादी रेलगाड़ी पर चढ़े हुए हैं, लेकिन आपकी रफ्तार

भैंसागाड़ी वाली है। आप बिलकुल भैंसागाड़ी पर बैठे हुए हैं और वह भैंसागाड़ी आपको तालाब के कीचड़ की ओर लिये जा रही है। जहां से आपका प्रशासन एक ऐसे कीचड़ में फंसेगा, जहां से फिर आप कतई वापस नहीं आ पायेंगे, सदैव फंसे रहेंगे। बैल आपके चले गये और अब गाय भी टांग मारेगी। इन सारी स्थितियों के रहते हम सरकार को फिर आगाह करते हैं कि आप समाजवादी रास्ते पर चलें। डाक्टर लोहिया ने जो रास्ता बताया था उस पर चलें। आप हमारे समाजवादी घोषणा-पत्र को पढ़ो।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मान्यवर, इन शब्दों के साथ यह जो बजट पेश हुआ है, यह जो मन्त्री जी का बजट भाषण है, जिस पर चर्चा चल रही है, इसकी मैं इस सदन में फाड़कर फेंकना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा।

श्री अधिष्ठाता---

भाषण फाड़ना सदन की गरिमा के खिलाफ है। धन्यवाद जो आपने नहीं फाड़ा।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

मैं केवल इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता, कल से जो चर्चा चल रही है, उसको मैं ध्यान से सुन रहा था। यह जो बजट पेश हुआ है, उसके सम्बन्ध में कुछ चीजों के बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता था। बजट में जो लिखा हुआ है उसके बाहर जो चीजें हैं, जो नहीं लिखी गई हैं, उसके बारे में यहां ज्यादा चर्चा हो रही है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, खासकर इधर जो विरोधपक्ष में साथी बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि जो आपकी भावनायें हैं, जो आपकी सद्इच्छा है, इधर के भाइयों की भावनाएं भी वैसी ही हैं। मैं अपनी ओर से जबानी बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपके सामने जिस योजना की चर्चा हो रही है, बारबार चर्चा की जा रही है, भारत सरकार ने जो एक पुस्तिका अभी प्रकाशित की है--'पंचवर्षीय योजना की दृष्टिकोण की रूपरेखा। उसमें जो कुछ कहा है, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने उसमें से एक उद्धरण रखना चाहता हूं। उसमें स्पष्ट कहा गया है परन्तु एक समाजवादी प्रजातंत्र इससे आगे कुछ और भी होता है। इसके अन्तर्गत बृहत् जनसमुदाय आ जाता है। जहां देश की 40 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा या कम से कम उपभोग से निचले स्तर पर जीवन निर्वाह कर रही है। वहीं यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। यदि देश के एक सा लोगों में से 40 बिना भरपेट खाना, बिना समुचित करों और बिना काफी कपड़े, बिना शिक्षा और रोजगार के हों, यानी संक्षेप में मानवजाति को विरासत में मिले सम्मान से रहित हों, तो इसका मतलब हुआ कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो कि केवल आंशिक रूप से स्वतंत्र है।"

श्रीमन्, क्या इससे ज्यादा आलोचना विरोधी पक्ष में जितने भाई बैठे हैं, सम्भवतः किसी ने नहीं की है। (व्यवधान) यह मैं नहीं कह रहा हूं। भारत सरकार ने जो पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में कहा है उसकी ओर ध्यान दिला रहा हूं। मेरी भी आप समझ सकते हैं कोई भी सरकार जो यहां बैठी हो, या दिल्ली की गद्दी पर बैठी हो इस वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकती। इसके साथ-साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री ने जो भाषण प्रस्तुत किया है उसकी एक दो लाइनों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन परिस्थितियों की ओर इशारा करते हैं, जैसा कि अभी माननीय रामपाल सिंह जी ने आपके सामने कहा कि भाई लूट शुरू हो जायगी और भी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। यह सही बात है कि आज जिस परिस्थिति

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

से हम गुजर रहे हैं उसमें इसकी सम्भावनायें निहित हैं। देश के दूसरे हिस्सों में वे चीजें हैं। लेकिन इसी के साथ जो सरकार बैठी हुई है वह भी उन चीजों से आगाह है, समझती है और स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है अतः यह स्वीकार करना होगा देश कि देश के अन्य भागों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश भी मूल्यों में वृद्धि होने के कारण एक कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है। जो लोग इधर बैठते हैं, या जिस वक्त आप इधर बैठते हैं या जो साथी इधर बैठे रहे हैं, उनकी क्या सीमाएं होती हैं उनका ज्ञान रहता है। ऐसी हालत में जैसा कि इसी बजट में माननीय तिवारी जी ने अखिर में अपील की है, हम सब एक रहेंगे, मैं उसी तहत में आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम इस बजट पर विचार करने लगे तो जो वास्तविकतायें हैं, जिन वास्तविक परिस्थितियों के बीच में बजट प्रस्तुत किया गया है उनको नजरन्दाज न करें। अभी आपके सामने माननीय चौधरी साहब ने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किये।

माननीय माधव प्रसाद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि चौधरी साहब के पास हर तरह के आंकड़े हैं। मैं भी वकील हूं। चौधरी साहब पुराने वकील हैं। वकील जिस तरफ मुकदमे की पैरवी करता है उसके पक्ष में तर्क देता है और कभी-कभी एक ही दिन में दो विरोधी पक्षों की पैरवी करता है। (व्यवधान) माननीय माधव प्रसाद जी ने जो बात कही वह यह कि भाई आपके पास हर चीज को जस्टीफाई करने के लिये आंकड़े हैं। जब इधर चौधरी साहब बैठते थे तो सरकार के पक्ष में तीन तीन पन्ने के आंकड़े पेश किया करते थे। आज संयोगवश उधर बैठे हैं तो उधर वाले आंकड़े दूसरे जेब से निकाल कर प्रस्तुत कर दिये। मैं इस सदन का समय आंकड़ों की उस भूलभुलइया में नहीं लेना चाहता। लेकिन वह वास्तविकतायें हैं। मैंने बहुत कोशिश किया, जितनी रिपोर्ट सरकार की आती है, सब को आप भी देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक विकास की रफ्तार कुछ थी तीन सवा तीन परसेंट। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से विकास की रफ्तार हमारी कम हो गयी है। बल्कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वह एक दम निगेटिव हो गया है। इसको सरकार भी स्वीकार करती है और हम लोग भी स्वीकार करते हैं। हमारी वार्षिक आय 3 प्वाइंट कुछ प्रतिशत बढ़ी है और इसी के साथ-साथ जो आखरी आंकड़े मौजूद हैं उनसे मालूम होता है कि 2 प्रतिशत हमारी आबादी बढ़ गई है तो जाहिर है कि जो हमारी प्रगति हुई है वह अपनी जगह पर खत्म हो जाती है। आज जहां हम खड़े हैं उसी स्थिति को बनाये रखने के लिये जितनी विकास की हमारी दर होनी चाहिये वह होना मुमकिन नहीं मालूम होता है। आज जब आप इस योजना को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि इसमें कहा गया है कि हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। या तो हम अपने विकास की गति को 5 5 प्रतिशत बढ़ायें वरना हम जहां खड़े हैं जितना कपड़ा पैदा कर रहे हैं, जितना अनाज पैदा कर रहे हैं, जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, उसको कायम नहीं रख सकते हैं बल्कि उससे भी पीछे हमें जाना होगा।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको उसी भावना से ग्रहण करें। इसके साथ-साथ माननीय रामसेवक जी बैठे हुए हैं, और माननीय रामपाल सिंह जी ने अच्छी बात की और ध्यान दिलाया। चौधरी साहब भाषण कर रहे थे। प्रभूनारायण सिंह जी ने सवा छः एकड़ पर लगान की बात कही। जैसा कि कहा गया कि सिद्धांत की बात आप मानते हैं या नहीं। हम अवश्य मानते हैं क्योंकि जहां हम बैठे हुए हैं वहां समाजवाद की बात करने के लिये बैठे हैं और इस सरकार द्वारा जो कदम उठाया जायगा उसका समर्थन करने के लिये तैयार हैं। आज वे लोग समाजवादी कार्यों का विरोध करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिये। यह जो स्थिति पैदा हो गई है.....

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। चौधरी रामपाल सिंह जी का भाषण हमने सुना। चौधरी साहब ने अलाभकर जोतों पर फिर से लगान लगाने की बात नहीं कही।

श्री अधिष्ठाता—

आप मेरी बात सुन लें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भाभी—

उन्होंने तो किसानों के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है आप कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) चौधरी साहब स्वयं सक्षम हैं अपनी सफाई पेश करने के लिये यदि कोई भ्रम हुआ होगा।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मैं अपनी बात कह रहा था कि हमारे मित्र बीच में खड़े हो गये। जो माननीय चौधरी साहब ने कहा है वह रिकार्ड पर है। मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि वह उसको उठाकर देख लें कि क्या उन्होंने कहा है। बहुत सी कही गई हैं और हर एक का जवाब प्वाइंट बाई प्वाइंट दिया जाना चाहिये था। लेकिन इतना समय नहीं है। इसलिये मैं असमर्थ हूं। हमारे नेता लोग उनका जवाब देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्वाइंट पर आप सरकार की आलोचना करना चाहते हैं उस पर आप जीत नहीं सकते हैं क्योंकि जो डेवलपमेन्ट बजट होता है उसके अन्दर आलोचना की बहुत कम गुंजाइश है श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो तरह के काम सरकार ने किये हैं। एक सामान्य विकास का काम होता है जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, अस्पताल बनाना आदि। दूसरा काम सरकार का जो आर्थिक नीति को बदलती है। लेकिन जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं वह नेता समाज के परिवर्तन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

श्री राम सेवक यादव—

आप भी कभी उनके साथ बैठे थे।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी आज्ञा से 1974-75 के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी यहां तशरीफ नहीं रखते हैं। मेरी उनसे कुछ शिकायत थी। पहले यह प्रथा थी कि जब विधान मण्डल के नये सदस्य चुनकर आते थे तो उनका वित्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा बजट की टेक्नीलिटी बतायी जाती थी। पिछले दिन विरोधी दलों के लोग बैठे यह तय करने कि किन विभागों पर बहस हो पर विभाग के बांटने में दिक्कत हो रही थी। बजट के बनाने वाले अधिकारी आये तो कुछ समझ में आया। इस वर्ष विभाग की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गयी। अगर अभी भी कुछ सहायता दी जाय तो ठीक है। नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने शायद अपनी ह्यूमिनिटी में कहा है। उन्हें हिन्दी का ज्ञान कम है। बजट में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है वह कठिन और टेक्नीकल होती है। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा शब्द कोष बनाया जाये और माननीय सदस्यों को बजट साहित्य के साथ बंटवा दिया जाया करे जिससे भाषा कुछ समझ में आ सके। यह जो बजट पेश किया गया है चाहे इस सरकार का हो या किसी सरकार का हो, बजट में सरकार की तमन्नायें क्या हैं, उसकी आशायें क्या हैं सरकार की आर्थिक हैसियत क्या है बजट इन सब चीजों का एक आइना है। भाषण बजट में जिक्र किया है कि सरकार करीब 3 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा पांचवीं योजना में करती है, लेकिन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसका भी ख्याल किया जाना था। चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में 1165 करोड़ रुपया खर्च करके जो कुछ कर पाये हैं गरानी के कारण उतना भी नहीं अब कर पायेंगे।

[श्री राममूर्ति]

मैं इत्तिफाक से जिस दिन बजट पेश किया गया उपस्थित नहीं था । मैंने वित्त मन्त्री की बजट स्पीच पढ़ी । 5वें शफा पर जिक्र है कि पांचवीं योजना का जो लक्ष्य है वह गरीबी कम करना तथा आर्थिक आत्म निर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना । प्रधान मन्त्री ने नारा बुलन्द किया कि हम गरीबी हटायेंगे और उस नारे का फायदा उन्होंने उठाया । सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया । गरीब अनपढ़ जनता को बहकाया है और जो किया है उसको सब जानते हैं सत्ता में बैठ गये और अब यह लक्ष्य नहीं है कि गरीबी को मिटाया जाय । अब यह इरादा है कि अगर कुछ कम हो सकती हो तो कम कर दिया जाय । सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल एक आर्गेनाइजेशन है उसमें एक पब्लिकेशन में छपा है कि 1970–71 में हिन्दुस्तान के प्रति व्यक्ति की आमदनी 345 रुपया थी 71–72 में 343 और 1972–73 में 337 रु० रह गई । यह उत्तर प्रदेश जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, एक दो प्रदेश को छोड़ कर, प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज से बिलकुल पिछड़ा हुआ है । हमारी 12–15 जिले ऐसे हैं जहां के लोगों की जिन्दगी एक भार रूप हो गई है । यहां कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी तक लोगों को दो वक्त का पूरा खाना नहीं मिलता है । दोपहर को सत्तू खाते हैं और शाम को जाकर रोटी खाया करते हैं ।

यदि इस संदर्भ में चीजों को देखा जाय तो सन् 1966 में जब प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी ने हुकूमत अपने हाथ में ली फाइनेंशियल व्यालिंग का टाइम था । समय-समय पर इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर की पैदावार में, लोगों के इम्प्लायमेन्ट में, जितनी जिन्दगी की चीजें हैं सभी में आहिस्था-आहिस्था बढ़ोत्तरी हुई ।

(इस समय 3 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ । लोगों को ख्याल होने लगा कि शायद हिन्दुस्तान थोड़े दिनों के बाद गल्ला देश से बाहर भेजा करेगा । लेकिन सरकार ने उन हालात का फायदा नहीं उठाया । फिर वही पुरानी नीतियों पर पहुंच गई जिनसे कृषि की उपेक्षा की जाती है । इस बात को भूल गये कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है । 80–85 फीसदी आदमी देहात में रहते हैं और जिनकी परकैपिटा इन्कम बहुत कम है थोड़े से लोगों को छोड़ दिया जाय जो बड़े काश्तकार हैं, दो-तीन-चार-चार एकड़ जमीन जोतने वाले लोग बड़े गरीब हैं उनकी आमदनी का अन्दाज सभी लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं लगा सकते हैं ।

हमारे मुल्क की हालत बिगड़ने लगी । "दिल बदलता है तो ख्यालात बदल जाते हैं और वक्त के साथ ही हालात बदल जाते हैं ।" हालात बिगड़ने का मुख्य कारण यह हुआ कि इसी दौरान यानी सन् 1972 तक आप गौर कीजिए सन् 1966 में हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय थी 1500 करोड़ थी और सन् 1972 में 1900 करोड़ तक गई यानी 26 फीसदी बढ़ गई । इसी दौरान में करेन्सी 4500 करोड़ से 9800 करोड़ रुपये बढ़ी यानी 120 फीसदी बढ़ गई मुद्रास्फीति का नतीजा यह हुआ कि जब पैसा बाजार में बहुत आ गया तो पैसे का दाम गिर गया और सामान का दाम बढ़ने लगा और इतना ही नहीं और एक नतीजा हुआ गिरानी बेहिसाब बढ़ने लगी । पंडित नेहरू के जमाने में इनफलेशन 6–7 फीसदी बढ़ा तो सारी जनता घबड़ाने लगी । प्लानिंग कमीशन ने तय किया अगर रेट आफ ग्रोथ 5 परसेंट होगा तो इन्फलेशन 7 परसेंट तक हो सकता है । कितने अफसोस की बात है कि इस दौरान में पैदावार 1 1/2 फीसदी घट कर रह गई और मुद्रास्फीति 20 परसेन्ट बढ़ी । जो मार्क्स बने थे, उन्हें भी इस सरकार ने नहीं माना । उसका नतीजा क्या हुआ । हिन्दुस्तान के आज 22 करोड़ इन्सान ऐसे हैं जो सबस्टैंशियल लेबिल से नीचे पर रह रहे हैं । उनकी 29 प्रतिशत गरीबी और बढ़ गई है ।

उन लोगों को छोड़िये जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज के मालिक या जो देहातों में रहते हैं और जिनकी आमदनी के साधन खेती के अलावा और भी साधनों से होती है । लेकिन जिनकी

बंधी हुई आमदनी है, आज उसकी जिन्दगी कितनी में है। उनके समने जो मुश्किलातें हैं, उनको आप और हम अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। आज जिन लोगों को 500 या 600 रुपये मिलते हैं वे अपने बच्चों को दूध जैसी वस्तु, जो इस समय बाजार में 3 और 3 1/2 रुपये किलो बिक रहा है, नहीं पिला पाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इन सब बातों की ओर ध्यान दे वरना हम उन्नति के रास्ते पर नहीं जा सकते। मेरा सुझाव है कि देश की बिगड़ी हुई हालत को संभालने की कोशिश की जाय। जब तक डैफिसिट फाइनेंसिंग पर कन्ट्रोल नहीं किया जायगा तब तक प्रदेश और देश की हालत सुधरेगी नहीं। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 815 करोड़ रुपये का डैफिसिट फाइनेंसिंग था लेकिन 31 मार्च को खत्म होते यह 3,200 करोड़ का डैफिसिट फाइनेंसिंग हो गया। खासतौर से यह रुपया बाजार में बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ-साथ कोई भी दुनिया का हर मुल्क जो विकासशील है, जो पिछड़ा हुआ है, और अपने मुल्क को डेवलप करना चाहता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है, लोन भी लेता है, क्योंकि बिना कर्जा लिये हुए देश का काम नहीं बनता है लेकिन सरकार का यह फर्ज है कि जो रुपया लिया जाय वह दावार के साधनों में लगाया जाय। अगर वह इन चीजों में नहीं लगता है तो देश की दौलत नहीं बढ़ती है। डैफिसिट फाइनेंसिंग किया जा रहा है तो उसके अनुपात में रेट आफ ग्रोथ भी बढ़ाया जाय, इन्डस्ट्रीज भी बढ़े खाने पीने की और कन्जयुमर्स गुड्स भी बढ़ें। अगर इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो जो हालत हमारी है, वह और भी बदतर होती जायगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन बातों को अपने ध्यान में रक्खे। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जायगा और कह दिया गया कि जो बात हो गई वह हो गयी, काम नहीं चलने वाला है। तो इसका विकल्प क्या हो? जो श्री नेहरू के बाद और उनके जमाने में पालिसी बनी थी कि हैवी इन्डस्ट्रीज की ओर ध्यान दिया जाय, पहले इन्डस्ट्रीज पर कुछ कदम बढ़ाया जाय और फिर अपने प्रदेश और हिन्दुस्तान में कृषि पर ध्यान दिया जाय और खेती से जो सम्बन्धित इन्डस्ट्रीज हैं, जैसे एग्रो इन्डस्ट्री, उनकी ओर ध्यान दिया जाय। इससे दोनों बातें पनपेंगी। जो फसल पैदा होगी, उसमें उनका इस्तेमाल होगा और साथ ही बहुत कारखाने भी लगेंगे एम्प्लायमेंट लोगों को मिलेगा। इस समय 2 1/2 प्रतिशत आबादी बढ़ रही है, आज से 10 वर्ष पूर्व 10 लाख व्यक्ति अनएम्पलायड थे।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अब तो 3-3 बच्चे एक साथ होने लगे।

श्री राममूर्ति---

अध्यक्ष महोदय, अब बजाय 10 लाख के 40 लाख आदमी अनएम्पलायड रहता है। इन हालात को ठीक करने के लिए विशेषकर खेती पर ध्यान देना चाहिए।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि सन् 1970 में सरकार ने खेती की तरफ तवज्जह दी ट्रैक्टर्स के लिए, फर्टीलाइजर्स के लिए, छोटे इरिगेशन के साधनों के लिए बहुत रुपया दिया जाता था जो उससे पहले नहीं दिया जाता था। लेकिन सन् 70 के बाद फिर गवर्नमेंट को मालूम नहीं क्या नीति बनी कि जो 13 हजार रुपये का ट्रैक्टर था वह 26-27 हजार का आने लगा। यही फर्टीलाइजर की हालत है। एक तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुल्क के ऊपर जो बेशरमी, बेइज्जती की कालिख हटी थी और गल्ला जो बाहर से मंगाना पड़ता था वह यहां ही पैदा होने लगा था उसकी भी हालत बदल गयी।

एक परसनल बात है। करना नहीं चाहता था जिक्र, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे बाहर जाने का मौका मिला। कैनाडा जब गया तो वहां की पार्लियामेंट देखने गया। बाहर खड़ा हुआ था, कपड़े जो पहिने था और हिन्दुस्तानी टाइप टोपी लगाये हुए था गांधी कैप तो एक साहब ने पूछा कि कहां से तशरीफ लाते हैं। बताया कि हिन्दुस्तान से। तो बेसाख्ता

[श्री राममूर्ति]

बोले कि बड़ी तरक्की की है आपने कि खाने का गल्ला स्वयं पैदा करने लगे हैं और अमेरिका, कैनाडा और आस्ट्रेलिया किसी के मोहताज नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट आफ इंडिया के, चीफ सेक्रेटरी बी० बी० लाल भी सुनाते थे कि वह अमेरिका किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में गये थे। एक अफसर ने कहा कि अपने मुल्क की क्या बात करते हैं कि जहां पर 70 करोड़ आदमी रहता है और 85 फीसदी खेती करते हैं और रोटी भी दो वक्त नहीं खा पाते। आप आदमी हैं, क्या हैं? तो लाल साहब बोले कि मुझे मालूम पड़ा कि अगर जमीन फट जाय तो मैं उसमें समा जाता तो अच्छा होता, इतनी शर्म महसूस हुई। तो यह ऐसे गम्भीर प्रश्न हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान न जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार एग्रो इन्डस्ट्रीज की तरफ, कृषि की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकते।

रूरल सर्वे होना चाहिए। जब मेहता कमेटी ने, सामुदायिक विकास का मोहकमा खोलने की बात थी किसी ने नेक राय दी और जरूरत थी कि एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में जो जोर दिया गया था उधर ध्यान गया होता। आज हर ब्लाक के अन्दर सरकारी नौकर बैठे हुए हैं लेकिन कोई काम उनके पास नहीं है। मैंने वी० एल० डब्लु० से पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने बताया कि मैं जानता ही नहीं कि क्या काम है मेरे लिए। हां, कुआं या पम्पिंग सेट लें तो मैं उसकी मदद करता हूं। आज माहौल में कुछ कमीशन जरूर ले लेगा और क्या मदद करेगा? इतना बड़ा विकास का मुहकमा खुला हुआ है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए रूरल सर्वे की बहुत जरूरत है। ग्रामीण समस्याओं को जानने और हल करने के लिए विशेष काम करने की जरूरत है।

मुझे बड़ी तकलीफ हुई बजट का लिट्रेचर देख कर। हरिजनों की इतनी चर्चा है। सरकार का दरियाए इश्क हरिजनों की तरफ बहा चला जा रहा है, कलेजा निकाले दे रहे हैं। और जरा देखिये कितने कुएं बनाये जायेंगे? क्या कहूं अपनी जबान से? सवा लाख गांवों में 744 कुएं बनाये जायंगे। मकानों का जिक्र है। अध्यक्ष महोदय, सरकार मकानों को न बनाये, लोग झोपड़ों में रह सकते हैं, लेकिन पानी की जरूरत अवश्य पूरी होनी चाहिए। इलेक्शन के जमाने में मुझे देखने का इत्तफाक हुआ। कम से कम 40–50 गांव ऐसे थे कि जहां लोगों ने कहा कि हम तालाब से, नहर, नदी से पानी लाकर पीते हैं, कुएं तो बनवा दीजिये। तो मैंने कहा कि जो कुछ मदद हो सकती है वह करेंगे। और चीजों को छोड़िये, प्राथमिक जो चीज है वह तो फराहम कीजिये कम से कम। हवा काबू की नहीं है, वरना उसे भी पाल्यूट कर देते। पानी भी स्वच्छ गरीबों को नहीं मिलता।

यह कैसी सरकार है? पहले उन चीजों पर ध्यान दिया जाय जो मौलिक आवश्यकताओं की हैं। मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा समय है इसलिये मैंने मोटे तौर से इस बात का जिक्र किया।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

आप स्वयं वर्षों तक इन्द्र के आसन पर विराजमान रहे।

(हंसी)

श्री राममूर्ति—

यह सही है। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि जिस दिन से सामुदायिक विकास का महकमा मेरे सुपुर्द किया गया था मैंने बेइन्तहा कोशिश की थी कि हरिजनों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हो। बजट में आबकारी का जिक्र किया गया है, कुछ नयी दुकानें शराब की खोलने की बात है और कुछ अंग्रेजी शराब का ज्यादा प्रचार करने की कोशिश हो रही है। मुख्य मंत्री जी ने यह कह कर अपनी जिम्मेदारी को टाल दिया, कि वह शराब पीने को रोक नहीं सकते। मैं यह नहीं कहता कि वह शराब पीने को रोक दें, लेकिन सरकार का फर्ज है कि शराब पीने को

रोकने की कोशिश करे। मैं बरेली में रहता हूं और लखनऊ आता हूं। मुझे पता लगा एक ड्राइवर के जरिये से कि 150 मील के अन्दर 12 दुकानें शराब की सड़क पर खुली हुइ हैं। इसका नतीजा यह होता ह कि हर आदमी की तबियत होती है कि लाओ थोड़ी सी ले लें। इससे सरकार की आमदनी जरूर थोड़ी सी बढ़ जायगी लेकिन प्राब्लम कितनी खराब होगी, कितने क्राइम्स बढ़ते हैं। क्राइम बढ़ता है तो सरकार जो कितनी पुलिस लगानी पड़ती है। उसका खर्चा होता है। अगर वह पैसा बचे तो सरकार को सेल्स टैक्स का आमदनी कितनी होगी। आखिर वह पैसा कपड़े में खर्च होगा, खाने में खर्च किया जायगा, रोजाना इस्तेमाल की चीजों में खर्च किया जायगा तो आपको टैक्सों से आमदनी होगी। जो शराब में आमदनी सरकार कर रही है वह आमदनी नहीं है। यह तो प्रदेश में विष फैलाया जा रहा है। लोगों की तन्दुरुस्ती तो खराब की ही जा रही है, हालात ऐसे पैदा किये जा रहे हैं कि जो शराब नहीं पीता है उसको भी मयखवार कर दे रहे हैं।

आपको एक चीज आसानी से उपलब्ध हो जाय और एक चीज आसानी से उपलब्ध न हो तो उसमें कितना फर्क है। आपको अगर खाने को पास में नहीं मिल रहा है तो कहीं दूर जाइयेगा और अगर सामने की दुकान खुली है तो कितती आसानी से खायेंगे। न्याय मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। अध्यक्ष जी, इसके दिमाग में हमेशा न्याय रहना चाहिये। यह न्याय संगत बात नहीं कर रहे हैं। इससे आमदनी कम होगी, अखराजात आपके बढ़ जायेंगे। इससे सरकार की आमदनी शायद 1 करोड़ 80 लाख हो रही ह और अखराजात 2–4 करोड़ के हो जायेंगे। और ज्यादा नुकसान यह होगा कि हमारे नौजवानों में कितनी खराबियां आयेंगी इसको तो जरा सोचिये।

इसके अलावा एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)––

आप 15 साल रहे लेकिन यूनीवर्सिटी नहीं खोल पाये। वह तो पांडेय जी का शुक्रिया अदा कीजिये जिन्होंने यूनिवर्सिटी खुलवा दी।

श्री राममूर्ति––

अध्यक्ष जी, अगर आप मुझ टाइम दें तो मैं इनको जवाब दूं और ऐसा जवाब दूं कि इनकी तबियत खुश हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार जब किसी नेता का स्वर्गवास हो जाता है तो उसके लिये हम यहां सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करत हैं, इसी प्रकार इस सरकार के द्वारा जो पंचायती राज का खात्मा कर दिया गया है उसके लिये भी हम एक शोक प्रस्ताव यहां पास करें तो कैसा अच्छा हो। पंचायती राज में जो सबसे पवित्र चीज चुनाव मानी जाती है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, उसे ही सरकार ने एक तरह से खत्म कर दिया है। चुनाव पद्धति का किस तरह से गला घोंटा जा रहा है उसको सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं। हमने पहले यह तरीका निकाला था और सुझाव दिया था कि एक सिम्बल बना दिया जाय ताकि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वे जाकर निशान लगा सकें। इस सरकार ने क्या किया है हेल्पर दिये जाने का प्राविधान कर दिया है। अब एक हेल्पर साथ जा सकेगा। आप जांच करायें पिछले काउंसिल के इलेक्शन की तो आपको मालूम हो जायेगा तमाम पढ़े लिखे लोगों ने हेल्पर की सहायता ली है। सबके साब हेल्पर के साथ गये हैं। उनको खरीद लिया गया, इसलिये यह देखने के लिये कि कहीं वे गलत वोट न दे दें, हेल्पर साथ गया। यह कौन सा ईमानदारी से चुनाव कराने का तरीका है? इससे क्या चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं? मैं न्याय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे इस हेल्पर की प्रथा को समाप्त कर सिम्बल प्रथा को जारी करें। यह सरकार पंचायती राज को समाप्त करने पर तुली हुई है। जब

[श्री राममूर्ति]

चुनाव में ही लोगों का विश्वास नहीं होगा तो फिर क्या रह जायेगा ? अगर आप चाहते हैं कि आजादी के साथ लोग अपनी राय दें, तो चुनाव निष्पक्ष कराइये।

एक सदस्य—

इसीलिये आपकी संख्या इतनी कम रह गयी।

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति—

इस दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जो ऊपर उठ कर नीचे आये हैं, आप (कांग्रेस पक्ष) क्यों इतना इतरा रहे हैं। यह तो इनके (कम्युनिस्ट) सहारे से आप सरकार में बैठे हैं, वरना आपकी हैसियत क्या है इस हाऊस के अन्दर। मैं आपकी हैसियत को अच्छी तरह से जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा समय समाप्ति हो रहा है, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने जो बात कही हेल्पर के बारे में....

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण आप देना चाहें तो दें, वरना नहीं।

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़े गौर से संगठन कांग्रेस के नेता श्री राममूर्ति के बयान को सुन रहा था। 1967 के पहले जब हमारे माननीय चरण सिंह जी की कृपा से आप इधर से उधर गये थे तो मुझे भी सौभाग्यवश उधर जाने का सौभाग्य मिला था। मैं समझता था कि आप काफी प्रगतिवादी रहे होंगे लेकिन आज मेरा यह भ्रम दूर हो गया। आपने क्या क्या किया, क्या क्या कारनामे किये आप बता रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। आपका स्वयं का बनाया हुआ नानक सागर आपकी कहानी को आज प्रदेश में ही नहीं देश को बता रहा है। आप अपने क्षेत्र में गये और वहां पानी पीने को नहीं मिला। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप बीसियों वर्ष मंत्री रहे और अगर आपके क्षेत्र में आपको पानी पीने के लिये नहीं मिला तो वाकई आपके क्षेत्र की जनता ने भूल की जो आपको चुना। हमारी कांग्रेस सरकार ने भी भूल की जो आपको ताकत दी। जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में पानी पिलाने की व्यवस्था न कर सके उसको उत्तर प्रदेश शासन में बीसियों वर्ष तक नहीं होना चाहिये था। जहां तक बजट का प्रश्न है। यह सही है, हमने अपने माननीय नेता विरोधी दल के विचार सुने और मैं मानता हूं कि और यह सारा सदन मानेगा कि प्रदेश खेतिहर प्रदेश है और कृषि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

जहां तक खाद्य समस्या का प्रश्न है वह तो सारे देश में और प्रदेश में है पर हम अगर अपनी खाद्य समस्या का हल निकाल लें तो हम प्रदेश ही नहीं देश की भी कुछ मदद कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि इन 25 वर्षों में जितनी प्रगति कृषि की होनी चाहिये थी नहीं हुई है। कारण कुछ भी रहा हो, मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। लेकिन जब चौधरी साहब कहते हैं तो दुख होता है और इसलिये दुख होता है कि चौधरी साहब स्वयं इस विभाग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में रहे हैं। आप प्रभावी मंत्री रहे हैं तो कौन सी परिस्थितियां थीं, और किन परिस्थितियों ने आपको बाध्य किया कि आप सन् 1967 तक इधर ध्यान नहीं दे पाये। इसका उत्तर आपको मालूम होगा। मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह दोष आज का नहीं, यह दोष इस समय से पहले का है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की तारीफ करता हूं। मैं केवल इतना कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि मेरे माननीय दोस्त जितने उधर बैठे हुये हैं मेरे तक का कवल एक ही जवाब दिया हैं और आप भी उसे दोहरा रहे हैं। वह सब कह चुके हैं, वह तर्क आपका गलत ह। मैंने कहा कि प्लानिंग कमीशन की नीति गलत है। ऊपर के एलोकेशन्स वह करते हैं न कि स्टेट्स करते हैं। मैं कृषि मंत्री 16 साल नहीं रहा, आठ साल बेशक रहा और अगर मैं मुख्य मंत्री भी होता तो इन खराबियों को दूर नहीं कर सकता था। आप समझने की कोशिश कीजिये। सन् 67 के बाद आपकी पार्टी रही और इन साढे 7 सालों में हालत और ज्यादा खराब हो गयी इसकी बागत आपने क्या किया। मैंने किताब लिखी स्थिति की जानकारी आपके लीडरों के पास भेज दिया पर उस पर भी यही जवाब कि आप कृषि मंत्री थे, यह कोई जवाब नहीं हुआ। आप वक्त खराब कर रहे हैं वही बात दोहरा रहे हैं।

आपका यह पूरा इक्सप्लेनेशन हो गया। देश आपके हाथ में है और वह डूबने जा रहा है। उसे बचाने के लिये आप अपने नेताजी से कहें कि अपनी नीतियों को बदलें और कृषि पर ध्यान दें।

श्री प्रेमदत्त—

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो कमी छोड़ी है उसका बजट में ज्यादा ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने उसे पूरा करने का प्रयास किया है।

चौधरी चरण सिंह—

पिछले साल तो कृषि और इर्रीगेशन के लिये रुपया था। परन्तु इस वर्ष के लिये वह कम हो गया है जबकि पिछले साल की अपेक्षा दाम बढ़ गये हैं। इस साल आवश्यकता से बहुत कम रुपया बजट में रखा गया है।

श्री प्रेमदत्त —

मैं मान्यवर चौधरी चरण सिंह जी के प्रश्न का उत्तर इतना ही देना चाहता हूं कि वे बजट में देखें और उनको सारा उत्तर मिल जायेगा। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। जहां तक इस साल के बजट का संबंध है उसका मैं समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि जिन परिस्थितियों में बजट रखा गया है उसके पीछे पृष्ठ भूमिका है उसका विरोधी दल के लोग समझने की कोशिश किये होते तो ऐसी बात न कहते। हम जानते ह कि देश 1947 के बाद जिन परिस्थितियों से गुजरा वे बड़ी कठिन थी। देश पर दो-तीन बार चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण हुए जिनसे हमें लड़ना पड़ा। बंगला देश की आजादी में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, अकाल आये आदि। इनको देखते हुए सीमित साधनों के आधार पर जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने बनाया उससे अच्छा बजट नहीं हो सकता है। जहां तक बजट में कमी का प्रश्न है तो वित्त मंत्रालय अपने साधनों को देखकर ही बजट बनाता है। सभी स्टेट अपने राज्य को वेलफेयर बनाना चाहती है। इस मंहगाई में हम जानते हैं कि गरीब जनता के ऊपर टैक्स का बोझ न बढे। इस सरकार न भी जो बजट बनाया है उसके सामने यही प्रश्न रहा है कि हम कितना कम से कम टक्स लगाय कि

[श्री प्रेमदत्त]

जनता पर उसका बोझ न बढे और यही माननीय तिवारी जी ने किया भी है। उन्होंने केवल बड़े लोगों तथा बड़े-बड़े होटलों आदि पर टैक्स को बढाया है जिससे सामान्य जनता पर टैक्स का बोझ नहीं बढा है।

हम जानते है कि जितना अच्छा बजट होना चाहिये वह नहीं है। लेकिन इसका केवल एक कारण यही है कि हमारे साधन तो सीमित थे। जहां तक और प्रश्न है मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस बजट में चाहे हरिजन हों, विद्यार्थी हों या छोटे लोग हों सबकी ओर हमारी सरकार की निगाह गई है। सरकार ने यह भी चाहा है कि छोटे लोग ऊपर बढें उसके लिये तमाम अनुदान दिये हैं वजीफे दिये गये हैं। बजट में ऐसे दोष हैं जिसको माननीय मंत्री जी नोट कर लें। पहला दोष तो यह है कि इस बजट में हर जनपद को निगाह में नहीं रखा गया है। अतः बजट को बनाते समय हर जनपद को निगाह में रखें और उसके आधार पर हर जिले में थोड़े-थोड़े डेवलपमेंट करें। मैं अपने फतेहपुर की बात करता हूं जिसको आपने बजट बनाते समय ध्यान में नहीं रखा।

मैं फतेहपुर की बात कहता हूं। ऐसा लगता है कि तिवारी जी का ध्यान उधर नहीं गया। अगर नहीं गया तो भविष्य में ध्यान देंगे। हमारे यहां न तो पुल है, न सड़कें, रेलवे लाइन है वह तो केन्द्र सरकार की है। अगर कुछ करना है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा या तो आबादी के लिहाज से या रेवेन्यू के लिहाज से कुछ प्रोपोरशन बना दें ताकि हर जिले को कुछ न कुछ मिलता रहे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री भाभी—

पार्टी की तरफ से मेरा नाम भेजा गया है लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। आप दूसरों को अवसर दे रहे हैं। मैं इस सदन को छोड़कर जा रहा हूं।

(श्री भाभी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

आप छोड़ कर जा रहे हैं तो जा सकते हैं। आपका नाम पार्टी की लिस्ट में भी सबसे नीचे है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे 1974–75 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर बजट को देखा जाय तो उसमें लिखा हुआ है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थिरता के साथ प्रगति की ओर बढ़ना। जहां तक इस शब्दावली को मैं समझ पाया हूं वह यह है कि जो अमीर है या जो सम्पन्न वर्ग है उनकी आय को रोकना और जो समाज का गरीब और सर्वहारा वर्ग है, इसको कुछ ऐसा किया जाय ताकि उनके मुकाबले में थोड़ा-सा बढ़े। परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद भी यह लक्ष्य पूरा न हो सका। अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है जिसमें लिखा हुआ है कि गरीबी को कम करना और आर्थिक आत्मनिर्भता की ओर बढ़ा, यह दोनों वाक्य मेरे विचार से एक से मालूम पड़ते हैं केवल शब्दों का हेर-फेर है।

श्री अध्यक्ष—

कल आप अपना भाषण 8 मिनट तक जारी रखेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत आज 12 सूचनाएं आई हैं। सबसे ज्यादा सदस्यों ने चीनी मिलों के बारे में वक्तव्य चाहा है। श्री मन्ना लाल तथा श्री तीरथ राम कोहली ने महोली चीनी मिल के सम्बन्ध में, श्री बादाम सिंह, श्री सत्य प्रकाश तथा श्री हरीश कुमार गंगवार ने बरेली की एस0 आर0 शुगर फैक्ट्री के बारे में, श्री गिरजा शंकर पाठक तथा राम रतिबिन्द ने काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी के बारे में, श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने बाराबंकी की बुढ़वल चीनी मिल के बारे में, श्री मधुकर दिघे ने पिपराइच चीनी मिल, गोरखपुर के बारे में तथा पुरुषोत्तम कौशिक, श्री बांके लाल तथा कृपा शंकर आर्य ने देवरिया जिले की चीनी मिलों के बारे में नोटिस दी है। ऐसा लगता है कि चीनी मिलों पर जो बकाया है किसानों को उस विषय में है। मैं इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। सभी का नाम जोड़ दिया जायगा।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

कहीं ऐसा न हो कि केवल बकाया के सम्बन्ध में ही वक्तव्य आ जाय ?

श्री अध्यक्ष---

आप लोगों ने जो लिख कर दिया है उसमें सबकी इच्छा है कि वह बकाये के सम्बन्ध में है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

जिन लोगों ने नियम 51 के अन्तर्गत, चाहे किसी मिल से सम्बन्धित हो, प्रश्न उठाये हैं उन सबको मंत्री महोदय के पास भेज दीजिए जिससे सारी बातों पर उनका वक्तव्य आ जाय।

एक सदस्य---

जितना बकाया है मिल पर उसके लिए वक्तव्य आना चाहिए कि कितना रुपया किस मिल पर बकाया है।

श्री अध्यक्ष---

सब चीजों पर आयेगा। बकाया की बात ज्यादा है।

एक सदस्य---

जिन मिलों को सरकार ने ले लिया है उन पर भी बकाया है।

श्री अध्यक्ष---

यह स्वीकार किया गया है। जो सूचनाएं आप लोगों ने दी हैं उनको मंत्री जी के पास भेज दिया जायगा। फिर गेंहू की जबरन वसूली, बद्रीनाथ मन्दिर को बिरला मन्दिर में परिवर्तित किये जाने के विरुद्ध जनता में व्यापक रोष और पीलीभीत में हनुमान मन्दिर से मिली हुई शराब की भट्ठी को हटाने आदि के विषय में सूचनाएं हैं। इन पर आप अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

या जो पीलीभीत के सिलसिले में है तो वहां पर धरना चल रहा है किसी भी समय घटना घटित हो सकती है। जिलाधिकारी उनका साथ दे रहे हैं। मंत्री जी ने कहा था कि जहां मन्दिर होगा वहां शराब की भट्ठी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

वह वक्तव्य का प्रश्न नहीं है। अल्पसूचित प्रश्न करें।

(व्यवधान)

अब अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर आ जाय...(व्यवधान)

श्री सदस्य—

हरिजनों से भी जबरन गेंहूं वसूला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत यह सूचनाएं हैं। उसमें है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना और इसके चौथे में है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाये जायेंगे। फिर आगे है कि एक ही दिन में एक सूचना स्वीकार की जायगी। एक हमने स्वीकार कर लिया है। बाकी जो और है उन पर अल्पसूचित प्रश्न करें।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

बद्रीनाथ मन्दिर को बिरला मन्दिर में परिवर्तित करने का जो सवाल उठाया है नियम 51 के अन्तर्गत तो उस पर अल्पसूचित प्रश्न करने से पूरी बात सामने नहीं आयेगी। वहां की जनता में रोष है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आशंका और सम्भावना की बात आपने कही।

श्री सत्यपाल मलिक—

दिल्ली के एक मान्य पत्र में यह खबर छपी है।

श्री अध्यक्ष—

बद्रीनाथ टेंपिल की जो कमेटी होती है उसमें सदन के दो माननीय सदस्य भी होते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक—

बद्रीनाथ दूर जगह है और वहां से खबरें नहीं आ पाती। यों तो पहाड़ के मंत्री कई हैं। बयान देने में क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष—

अल्प सूचित प्रश्न करें।

बदायूं तथा गोंडा जिलों और रुहेलखण्ड कमिश्नरी में चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, अक्तूबर 1973 से पूर्व चेचक की बीमारी को रोकने के लिए टीका लगाने की पुरानी परिपाटी तथा पुनर्भेद टीके लगाने की साधारण कार्यवाहियों द्वारा ही प्रयास किया जाता था। वह परिपाटी निस्सन्देह रोग निरोधक के रूप में प्रभावी होते हुए भी बीमारी का पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं कर पाती थी। यह अनुभव किया गया कि शतप्रतिशत चेचक का टीका लगाना सम्भव नहीं है और यदि 2–4 प्रतिशत व्यक्ति भी टीका लगने से बच जाते

हैं तो उन व्यक्तियों से चेचक की बीमारी चलती रहती है। इसके अतिरिक्त लोग चेचक की बीमारी के रोगियों की सूचना भी नहीं देते थे और सूचना न होने के कारण यह केसेज दबे रह कर अन्दर ही अन्दर सुलगते रहते थे और अनुकूल परिस्थिति में उग्र रूप धारण कर लेते थे। यह विषय राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिन्ता का विषय बना रहा। इस समस्या के निराकरण का अन्य देशों में जो प्रायोगिक उपचार ढूंढा गया और सफल पाया गया, उसी आधार पर इस देश में भी चेचक उन्मूलन सम्बन्धी नई पद्धति अपनाई गई है, जिसके अधीन समस्त चेचक के रोगियों को ढूंढ निकाल कर प्रत्येक रोगी के क्षेत्र में आस-पास के 50–60 घरों के सभी व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगा कर उस बीमार व्यक्ति के चारों तरफ उन विमुक्त अथवा प्रतिरक्षित व्यक्तियों की एक दीवार खड़ी कर दी जाती है जिससे बीमारी का आगे का प्रसार रुक जाता है। इन व्यक्तियों के टीके लगाने के पश्चात् उस क्षेत्र के सभी बचे हुए व्यक्तियों के टीके लगाने का प्रसास किया जाता है। इस नवीन पद्धति का प्रयोग प्रदेश में अक्तूबर 1973 से आरम्भ किया गया और यह प्रयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं केन्द्र शासन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की देखरेख में तथा उनके सहयोग से चलाया जा रहा है।

2—अक्तूबर, 1973 के पूर्व प्रदेश में लगभग 3,600 कार्यकर्ता चेचक की बीमारी के नियंत्रण में कार्यरत थे। नई पद्धति के कार्यान्वय के लिए लगभग एक हजार अतिरिक्त कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त 15 विश्वस्वास्थ्य संगठन की स्पेशल टीमें तथा 10 प्रदेशीय टीमें भी इस कार्य की देखभाल के लिए स्वीकृत की गई। प्रत्येक टीम का भार एक डाक्टर को दिया गया और इस प्रकार 25 अतिरिक्त डाक्टर विशेष रूप से इसी योजना के लिए लगाये गये। प्रत्येक टीम में डाक्टर के अतिरिक्त एक पैरा मेडिकल असिस्टेन्ट/एन्टी अपेडेमिक अधिकारी होता है। टीम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक गाड़ी की व्यवस्था की है। टीम का क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है। अपने क्षेत्र में टीम, जो चेचक के रोगियों की खोज की जा रही है उसकी देख-रेख करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई केस छूट तो नहीं गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का यथासम्भव पथ प्रदर्शन भी करती है। फलस्वरूप अक्तूबर, 1973 से लगभग 4,600 कार्यकर्ता भिन्न-भिन्न स्तरों पर चेचक के केसेज को ढूंढ निकालने का कार्य एक विशेष अभियान के रूप में कर रहे हैं। और इनके प्रयास के फलस्वरूप प्रदेश में अक्तूबर 1973 मई 1974 तक 56,707 केसेज ढूंढ निकाले गए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस नवीन पद्धति के अनुसरण का फल यह हुआ कि प्रदेश भर में वह सब केसेज जो रिपोर्ट नहीं हुए थे खोज में पा लिए गए। प्रकटतः स्थिति ऐसी निकली कि चेचक की बीमारी के इतने अधिक संख्या में केसेज निकल आये परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रदेश में इस बीमारी के प्रकोप में वृद्धि हुई।

3—उपरिलिखित परिस्थिति में जहां तक गोंडा जिले का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि अक्तूबर, 1972 से मई 1973 तक 104 व्यक्ति रोगग्रस्त हुए परन्तु अक्तूबर, 1973 मई 1974 तक की उतनी ही अवधि में 1,165 व्यक्ति रोगग्रस्त पाये गये। इसी प्रकार बदायूं जिले में अक्तूबर, 1972 से मई, 1973 तक 334 व्यक्ति रोग ग्रस्त थे और अक्तूबर, 1973 से मई 1974 तक की अवधि में 770 व्यक्ति रोगग्रस्त पाये गये। रुहेलखण्ड डिवीजन के बारे में भी इसी प्रकार स्थिति यह है कि (1) अक्तूबर 1972 से मई, 1973 तथा (2) अक्तूबर 1973 से मई, 1974 तक क्रमशः 2,197 तथा 6,861 व्यक्ति रोगग्रस्त हुए। इन आंकड़ों से नवीन पद्धति की कार्यक्षमता सिद्ध होती है, न कि यह कि चेचक की बीमारी का प्रकोप इन जिलों में बढ़ा है। वास्तव में वही स्थिति पूरे प्रदेश की है।

4—यह भी उल्लेखनीय है कि टीके लगाने का कार्यक्रम भी सम्पूर्ण प्रदेश में जारी है और उसके अधीन पिछले 5 महीनों में गोंडा में 2,29,083 टीके, बदायूं में 1,79,303 टीके तथा रुहेलखण्ड कमिश्नरी में 9,21,160 टीके लगाये गये।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

इस वक्तव्य में यह जरूर है कि नियम 51 में कुछ ही जिलों का नाम लिया गया था लेकिन जिस समय स्वीकार किया गया था तो आपने यह भी कहा था कि और जिलों के नाम भी आ जायेंगे और मंत्री महोदय पूरे प्रदेश के आंकड़े देंगे लेकिन पूरे प्रदेश की स्थिति नहीं बतलाई गयी। जिन जिलों के नाम उल्लिखित हैं उनमें कुछ मृत्यु भी हुई हैं। एक-एक जिलों में 200 तक जाने गयीं लेकिन कोई चेचक वक्तव्य में नहीं है। जो मृत्यु हुई उनकी जानकारी सरकार की है या नहीं और जिन अधिकारियों की जांच के लिये लगाया गया था उनकी पहले से मृत्यु की जानकारी थी या नहीं थी और थी तो उन्होंने क्या उपचार किया ?

श्री अध्यक्ष—

इस वक्तव्य की परिधि में बदायूं, गोंडा, रुहेलखण्ड कमिश्नरी आती हैं। अब आप उसको विस्तृत कर रहे हैं। वक्तव्य के बारे में ही सवाल करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

नियम 51 के अन्तर्गत तो बातें सारी ही आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

हमारे पास जो सूचना थी लिखित उसी को भेजा गया सरकार के पास (व्यवधान) कुछ और कहने सुनने की बात इसमें नहीं है। (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

जो आंकड़े इसमें उपलब्ध हैं वह टीके लगाने के हैं लेकिन जो चेचक से ग्रसित थे उनमें से कितनों की मृत्यु हुई और कितने बचे क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

(श्री ओम प्रकाश सिंह के बीच में खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपको इतना समय दिया। अप आप बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। आप आसन ग्रहण करें। माननीय मंत्री श्री दिघे के सवाल का उत्तर देंगे।

श्री राज मंगल पाण्डय—

गोंडा जिले में जनवरी में कोई भी ग्रसित नहीं हुआ लिहाजा कोई मृत्यु नहीं हुई, जनवरी 74 में 46 ग्रसित हुए और 9 मृत्यु हुई। फरवरी, 73 में कोई ग्रसित नहीं था इसलिये कोई मृत्यु नहीं हुई लेकिन 74 में 84 ग्रसित हुए और 3 की मृत्यु हुई। मार्च, 73 में कोई ग्रसित नहीं था लिहाजा कोई नहीं मरा लेकिन 74 में 105 ग्रहित हुए और 7 मरे। अप्रैल, 73 में 33 ग्रसित हुए और 8 मरे लेकिन 74 में 179 ग्रसित हुए तथा 24 मरे। मई, 73 में 63 ग्रसित हुए और 17 की मृत्यु हुई। सन् 74 में 351 ग्रसित हुए और 60 मरे। मान्यवर, एक संशोधन करना चाहता हूं कि मार्च 1973 में 8 ग्रसित हुए और 4 मरे हैं। इसी प्रकार बदायूं और रोहिलखण्ड के आंकड़े भी मेरे पास हैं....

श्री अध्यक्ष—

यह तो ब्योरे का है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं जिस पर कि मेरा काम-रोको प्रस्ताव भी यहां पर आया था कि मेरे इलाके में 200 लोग चेचक से मर गये हैं। म

वहां सी0 एम0 ओ0 से भी उनके आफिस में मिला। 8 जून, 1974 की रिपोर्ट है कि 822 केसेज में 116 व्यक्तियों की मौत हो गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज हाउस में जो बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गोंडा जिले में अभी तक चेचक का प्रकोप जोर पर है। क्या मंत्री महोदय, मेरी जानकारी को सही मानकर फिर से जानकारी हासिल करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मान्यवर, जहां पर हमारे हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं आपकी तो एक ही कांस्टीटुएन्सी है, पूरे जिले में अलग-अलग जगहों पर हमारे आदमी लगे हुए हैं वे जिस पद्धति से इसकी रोकथाम कर रहे हैं जैसे कि दूसरे देशों में शत प्रतिशत इस बीमारी पर काबू पर लिया गया है। फिर भी यदि माननीय सदस्य को कोई स्वतः जानकारी हो तो स्वतः इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)---

मान्यवर, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं जो कि मंत्री जी ने अपने बयान में दिये हैं किन्तु उनके बयान में जो एक लाइन दी हुई है, उसको आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। पहले तो आप ही उन्हें इस बात पर डांट सकते थे। उन्होंने लिखा है कि---"इन आंकड़ों से नवीन पद्धति की कार्यक्षमता सिद्ध होती है न कि यह कि चेचक की बीमारी का प्रकोप इन जिलों में बढ़ा है।" तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब यह नवीन पद्धति नहीं थी उस वक्त चेचक तो होती थी लेकिन कितने लोगों को होती थी इसकी जानकारी नहीं हो पाती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार था। दूसरी बात आपने कही कि नवीन पद्धति से चेचक की बीमारी का पता आसानी से लगा लिया जाता है। हिन्दुस्तान के अन्दर बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिये कि चेचक से सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं देश प्रदेशों में होती हैं। मैं इसी के साथ-साथ एक प्रश्न यह भी पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री एक दिन सदन में यह भी बयान दें कि मौत क्या चीज होती है। अभी यह चीज तय नहीं हुई है कि मौत क्या चीज है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जितनी मौतें होती हैं अगर उनका एक पैमाना माना जाय तो 98 प्रतिशत मौतें सरकार के हाथों से होती हैं। मंत्री जी को इस पर घमण्ड नहीं होना चाहिये, शर्म आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप कमेन्ट कर रहे हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस चेचक का टीका लगने से उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यापक सवाल है।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)---

मान्यवर, सन् 71 से सन् 74 तक साढ़े पांच गुनी मौतें चेचक से हुई हैं। इसके उन्मूलन के लिये जो आपकी टीम है डाक्टरों की, उसे भी आपने बढ़ाया है। गोंडा, बदायूं तथा रोहिलखण्ड में जब इस बीमारी का प्रकोप हुआ तो इसके विचाराणार्थ जो विश्व संघ से डाक्टरों की टीम आपको मिली थी वह कहां काम कर रही थी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मैं तो प्रश्न समझ ही नहीं सका।

[बाबा रामनाथ---]

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने संख्या 1 हजार दी है, उसके हिसाब से ढाई-तीन हजार बर्कस की संख्या होनी चाहिए ? यह निरोध का काम कहां कर रहे हैं ? कल भी मैंने आंकड़े दिये थे कि चेचक से 2,706 आदमी मरे लेकिन आप कहते हैं कि 2 मरे, 4 मरे....

श्री अध्यक्ष---

फिर आप स्पष्ट सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं ।

बाबा रामनाथ---

जब सन् 71 से 74 तक साढ़े पांच गुना आदमी मरते हैं चेचक से, तो आपके मुताबिक की साढ़े पांच गुना संख्या बढ़ी है या नहीं ? और विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो टीम मिली है, वह गोंडा आदि में रूहेलखंड में काम कर रही थी या और कहीं काम कर रही थी जहां पर कि चेचक का प्रकोप नहीं था ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मैंने बता दिया यह 46 सौ हमारे बर्कस हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी एक टीम इस हेतु हमारे पास है । यह कहना कि वह कहां काम कर रही थी या जहां चेचक नहीं था वहां काम कर रही थी, उस सम्बन्ध में यह कहना है कि सभी जगह उसने काम किया, जहां-जहां भी चेचक हुआ है, वहां उसके कार्यकर्त्ता काम कर रहे थे ।

श्री मुहम्मद मसूद (जिला आजमगढ़)---

गोंडा में जो आपने मौतें बताई हैं, वे टीका लगाने के बाद हुई हैं या पहले हुई हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इस बात का मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि टीका लगने के बाद किसी की मौत हुई है । इसमें यही है कि इतने आदमी इस रोग से ग्रसित हुए और उनमें से इतने मर गये ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

इसमें 5 महीने में 2 लाख 29 हजार 83 टीके लगाये गये जबकि वहां 23 लाख की आबादी है । अब आप बता दें कि अप्रैल, मई व जून तक कितनी मौतें हुई हैं ? और यह भी बता दें कि कालरा से भी कितनी मौत हुई हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बदायूं में 3 सौ मौतें इस चेचक से हो चुकी हैं । वहां पर भयंकर बीमारी फैली हुई है । कोई उसकी रोक-थाम नहीं हो रही है । यहां पर जनता को केवल टीके कागज पर लगाये जा रहे हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि चेचक के टीके जिन अच्छे आदमियों को लगाये गये, उसके बाद भी उनके चेचक हुई ? यदि हुई ? तो क्या यह दवाओं की खराबी की वजह से हुआ है या कोई अन्य बात है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

यह जरूरी नहीं है कि जिसको चेचक हो उसी को लगाया जाए, बल्कि यह तो प्रिवेन्टिव मेंजर के तौर पर लगाया जाता है । मैंने सब फीगर्स दे दी है । 31 मई तक 777 ग्रसित

हुए, जिसमें से 103 आदमी मरे। इसी तरीके से रुहेलखण्ड डिवीजन में 31 मई तक 3,879 आदमी ग्रसित हुए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मेरा प्रश्न यह नहीं है जो मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं कि दवा जो चेचक की लगायी जाती है, जिनके चेचक नहीं था उनको बचाने के लिये हिफाजती तरीके से लगाई गई, तो क्या उन आदमियों को भी चेचक हो जाता है। यदि हां, तो इसका मतलब यह है कि दवाएं जो इस्तेमाल हो रही हैं यह बाअसर नहीं है, बेअसर हैं, इसका आप जवाब दे दें।

श्री राजमंगल पान्डेय--

अभी तक की रिपोर्ट है कि ये दवाएं पूरी तरह से एफेक्टिव हैं और इससे उन सब का निरोध हो रहा है।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

इस वक्तव्य के पृष्ठ 2 की नवीं लाइन की ओर ध्यान दीजिए। "फलस्वरूप अक्तूबर, 1973 से लगभग 4,600 कार्यकर्त्ता भिन्न-भिन्न स्तरों पर चेचक के केसेज को ढूंढ़ निकालने का कार्य एक विशेष अभियान के रूप में कर रहे हैं और इनके प्रयास के फलस्वरूप प्रदेश में अक्तूबर, 1973 से मई 1974 तक 56707 केसेज ढूंढ़ निकाले गये हैं।" यह मामला केवल बदायूं, गोंडा, रुहेलखण्ड डिवीजन का नहीं है। जब प्रदेश में 56 हजार 707 केसेज ढूंढ़ निकाले गये हैं तो क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में उन्होंने टीका लगाने का कोई विशेष अभियान किया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह बताया माननीय मन्त्री ने।

श्री राजमंगल पांडेय--

मैंने पहले बता दिया कि पूरे प्रदेश में केसेज को ढूंढ निकाल कर इफेक्टिव दवा कर रहे हैं।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे, आपने यह कहा कि टीका लगाने के बाद मौत नहीं हुई है....

श्री राजमंगल पान्डेय--

यह मैंने कहा है। प्रोसीडिंग उठा कर देख लें।

श्री रघुवीर--

आपने कहा है।

श्री अध्यक्ष--

अगर वह कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा है तो यही माना जाता है कि नहीं कहा है।

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य की यह व्यक्तिगत जानकारी यह है कि मृत्यु अधिक हुई हैं, और माननीय मन्त्री के वक्तव्य में आंकड़े झूठे हैं, इस पर आप श्रीमन्, व्यवस्था दें, माननीय सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी के प्राधार पर कह रहे हैं....

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या रिपोर्ट.....

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने उठाया है। माननीय त्रिवेणी सहाय, आप स्वयं व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं लेकिन अगर कोई दूसरा व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो आप आड़े आते हैं। आपके ही दल के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। यह सवाल व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं है। सदन में जो बयान आते हैं, वह बयान इधर-उधर दोनो तरफ से ढलता है, सही क्या है आप तय करते हैं, हम कैसे व्यवस्था दें। सत्यासत्य का निरूपण सदन करता है। हम थोड़े करेंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने उस दिन कामरोको प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा था कि गोंडा जिले में 27 लोगों की मृत्यु चेचक से हुई है, 7 लोग कालरा से मर गये हैं। सरकार के वक्तव्य में कालरा से कितनी मौतें हुई यह दिया नहीं गया। दूसरी बात, चेचक से कितने लोग मरे उसका जिक्र तक नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप सूचना मांगते हैं आप प्रश्न कर सकते हैं यह तो सही है लेकिन वह व्यवस्था से कैसे सम्बन्धित है। जैसा जवाब है, उसको आप अल्पसूचित प्रश्न करके सूचना मांग सकते हैं, जिसमें आपको संतोष हो वह उपचार आपके पास है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मन्त्री.....

श्री अध्यक्ष—

अब पांच बज गये आगे हम चलते हैं। कार्य-सूची दस।

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974*

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्जी, यह एक बहुत ही साधारण छोटा सा संशोधन विधेयक है। राज्य सरकार ने इस विधेयक द्वारा टौल्स-टैक्स वसूल करने का अधिकार है। राज्य सरकार ने ब्रिज-कारपोरेशन की स्थापना कर दी है जो पुलों का निर्माण करती है तथा वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जो एक इस ब्रिज निगम को ऋण देना चाहते हैं, वह इसलिये नहीं दे पाते हैं कि इस ब्रिज निगम को पुलों से टौल-टैक्स वसूल करने

*18 जून 1974 की कार्यवाही में छपा है।

का अधिकार नहीं है। इसलिये इस विधेयक द्वारा केवल यह अधिकार दिया जा रहा है कि जो यह निगम पुल बनायेगा या उसका रख-रखाव करेगा या राज्य सरकार उसको कोई पुल हस्तांतरित करेगी उनके ऊपर यह टौल-टैक्स वसूल कर सकेगी। राज्य सरकार इस धन को उनको दे देगी। यह साधारण सा संशोधन है टौल-टैक्स वसूल करने का स्वयं या अन्य किसी के द्वारा और इसके अलावा छोटे-मोटे संशोधन यह है कि अगर किसी को पट्टे पर वसूली के लिये दिया और उससे वसूल न हो सका तो वह भू-राजस्व की तरह से वसूल किया जा सकेगा। दूसरा यह अधिकार होगा कि सरकार उसके नियम बना सकेगी जो विधान मंडल के सामने प्रस्ताव होंगे और अंतिम निर्णय विधान मंडल द्वारा लिया जा सकेगा। यह साधारण सा संशोधन है। मैं निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार करें और आगे चल कर इसको पारित करने की कृपा करें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन उपस्थित करता हूं कि "दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को जनता को राय जनाने के लिये एक माह तक प्रदेश में परिचालित किया जाये।

मान्यवर, जो भी बिल इस सदन में पेश होता है उसके साथ हमारे मंत्री लोग 2-4 विशेषण जरूर जोड़ देते हैं। यह बहुत मासूम है, छोटा सा है और अच्छा है, इसलिये उसे जल्दी से पास हो जाना चाहिये। खासतौर से जब माननीय नारायणदत्त तिवारी का बिल हो तो वह कहते हैं कि आपने संशोधन को तो मान ही लिया है क्योंकि प्रवर समिति में भेजने का आपका प्रस्ताव है। लेकिन इसके माने यह हैं कि हमने इसे पूर्णतया रिजेक्ट कर दिया है। इसलिये कि इसे फिर से आना चाहिये। लेकिन आप कहते हैं कि प्रवर समिति में चला जायेगा तो इसके माने यह हैं कि इसका आंशिक रूप में मान लिया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रवर समिति में जाने के बारे में सहमत हैं तो कैसे कहते हैं कि टोटल रिजेक्शन है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

तो मेरा यह कहना है कि यह जो बजट है 1851 में बनाया गया था। 1851 में यह विधेयक बना था और आज है 1974। करीब 100 वर्ष से ऊपर हो गये तब से इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया। इस समय जो लाने की बात है उसका क्या कारण है। आपने ब्रिज कारपोरेशन बनाया है और उसको पुल बनाने का अधिकार आपने दिया है। इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि किसी ऐसी सड़क पर पुल पर जिसे उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सरकारी कम्पनी है के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो अथवा जिसे एतद्-पश्चात उक्त निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय, धारा 2 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राज्य सरकार के व्यय पर बनाई गयी या मरम्मत की गयी सड़कों या पुलों पर लागू होते हैं। इसमें दूसरी बात लिखी हुई है कि निगम को पथकर लगाने का तथा वसूल करने का अधिकार होगा। इसका मतलब यह है कि जो पुल इनको ट्रांसफर किये जायेंगे उन पर भी टोल्स टैक्स लगाया जायेगा। मेरा इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है।

आज पूरे प्रदेश में जहां जाइये जो भी पुल ठेकेदार के अधीन है वहां पर वह मनमाने ढंग से और निश्चित दर से अधिक पैसा वसूल करता है। आपने कहा कि निगम को किसी पथ कर का प्रबन्ध करने तथा उसे वसूल करने के लिये अधिकार दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ इसमें यह भी व्यवस्था की गयी है जो धारा 2 (ग) में है कि धारा 2, धारा 2-क या धारा-ख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यथास्थिति राज्य सरकार या निगम उक्त धाराओं के अधीन किसी सड़क या पुल पर उद्गृहीत पथ कर को वसूल करने का अधिकार

[श्री त्रिवेणी सहाय]

किसी व्यक्ति को चाहे सार्वजनिक नीलाम द्वारा या वैयक्तिक बातचीत से एक बारे में 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिये ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिन्हें यथास्थिति राज्य सरकार या निगम उचित समझे पट्टे पर दे सकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने यह प्राविधान क्यों किया। आपकी मंशा यह है कि जैसा कि मूल एक्ट में लिखा हुआ है कि इसका प्रसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा और यह 1अप्रैल, 1974 से लागू होगा। मैं जानना चाहता हूं कि 1974 से क्यों लागू होगा। इसका मतलब मेरी समझ में यही आया है कि जहां पर ठेकेदारी प्रथा चालू हो गयी है, और आप उनको राहत देना चाहते हैं। तीसरी बात आपने कहा कि टोल्स टैक्स का बकाया धन राजस्व की वसूली की तरह से वसूला जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कठिनाई होगी। आपने यह भी कहा कि कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह संविधान के खिलाफ है। हम न्यायालय में नहीं जा सकेंगे। श्रीमन्, पुराने विधेयक में यह प्राविधान था कि जिस पर अन्याय होगा उसको कोर्ट में जाने का अधिकार होगा, लेकिन इसमें नहीं रखा है। जिला परिषदों में नीलामी जब की जाती है तो वहां जाकर देखिये कि कितनी गड़बड़ी की जाती है। अनाप-शनाप लोग पैसा वसूल करते हैं। इसके मद्देनजर रखकर इसको सुधारना चाहिये था। इसलिये कहता हूं कि इसको प्रवर समिति में जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974" को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, हमारे माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने जो कहा है मैं उससे पूर्णतः अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह समय के बाद सदन चल रहा है इसलिये मैं अपनी बातें जो उनसे छूट गई हैं मैं उसी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो यह जो टोल्स लगाने की प्रथा है और उस प्रथा को और मजबूत बनाने के लिये जो और विधान बनाये जा रहे हैं, उसका मैं पूर्ण रूप से विरोधी हूं। लेकिन यह विधेयक जो लाया गया है और इसको प्रवर समिति के समक्ष भेजने का मेरा प्रस्ताव है इसलिये इसकी जो मूल त्रुटियां हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। पहली बात तो यह है कि इस विधेयक में एक बड़ा ही छोटा लेकिन बहुत ही खोटा शब्द प्रयोग में लाया गया है। मैं इस मत का हूं कि इस मरम्मत शब्द को निकाल दिया जाय क्योंकि इसका दुष्परिणाम होगा। जितने भी प्रदेश में पुल बने हैं वे कभी न कभी मरम्मत के योग्य अवश्य होंगे। और उन पर टोल्स टैक्स लग जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि सभी पुलों पर टोल टैक्स लगेगा और कोई भी पुल को बिना टोल टैक्स दिये पार नहीं किया जा सकता है।

इसी तरह से जो सड़कें बनी हैं, उनकी भी मरम्मत होगी और जिस पुल या सड़क पर कारपोरेशन ने हाथ लगाया, टोल टैक्स लग जायगा और यह जनता के ऊपर दोहरा टैक्स होगा। मान्यवर, जो भी बजट पेश किया जाता है उसमें टैक्स जो लगाया जाता है यही कह कर लगाया जाता है कि निर्माण कार्य हेतु धन की हमें आवश्यकता है इसलिये कर लगाया जा रहा है। इस प्रकार से, एक तरह से पुलों, सड़कों के नाम पर इस बजट में नया कर लगा कर पुलों, सड़कों के निर्माण और मरम्मत के नाम पर लिया जाता है। फिर जिस सड़क या पुल पर कारपोरेशन ने हाथ लगाया उस पर टोल टैक्स लग जायगा और यह जनता के ऊपर इस प्रकार से दोहरा टैक्स होगा यह बहुत ही जनतांत्रिक तरीका है। हमारी यह प्रार्थना है कि यह सदन प्रवर समिति से ऊपर है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि विधेयक को प्रवर समिति

के सुपुर्द कर दिया जाय। इस वर्तमान विधेयक द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। इससे जनता से दोबारा टोल टैक्स लेकर उसका शोषण करना होगा।

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि जिन चीजों पर, एक तो मैं पहले ही कहा कि टोल टैक्स का मैं बिलकुल विरोधी हूं क्योंकि मान्यवर अगर यह वित्त आयोग निगम टोल्स लगा कर अपनी लागत को वसूल करता है तो इस विधेयक पर यह स्पष्ट प्रावधान होना चाहिये कि जिस दिन पूरी लागत टोल्स के रूप में वसूल हो जायगी उस दिन टोल्स समाप्त हो जायगा। दो बातें मान्यवर, आपसे और सदन से मैं निवेदन करूंगा कि यह दो संशोधन अवश्य इसमें किये जायं।

तीसरी बात "पांच वर्ष" की और जो "वैयक्तिक" आधार की बात कही गयी है वह उचित प्रतीत नहीं होती। सार्वजनिक प्रौपर्टी का नीलाम होना चाहिये। उसमें लोग बोली बोलते हैं, और उसमें सरकार को लाभ होता है। इसमें वैयक्तिक आधार पर ठेके देने की बात के पट्टे देने की बात कही गयी है, इससे निश्चित आज प्रान्त में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसमें और भ्रष्टाचार जुड़ जायेगा। सरकार की मंशा इस विधेयक के पीछे साफ नहीं है। अपने हितों को सिद्ध करने के लिये इसमें "वैयक्तिक बातचीत" के शब्द जोड़े गये हैं, जिससे यह सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचने के लिये और सरकर का नुक्सान करने के लिये कामयाब हो सके। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसमें से शब्द "वैयक्तिक बातचीत" समाप्त किये जांय।

पट्टेदार की बात भी 5 वर्ष की नहीं होनी चाहिये। जिस प्रकार से हर साल पट्टे होते हैं, जिस पर टोल टैक्स लगता है, उसके लिए भी हर साल की बात होनी चाहिये।

मेरी एक और प्रार्थना यह है कि जो लोग भी ठेका लें, उन पर कड़ाई से यह निगाह रखी जाय कि वे सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक टोल टैक्स न लें और उसकी हर व्यक्ति को रसीद दे देना उसको जरूरी हो। इसके अतिरिक्त जो सरकार और पट्टेदार के बीच शर्तें हों, उनको भी न रसीद के पीछे छापा जाय क्योंकि उन शर्तों का जनता को भी ज्ञान होना चाहिये। इनके अलावा इस विधेयक में और अन्य त्रुटियां हैं, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसमें से एक तो शब्द "मरम्मत" निकाल दिया जाय और इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे वह इस पर विस्तृत रूप से विचार कर सके।

*श्री सत्य प्रकाश (जिल बरेली)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट को पढ़ने पर हमें अनेकों निगमों की स्थापना की सूचना मिली। ब्रिज कारपोरेशन पहले से ही था। पहले तो सरकार कारपोरेशन बनाती है और उसके बाद इसे बहुत से काम सुपुर्द कर देती है। आज इस विधेयक के द्वारा उत्तर प्रदेश में तमाम ब्रिजों, पुलों, सड़कों की मरम्मत करने और नये नये पुलों, सड़कों के निर्माण का काम भी सौंपा जायेगा। फिर उसके बाद उन पर टोल टैक्स वसूल करने की व्यवस्था होगी। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के कार्य को सरकार को अपने हाथ में रखना चाहिये और वह इन निगमों को न सौंपे। इससे जनतंत्र का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अब तो सरकार से सूचना मिल भी जाती है लेकिन जब ये निगम हो जायेंगे और इनके बारे में कोई सूचना दी जायगी तो कह दिया जायगा कि यह तो निगम का मामला है, और उनके बारे में हम उत्तर न दे सकेंगे। उसका जो कानूनी पहलू है, उसमें वैयक्तिक आधार रखा गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये क्यों रखा गया है।

हर चीज बाजार में आनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से नीलाम होना चाहिये। इस छोटे से बिल से बड़े-बड़े परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि इस पर शुरू से आखिर तक विचार करने के लिये आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्त प्रकाश]

अलावा पट्टेदार भी होंगे,नये नये बनाये जायेंगे, उन्हें टैक्स वसूल करना होगा। जब बड़े-बड़े निगमों पर स्टेट का रुपया बाकी है, वह वसूल नहीं हो पा रहा है, तो इन पर कैसे कन्ट्रोल रखा जायगा। और फिर पट्टेदारों जो व्यक्तिगत आधार पर निश्चित की जानी चाहये, वहां मंत्री जी और उनके चमचे होंगे। इनसे कैसे सरकार पैसे वसूल कर पायेगें। इस प्रकारसे आज हर एक पुलिया, हर एक सड़क, फाल, ब्रिज कारपोरेशन के पास जाकर बिल्कुल राजनीति का अड्डा बन जायगा। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस बिल में जो भयंकरता छिपी हुई है उसकी जानकारी के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द की जाय और आज पारित न किया जाय।

बाबा राम नाथ (जिला मैनपुरी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम के द्वारा सिर्फ एक बात इस बिल के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। वह यह है कि इंडियन टोल टैक्स ऐक्ट 1851 का जो है वह इतना कम पैक्ट और प्रेनाइज है कि इस विधेयक की जरूरत ही नहीं है और मालूम यही होता है कि जमींदारी प्रथा आपने ही खत्म की और फिर पट्टेदारी के नाम पर यही जमींदारी फिर लादना चाहते हैं। इसलिए मेहरबानी करके सीधा इन्तजाम कीजिये। पट्टे वगैरह करके दुनिया भर के झंझट न कीजिये। टैक्स सीधा जनता से आपके पास आये। इसमें 5 साल के बाद जो नीलाम होगा तो हजारों रुपयों की नीलामियां होंगी और ठेकेदार जनता से पुलों से निकलने पर टैक्स के नाम पर लूट करेंगे जिससे जनता का पुलों से निकलना मुश्किल हो जायगा। इसलिए इसको न लायें तो अच्छा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय,बिल तो बहुत सादा है और मंत्री साहब ने उसको और भी सादा बनाकर पेश किया है, लेकिन सवाल यह है कि इस सादगी के पीछे कितनी शरारत है इसका अहसास गालिबन तभी हो सकता है अगर हम संविधान के सिद्धान्तों को अपने सामने रखें। जब इंडियन टोल टैक्स ऐक्ट बना था तब इसदेश में राज अंग्रेज का था तो पुलिस द्वारा सरकार चलता था, लेकिन इस जिम्मेदारी को अंग्रेज ने अपने ऊपर लिया था कि सड़कें वह बनायेगा, पुल वह बनायेगा उस पर टैक्स वह लगायेगा टैक्स की वसूली वह करेगा। हमने 1930 में संविधान बनाया और कहा कि हम पुलिस सरकार से अब तक वेलफेयर स्टेट बनाने की ओर जा रहें हैं। हमने एक ऐसी सरकार की कल्पना की थी जिसमें वह जिम्मेदारियां जो अंग्रेज के ऊपर नहीं थीं वह-अपनी शिक्षा और निर्माण के कामों को अपने हाथ में लेंगे। लेकिन 1974 में निगमों के द्वारा आज उत्तर प्रदेश के सरकारी कामों को आप निगमों को सौंप रहे हैं और सरकार के क्षेत्र को सीमित करते जा रहे हैं। इस प्रकार आप जनवाद को निगमबोध की तरफ पहुंचा रहे हैं। आपको यह अहसास होना चाहिये कि सरकार का काम है टैक्स लगाना और वसूल करना। अच्छी दर निर्धारित करना टैक्स की और उनकी वसूली। आज आप निगम से बात-चीत के द्वारा तय करके यह कह दे रहे हैं कि टैक्स ठेकेदार वसूल करेंगे तो फिर कल तो यह होगा कि आप सेल्स टैक्स के भी ठेके देंगे।

नवाब रामपुर के यहां के थानों की नीलामी होती थी, आपके यहां सेल्स टैक्स आफिसरी की नीलामी निगमों के द्वारा होगी। फिर तो किसी पर रिश्वत का इलजाम नहीं आयेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कल एक सवाल पर सिंचाई मंत्री को कहना पड़ा कि 10 हजार रुपया क्या, 10 पैसा भी महिने वह किसी इंजीनियर से नहीं लेते हैं। लेकिन अगर निगम के जरिये दिये जायेंगेतो निगम ठेकेदार से 10 हजार नहीं 10 लाख भी लें और टैक्स वसूल करने का ठेका 5 वर्ष के लिये दे दें तो क्या नियंत्रण इस सदन का होगा-इस सवाल पर बहस करने के लिये आज हमको तय करना होगा कि क्या सरकार टैक्स लगाने के काम को नीलाम करें? अगर सरकार

का निर्धारित किया हुआ टैक्स ठेकेदारवसूल करते हैं और यह काम उन ठेकेदारों को दे दिया जाय जो निगम के आदमियों के साथ बैठकर उसका सौदा करेंगे तो फिर इस सदन की मर्यादा का क्या होगा, प्रजातंत्र का क्या होगा ? तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप जनतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा के लिये जिनके आधार पर सदन बने हैं और टैक्स लगानेका अधिकार सदन को दिया गया है उनका हनन करके सदन से इस बिल को पास करना चाहते है ! अगर आप ऐसा करना चाहते हैं जो बहुत सोच-विचार के बाद ऐसा कदम उठायें । धन्यवाद ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ब्रिज कारपोरेशन का यह बिल जैसा पेश किया है इसको गर्ग साहब नेइस ढंग से सदन के सामने रखा कि मैं कहूंगा कि शायद वह बिल का मकसद नहीं समझे । उत्तर प्रदेश ऐसे विशाल प्रदेश में, जिसकी लम्बाई चौड़ा कुमायूं, गढ़वाल, नैनीताल से ले कर बलिया तक है, सरकार ने जो ब्रिज कारपोरेशन के निर्माण की बात की है यह उत्तर प्रदेश की प्रगति में, मैंसमझा हूं, एक बड़ा कदम होगा और तीव्र गति से जहां जो पुलों और सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है वह होगा । जैसा कि गर्ग साहब ने कहा कि निगम को बेतहाशा टैक्स लगाने का अधिकार होगा यह कहां पर है ? कहां जनतंत्र को खतरा दीखता है ? इसके नियम बनेंगे और मंत्रीजी ने कहा है कि जो भी रूल्स, रेगुलेशन्स बनेंगे वह सदन के सामने पेश किये जायेंगे । निगम बन जाने से निर्माण का कार्य तेजी से होगा ।त्रिवेणी सहाय जी ने और गर्ग साहब ने इस छोटे से विधेयक को इस रूप से रखा कि कोई काम ऐसा होने जा रहा है जो नहित विरोधी है। असल में यह काम जनहित में है । मैं आग्रह करूंगा कि सदन इसको पास करे ।

*श्री प्रभु नायरायण (जिला वाराणसी)--

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है उस पर कोई बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन अपने माननीय दोस्त की बात सुन कर थोड़ी सी अपनी राय कहने की इच्छा हुई । प्रश्न इस देश के सामने यह कि है जो फाइनेन्सेज की कठिनाई है उसको देखते हुये कौन रास्ते निकाला जाय जिस से इस प्रदेश की तरक्की हो सके । जो पुल निगम बनाने की बात हुई वह विशेष तौर से इस बात को ध्यान में रखतेहुए कि जो फाइनेन्शल केडिट इंस्टीट्यूशन्स हैं उनका किस तरह से अधिक से अधिक एप्लायटेशन पुल और सड़क बनाने के लिये किया जाय । गवर्नमेंट इस आधार पर कर्जा लने की बात नहीं कर सकती थी । लेकिन निगम फानेंन्शल केडिट इंस्टीट्यूशन्स से कर्जा ले सकता है और इन पुलों और सड़कों के माध्यम से जो आमदनी होगी उससे कर्जा अदा करने की बात होगी । ऐसी स्थिति में प्रदेश में पुलों का निर्माण तेजी से बड़े पैमाने पर हो इसलिये कारपोरेशन बनाने की बात है ।

इस संदर्भ मेंएक सवाल हमारे दोस्तों ने उठाया जो वाजिब है । सरकार और सदन का कंट्रोल क्या होगा ? इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । लेकिन जो निगम बनेंगे उनकी नामजदगी सरकार के हाथ में होगी । जैसे फाइनेन्सेज कारपोरेशन पर, इंडस्ट्रियल कारपोरेशन पर सरकार का कंट्रोल है उसी तरह से इस निगम पर भी सरकार का कंट्रोल पूरी तरह से होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

यह निगम कम्पनीज ऐक्ट में रजिस्टर्ड होगा । यह स्टेट्युटरी कारपोरेशन नहीं है । क्या कम्पनीज ऐक्ट के मातहत रजिस्टर्ड हर कम्पनी पर सरकार का नियन्त्रण होता है ।

श्री प्रभु नारायण —

जहां तक कम्पनीज ऐक्ट का सवाल है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

सदन की जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति है उसके अन्तर्गत तो यह होगा ही, बिल्कुल स्वतंत्र थोड़े होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

यह बिलकुल स्वतंत्र होगा जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत राजिस्टर्ड होगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह भी पब्लिक अन्डरटेकिंग के मातहत ही रहेगा ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

यह तो दोनों हाउस की जो कमेटी बनेगी उसके कन्ट्रोल में रहेगा । एसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इसे पास करना चाहिये ।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे एक बात कहना है विशेष तौर से और वह यह कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है--''यह भी आवश्यक समझा जाता है कि राज्यसरकार तथा निगम को पथकर वसूल करने क अधिकार को पट्टे पर देने की शक्ति दीजाय'' . . . राज्य सरकार के पास यह शक्ति अभी नहीं है और निगम क पास भी नहीं है क्योंकि अभी तो वह बना भी नहीं है । फिर इस विधयक में पट्टे पर देने का अधिकार राज्य सरकार भी ले रही है और निगम को भी है । अगर पट्टा देने वाली दो अथारिटी हो जायेंगी तो काम कैसे चलेगा ? जो इसकी भाषा है उससे या स्पष्ट नहीं होता है । इस तरह से तो किसी ठेकेदार को ठेका राज्य सरकार दे देगी और उसी का ठेका निगम दूसरे को दे देगा । तो इसमें बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें यह लिखा है-- 2--ग--(1) . . . ''राज्य सरकार या निगम उक्त धाराओं के अधीन किसी सड़क या पुल पर उद्गृहीत पथकर को वसूल करने का अधिकार किसी व्यक्ति को . . .'' इसमें शब्द ''या'' लिखा है । देगा तो एक ही ।

कुंवर श्री पाल सिंह--

एक बात यह भी पैदा होती है कि आखिर इस अधिकार को लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? आज भी पी0 डब्लू0 डी0 के जो ठेकेदार है उनकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है । मैं आपको एक उदाहरण विधायक निवास का ही देना चाहता हूं । वहां कमरों की पुताई का काम जिस ठेकेदार को दिया गया उसने कमरे की आधी दिवारों पर पुताई की और वह यह लिखवाना चाहता था कि पूरे कमरे की पुताई हो गयी । इस तरह का काम यह ठेकेदार लोग करत है । इसलिय मैं कहता हूं कि सरकार को इसके लिये कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिये, काम होना चाहिये, प्रदेश की उन्नति होना चाहिये, यह सभी चाहते है, मगर कम पैसा लगे और काम ज्यादा हो, एसा प्रयास होना चाहिय, इससे तो आप और अधिक झगड़े में पड़ जायेंगे । इसलिय इसे प्रवर समिति म जान दें, वरना आग चल कर फिर आपको संशोधन लाना पड़ेगा । उसम फिर काफी समय और पसा बरबाद होगा । इसलिय इसे प्रवर समिति क प्रस्ताव को मंत्री जी स्वीकार करन की कृपा कर ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सोहन लाल (जिला रामपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो यह विधेयक पेश किया गया है इसके द्वारा सरकार अपने नौकरों मुलाजमीन को लूटने का मौका दे रही है । इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है । हमारे यहां रामपुर में एक सड़क, लिंकरोड चल रही है उस पर सिमरा एक पुल बना हुआ है । इस सिमरा पुल पर टोल टैक्स लगा हुआ है । लेकिन इस टैक्स से सरकार को आमदनी कम होती है । खर्च ज्यादा होता है । इस तरह से पुल बना कर सरकार टैक्स लगाये और उस पर खर्च बढ़े यह अकलमंदी की बात नही है । यह टोल टैक्स मान्यवर, खत्म किया जाय ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था पर एक सवाल पर, टोल टैक्स पर यह कहा गया है कि यह इसलिये लगाया जा रहा है कि सरकार आर्थिक संकट में है । मैं माननीय प्रभू नारायण की बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार आर्थिक संकट में है एक तरफ आप यह कहत हैं और दूसरी तरफ सरकार कितना फजूल खर्च कर रही है । एक प्रश्न करता हूं माननीय परिवहन मंत्री हेलीकाप्टर से कर्मचारियों की सभा में जाते है । कितना खर्च होता है । तरह-तरह की फजूल खर्ची होती है । सरकार इसको रोकने की कोशिश नहीं करती है । सरकार रोज नय निगमों की संख्या बढ़ाती चली जा रही है और इस तरह से अपनी जिम्मेदारी को कम करती चली जा रही है । निगमों की संख्या बढ़ाकर आप क्यों अपने को आर्थिक संकट म डाल रहे हैं ।

मंत्रियों की संख्या न बढ़ाकर निगमों से सरकार कब तक कार्य करेगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर पहले टोल टैक्स या तो सरकार वसूल करती थी या पी0डब्लू0डी0 वसूल करता था । लकिन सरकार यह कहती है कि हमने सेतु निगम बना दिया है उसी को यह अधिकार होगा कि वह ठेके पर टक्स वसूल कर । मान्यवर यह पी0 डब्लू0 डी0 का महकमा या सरकार इसे वसूल क्यों नहीं करती । आप इस तरह से वसूल करके इस पय को सेतु निगम को क्यों नहीं दे देते । यह परशानी आप क्यों पदा कर रह हैं ।

दूसरी बात यह है कि 5 साल के बाद तिवारी जी यह तजुर्बा हो जायेगा इसलिये हो जायेगा, मैंने पी0 डब्लू0डी0 के चीफ इंजीनियर का बयान दखा, अखबारों में छपा है कि अब कोई नयी सड़क नही बन सकती जो काम हमने पिछल साल लिय हैं या जो काम अधूरे हैं पहले उन्हें पूरा करेंग । हमारे पास पसा नही हैं, बजट नही है । तो मैं कहता हूं कि जब आप के पास बजट नही है । आपके पास पसा नहीं है तो आप को इस तरह से निगम के घोड़ों पर सवार होने की क्या आवश्यकता समझते है । इस निगम नाम के घोडे की क्या जरुरत है । कल एग्रो की बात हुयी, डढ करोड खा गये । बसिक शिक्षा परिषद, 5 करोड़ रूपया खा गये और आप फिर आज इसको तोड़न जा रहे हैं, माध्यमिक और बेसिक में । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक साल बीतने दीजिये इसका नतीजा आप के सामने आ जायगा और आप सेतु निगम को तोड़ करके फिर पी0डब्लू0डी0 में रखगे । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि हमारे इसके पहले इतने बडे-बडे पुल बन हैं, अग्रजों के जामने में बडे-बडे पुलों का निर्माण हुआ तब सेतु निगम की आवश्यकता नही पड़ी थी । तो आप इस तरह का सवाल क्यों पदा कर रहे हैं। आप इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहत हैं । सफेद हाथी पाल करके श्रीमान् क्यों करोड़ों रूपया आप इनको खिला दना चाहत हैं ।

तो यह अधिकार जो अब तक सरकार के हाथों में था, पी0डब्लू0डी0के पास था, उसी के हाथ में क्यों न रहन दिया जाय । इससे बड़ा नुकसान होगा और ठेकदारी की प्रथा को इससे बढ़ावा मिलेगा ।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मान्यवर, मैं समझता हूं कि कुछ लोगों में कुछ भ्रम है । एक तो यह कि टैक्स लगाने का अधिकार सेतु निगम को नहीं है राज्य सरकार को है । सेतु निगम को केवल इसकी वसूली का काम दिया जा रहा है । दूसरी जो शंका हुई सेतु निगम विधेयक में जो मरम्मत शब्द है उसको निकाल दिया जाय तो इसका अधिकार राज्य सरकार को है । जो पहले के पुल बने हैं जिस पुल को चाहें उसके टोल टैक्स की वसूली तथा मरम्मत का कार्य सेतु निगम को हस्तान्तरित कर दिया जाये । आगे जहां पुल बनेंगे उन पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा । उसकी केवल वसूली हेतु निगम करेगा और स्टेट के कन्सालीडेटेड फन्ड में जमा होगा और राज्य सरकार फिर सेतु निगम को अन्तरित करगा । इसी की बुनियाद पर जो वित्तीय संसाधन हैं उनसे ऋण मिलेगा और इसी टोल टक्स से उसके ऋण तथा सूद की अदायगी होगी ।

ज्यादा एतराज सदस्यों ने ठेकेदारों का किया है । जब से सेतु निगम बना यह सब को मालूम है कि सारे अभियंताओं ने अच्छा काम किया है और सारे ठेकेदार समाप्त कि जा रहे हैं । यथासम्भव यह प्रयास किया जा रहा है कि यह निगम स्वयं पुलों का निर्माण करे और केदारों को ठेका न दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मान्यवर, सरकार को ोल टैक्स से उतनी आय नहीं होती है जितना कि पुलों पर खर्च होता है ।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

दूसरे माननीय सदस्य को संदेह हुआ कि पुलों पर जितना खर्च होता है सरकार को टोल-टैक्स से उतना वसूल नहीं हो पाता है तो उसकी असलियत मुझ अभी नहीं मालूम है । परन्तु कुछ न कुछ तो वसूल हो ही जाता है । कु सदस्यों का कहना है कि ोल-टक्स की वसूली ठक पर न से ाटा होता है तथा ठक कई-कई वर्षों क दिय जा हैं । ो इस सम्बन्ध म मुझ कहना है कि कदारों को वसूली क के तीन वर्ष पांच वर्ष अथवा जितने समय के लि दिये जा रहे हैं तो उससे एक निश्चित धनराशि सरकार के खजाने म ो जमा अवश्य हो जाती है ।

दूसरा भ्रम जो आ कि वैयक्तिक बात चीत द्वारा ठेके दि जात हैं । तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ठकदारों से टण्डर कम क आ हैं जबकि प्राइवट निगोशियेशन से बातचीत करके वह क ज्यादा पर दि जा सकते हैं । ाइवट निगोशियसन से फायदा यह है कि गरीब आदमियों जसे कि मल्लाह आदि को ठक मिल जात हैं । मल्लाहों या श्रमिकों की क्रम संविदा हैं जो कि ण्डर में जान से व लोग बड़-बड़ कदारों से कम्पीट नहीं कर सकत हैं और फलत: वे ठकों से वंचित हो जा हैं । इसलिए प्राइवट निगोशियेसन से उन गरीब श्रमिकों को के दिय जा सकते हैं । इसलिए सका विधेयक में प्राविधान किया जा रहा है । इस कार यह शंका निर्मूल है ।

दूसरी शंका है कि 5 वर्ष से अधिक के लिये के दि जा रहे हैं । पांच वर्ष अधिक से अधिक ठेका लि जाने की सीमा है । यह कोई जरूरी नहीं है कि पांच वष का ही ठेका दिया जाय उससे कम समय के लिये भी ठका दिया जा सकता है । यह ो अंतिम सीमा निश्चित कर ी गई है । वह तो एक अन्तिम समय निश्चित कर दिया गया है और न सब साथ मेरा निवदन यह है कि जो भी शंकाय हैं कि सरकार का कन्ट्रोल कैसे रहगा किस तरह से टोल-टक्स वसूल होगा, इन पर नियम बनें और इसी विधान सभा के सामने आ गे । जसा अध्यक्ष महोदय आपने भी संकेत किया कि दोनों हाउसेज की जो पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी है उसको भी अधिकार होगा । इसलि मैं यह समझता कि इस तरह को जो संकाय ह वह निर्मूल हैं । इसक साथ ही जैसा हमारे साथ श्री प्रभूनारायण कहा ससे हम वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त

धन उपलब्ध कर सकेंगे जिससे नये-नये पुलों को बना सकेंगे और उनसे जो टोल्स टैक्स वसूल होगा उससे हम ऋण की अदायगी कर सकेंगे। पुलों की मांग अधिक है समें शक नहीं है लेकिन जितना सरकार के पास पैसा है उससे कहीं अधिक पुलों की मांग है और हम वित्तीय संस्थाओं से जब तक ऋण न लेंगे उनकी मांग को पूरा न कर सकें। इससे जनता को लाभ होगा। इसलिे मेरा इतना ही निवेदन है कि जो भी संशोधन हैं उन्हें वापिस लेकर स पर विचार किया जाय।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इस ऐक्ट को पहली अप्रैल से क्यों लागू किया इसके बारे में नहीं बताया?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

चूंकि फाइनेन्शियल वर्ष सरकार का पहली अप्रैल से शुरू होता है इसलिये पहली अप्रैल से शुरू किया है।

श्री मुहम्मद मसूद (जिला आजमगढ़)--

बिना वजह का निगम बन रहा है कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सरकार धनाभाव के कारण कुछ नहीं कर सकती है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

वह तो बनेंगे और इसीलिए यह इन्तजाम किया गया है ताकि वित्तीय संस्थाओं से सहायता मिल सके।

श्री अध्यक्ष--

क्या इस पर आपने जो संशोधन दिये हैं क्या उन्हें आप वापस ले रहे हैं या वोट लिया जाय?

श्री त्रिवेणी सहाब--

हम वापिस नहीं लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, अभी जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मरम्मत करने की जो बात है, यह जो पुराने पुल है उन्हीं पर आगे टैक्स लगेगा जिनको राज्य सरकार निगम को देगी और निगम उनकी मरम्मत करेगा। मान्यवर, सरकार की ओर से जहां जिस बात पर स्पष्टीकरण दिया जाय, धनाभाव और धन की चाह की इतनी अधिक दुहाई दी जाती है कि उसकी स विधेयक के पीछे क्या मंशा है, यह स्पष्ट है। हमें तो आशंका यह लगती है कि कहीं सरकार कुछ दिनों के बाद, अगर यही रही सरकार तो, एक विधेयक न ले आये जिसमें यह कहा जाय कि छोटे-मोटे अनैतिक कार्यों से जो आय होगी उनसे कर लिया जायगा। जैसे कुछ महिलाएं अपना पेट भरने के लिये अनैतिक कार्य करती हैं या पाकेट मार लोग है, उन पर भी टैक्स लगेगा।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। अनैतिक कार्य क्या होते हैं। यह असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें कुछ असंसदीय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला--

अब भाषण की आवश्यकता नहीं, सीधे मतदान होना चाहि।

श्री अध्यक्ष---

अब मैं इसको वोट पर रखता हूं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

थोड़ा-सा समय जवाब देने के लिये दें । आप हमारे लिये ही क्यों इतना कड़ा अपनाते हैं । आप हमें डांट कर बैठा देते हैं और मैं छोटा होने के नाते बैठ जाता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

शिष्ट व्यवहार अपने में एक नाम होता है । उसके लिये याचना नहीं की जाती ।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

एक मिनट का समय लूंगा । यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या इस सरकार की यह मंशा है कि पुराने पुलों को भी निगम को देगी । अगर नहीं है तो मन्त्री जी कहें कि पुराने पुल दिये जायेंगे तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को जनता की राय जानने के लिये 1 माह तक प्रदेश में परिचालित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २, ३ खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश सशोधन विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दि इण्डियन टोल्स, 1851 का संशोधन करने के लि

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है---

ऐक्ट संख्या 8, 1961

1---(1) यह अधिनियम दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 1974 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह दिनांक पहिली जुलाई, 1974 से प्रवृत्त ।

ऐक्ट संख्या 8, 1851 में नयी धारा 2-क, 2-ख, 2-ग, 2-घ, 2-ङ, 2-च और 2-छ का बढ़ाया जाना

2--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित दि इण्डियन टोल्स ऐक्ट, 1851 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्--

निगम द्वारा बनाई गई, अनुरक्षित तथा मरम्मत की गई सड़कों तथा पुलों पर पथ-कर

"2-क--किसी ऐसी सड़क या पुल पर, जिसे उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सरकारी कम्पनी है (जिसे आग निगम कहा गया है) के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो, अथवा जिसे तत्पश्चात् उक्त निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय, धारा 2 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राज्य सरकार के व्यय पर बनाई गई या मरम्मत की गई सड़कों या पुलों पर लागू होते हैं।

निगम को पथकर आदि का प्रबन्ध तथा वसूल करने की शक्ति

2-ख--(1) धारा 2 तथा 2-क के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार निगम को किसी ऐसी सड़क या पुल पर, जिसे निगम के व्यय पर बनाया गया, अनरक्षित या मरम्मत किया गया हो, अथवा जिसे एतद्पश्चात् निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनरक्षित या मरम्मत किया जाय, अथवा जिसका स्वामित्व, अनुरक्षण तथा मरमत राज्य सरकार द्वारा निगम को अन्तरित की गई हो अथवा एतद्पश्चात् की जाय, लगाये गये सभी पथकर का प्रबन्ध और उसे वसूल करने का प्राधिकार दे सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निगम किसी पथकर का प्रबन्ध करने तथा उसे वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया जाय तो राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात् राज्य के संहत निधि से, निगम द्वारा इस प्रकार वसूल किये गये और गत वित्तीय वर्ष में सरकारी कोषागार में उसके द्वारा जमा किये गये पथकर के बराबर धनराशि निकालेगी, और उसे निगम को देगी और यह भुगतान राज्य की संहत निधि पर भारित व्यय होगा।

अपवाद

2-ग--धारा 2, धारा 2-क या धारा 2-ख में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी सड़क या पुल पर जो नेशनल हाईवेज ऐक्ट, 1956 में यथापरिभाषित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाई वे) का भाग हो अथवा उससे नगर क्षेत्र को मिलाने वाली किसी सड़क पर लागू न होगी।

पथ कर के उद्ग्रहण को पट्टे पर देने की राज्य सरकार तथा निगम की शक्ति

2-घ--(1) धारा 2, धारा 2-क या धारा 2-ख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम उक्त धाराओं के अधीन किसी सड़क या पुल पर उद्गृहीत पथ-कर को वसूल करने का अधिकार किसी व्यक्ति को, चाहे सार्वजनिक नीलाम द्वारा या व्यक्तिगत बातचीत से, एक बार में पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, ऐसी शर्तों

तथा निबन्धनों पर जिन्हें, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम उचित समझे पट्टे पर दे सकता है

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार से पट्टे की शर्तों तथा निबन्धनों को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी, जैसी यथास्थिति राज्य सरकार या निगम निदेश दे।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि किसी पट्टेदार द्वारा देय हो तो, राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करे, और निगम की दशा में, उसका प्रबन्ध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) ऐसे पट्टेदार द्वारा देय धनराशि को उल्लिखित करते हुए कलेक्टर को प्रमाण-पत्र भेज सकता है और यह अनुरोध कर सकता है कि कार्यवाहियों के व्यय सहित ऐसी धनराशि इस प्रकार वसूल की जाय माना कि वह भू-राजस्व की बकाया हो।

(3) प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसमें उल्लिखित धनराशि को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(4) उपर्युक्त किसी ऐसी देय धनराशि को वसूल करने के लिए ऐसे पट्टेदार के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा।

पट्टेदारों तथा उनके अभिकर्ताओं की शक्ति

2-ङ—धारा 2 या धारा 2-क के अधीन उद्गृहीत पथकर के प्रबन्ध तथा उसे वसूल करने में निगम द्वारा सेवायोजित सभी व्यक्ति और जहां पथकर को वसूल करने का अधिकार धारा 2-घ के अधीन पट्टे पर दिया गया हो तो पट्टेदार और उसके द्वारा ऐसे पथकर वसूल करने के निमित्त उसके अभिकर्ता के रूप में सेवा योजित प्रत्येक व्यक्ति धारा 3 के अर्थान्तर्गत पथकर वसूल करने के लिए नियुक्त अधिकारी समझे जायेंगे और, अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय, सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे सभी दायित्वों तथा आभार जिसके अन्तगत धारा 7 की अपेक्षानुसार पथकर सारणी तथा शक्तियों के विवरण को प्रदर्शित करने का दायित्व है, के अधीन होंगे जो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के लिए हों।

रसीद देने का दायित्व

2-च—पट्टेदार अथवा उसकी ओर से पथकर वसूल करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाय, पथकर के लिए रसीद देगा जिस पर उसके यथाविधि हस्ताक्षर होंगे।

सामान्य शक्ति

2-छ—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी ऐसे कार्य या लोप का दोषी हो जिसके लिए इस अधिनियम में किसी अन्य दंड की व्यवस्था न हो, अर्थ दंड से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है।"

नयी धारा 9 का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये अर्थात्—

नियम बनाने की शक्ति

"9(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब

यह सत्र में हों, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल 30 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगें जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2-ग में शब्द "चाहे सार्वजनिक नीलाम द्वारा या वैयक्तिक बातचीत से" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक नीलाम द्वारा" रख दिये जायं।

और खंड 2-ग में शब्द "एक बार में 5 वर्ष से अनधिक" के स्थान पर "एक बार में 3 वर्ष से अनधिक" रख दिये जायं।

मान्यवर, हमारे ये दोनों संशोधन मानने लायक हैं। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने भाव व्यक्त किये। यादव जी बड़े चालाक हैं लेकिन उनकी पोल पुराने सोशलिस्ट और नए कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रभुनारायण सिंह जी ने खोल दी यह कह कर कि यह तो संसाधन जुटाने के लिए है क्योंकि घाटे का बजट है और पैसा चाहिये।

सच बात यह है कि इनकी मंशा यह है कि टैक्स लगा कर सरकार के खजाने में पैसा इकट्ठा किया जाय। इनको छूट दे दी जाय कि ये कसाई खाना खोल दें और गरीबों को वहां कटाया जाय और पैसा वसूल किया जाय। 7 करोड़ सेल्स टैक्स, 15 करोड़ शराब का टैक्स और दूसरे टैक्स हैं। अब इसको लगाकर आप क्या चाहते हैं? ठेंकेदारी की प्रथा वैयक्तिक बातचीत से अच्छी है। इस बहुगुणा सरकार ने मान्यवर, सारी मर्यादाओं को समाप्त कर दिया गया है। इलाहाबाद के म्योर हाल केश दे दिया और उदाहरण दूं तो बात बढ़ जायगी। उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री के पद पर बैठकर मुख्य मंत्री जी ने सारी मर्यादाओं को नष्ट कर दिया है। वैयक्तिक बातचीत से क्या होगा? उससे अच्छी व्यवस्था तो ठेकेदारी की है। मैंने बहुत से मुख्य मंत्रियों को देखा है लेकिन बहुगुणा जी जैसा मुख्य मंत्री नहीं देखा।

दूसरी बात 3 साल के बारे में है। अगर आप ने कहीं 5 साल के लिये दिया तो बीच में अगर शिकायत होती है तो फिर उसको हटा नहीं पायेंगे।

अतः मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को मान लें।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, यह बातें माननीय सदस्य ने पहले कही थीं और मैंने जवाब बता दिया था। मैं समझता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस नहीं लेता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2-ग में शब्द "चाहे सार्वजनिक नीलाम द्वारा या वैयक्तिक बात चीत से" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक नीलाम द्वारा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2–ग में शब्द "एक बार में 5 वर्ष से अनधिक" के स्थान पर "एक बार में 3 वर्ष से अनधिक" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3 और खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, मैं आपकी की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974†।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण)विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, यह अत्यन्त महत्व का विधेयक है । लेकिन इस में जो सिद्धान्त निहित हैं, वे ऐसे हैं कि जिनको इस सदन ने सदैव प्रतिपादित किया है और मुझे विश्वास है कि यह सदन इस विधेयक को एक मत से स्वीकार करेगा । आप जानते हैं कि सदन में भाषण की स्वतंत्रता है और नियमों के अनुसार तथा आपकी रूलिंग्स के अन्तर्गत यहां पर बिचारों की स्वतंत्रता अभिव्यक्त है लेकिन वही भाषण अगर समाचार-पत्रों में छप जाय तो उन पर न्यायालय में कार्यवाही हो सकती है । वर्षों से यहां पर जो विधान वेत्ता हैं , समाचार पत्रों में कार्य करने वाले पत्रकार हैं, जो नागरिकता के आधारों के सम्बन्ध में जागरुक लोग हैं उनकी यह मांग रही है कि यहां भी इस विशेषाधिकार को लागू किया जाय और प्रेस को यह अधिकार दिये जांय कि इमानदारी से सही कार्यवाही वह छापते हैं तो अदालत में मुकदमा नही चलेगा मान हानि का । धारा 499 में लिखा हुआ है –

"It is not defamation to publish a substantially true report of the proceedings of a court of justice or any such proceedings."

यह पैनल कोड है जहां सामान्य कोर्ट्स हैं उन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष--

लोक सभा ने इसे पास किया है ।

---

†19 जून, 1974 की कार्यवाही में छपा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

लेकिन यहां ऐसा कोई प्राविधान नहीं था। इंग्लैन्ड में जो प्रिविलेजेज हैं वही हमारी इस विधान सभा के सदस्यों के हैं। वहां 1868 में चीफ जस्टिस काकबर्न ने वासन वसज वाल्टर केस में यह रूलिंग दी थी कि कामन ला के आधार पर प्रेस में मान हानि नहीं होती अगर प्रेस कोई सही रिपोर्ट छापता है तो। स्वर्गीय फिरोज गांधी, एम0 पी0 ने सन 1956 में लोक सभा में एक प्राइवेट बिल के जरिये यह अधिकार लिया था और संसद ने उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। वह है पार्लियामेन्ट्री प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन आफ पब्लिकेशन ऐक्ट, 1956। उस समय यह इच्छा संसद की थी कि राज्यों के विधान मंडलों को भी यही अधिकार दे दिये जांय लेकिन बाद को यह तय हुआ कि राज्य विधान मंडल अपने यहां अलग से कानून पेश करें। 54 के प्रेस कमीशन नें सर्वसम्मत होकर यह प्रस्ताव स्वीकार किया। बहुत दिनों से यह प्रस्ताव बिचाराधीन था। अब हमने इस विधेयक के जरिये और यह जो इंडियन पेनल कोड की धारा दूसरी कोर्ट्स के लिये थीं कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रेस को दी है उसे ऐक्ट के रूप मे लाना चाहते हैं। गुजरात, जम्मू-काश्मीर तथा उड़ीसा में ऐसा कानून बन चुका है। मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट 7 दिन में प्रस्तुत कर दे। इसमें शक नहीं यह विधेयक महत्वपूर्ण है और इसका मैं स्वागत करता हूं।

एक सदस्य---

जब स्वागत कर रहे हैं तो वापस ले लीजिये और इसे पास कीजिये।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

जहां प्रवर समिति का नाम आता है माननीय सदस्यों के हार्ट फेल होने लगते हैं।

श्री अवधेश कुमार---

धैर्य पूर्वक सुनिये। पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। हम सभी बन्धु जो यहां चुनकर प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। यहां प्रशासन की गलत नीतियों के ऊपर तथा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार व्यक्त करते हैं। हम लोगों को यह सुरक्षा प्राप्त है कि हम लोग जो यहां कहें उसके बारे में [*** कुछ कहें]।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का अंग नहीं है। माननीय सदस्य बिना अनुमति के सब कुछ बोलना चाहते हैं। अनुमति लेना उनके लिये कष्टप्रद होता है। सभी लोगों को समय दिया जा रहा है बोलने का . . . (माननीय सदस्य के पुनः खड़े होने पर) आप फिर दूसरी गलती कर रहे हैं कि बोलने के लिये खड़े हो गये। आपको प्रारम्भिक संसदीय परम्परा का ज्ञान होना चाहिए . . . . . (व्यवधान)। आप आसन ग्रहण करें। आपको बिना अनुमति के खड़े होकर नहीं बोलना चाहिये। आपको सदन की कार्यवाही की पद्धति की जानकारी नहीं है। आपको प्रक्रिया नियमावली और करण का पालन करना चाहिए। पहले प्रारम्भिक बातें जानने की कोशिश करें।

[* * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अवधेश कुमार--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जो कुछ बात हम लोग यहां पर कहते हैं उस सब को जनता तक पहुंचाने के लिये पत्रकार बन्धुओं की जिम्मेदारी होती है कि वे अवाध्य रूप से उसको पूरा करें। इसके लिये आवश्यक है कि उन्हें इस बात की सुरक्षा मिलनी चाहिये जिस प्रकार हम लोगों को यहां सुरक्षा मिलती है। इसके लिये आवश्यक है कि हम इसके इतिहास को देखें। मान्यवर, इंडियन पेनल कोड की धारा 499 की ओर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि:--

"Whoever by Words either spoken or intended to be read or by sign or by visible representations makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person, is said, except in the case hereinafter excepted to defame that person."

इसमें श्रीमन्, आप देखेंगे कि 'मेक्स' और 'पब्लिश' दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो हम लोग कहते हैं वह प्रोटेक्टेड है और जो पब्लिशर छापता है वह प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे माननीय मंत्री महोदय ने बताया पहले इंग्लैंड में.....

श्री अध्यक्ष--

यह क्यों 7 दिन के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इस विषय में आप बोलें। समय का भी ध्यान रखें।

श्री अवधेश कुमार--

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। 1840 में एक ऐक्ट इंग्लैंड में भी पास हुआ था वह था पार्लियामेंटरी पेपर्स ऐक्ट, 1840। इस ऐक्ट का उद्देश्य यह था कि :--

To give summery protection to persons employed in the Publication of Parliamentary Papers.

यह ऐक्ट उस समय पास हुआ और उसके बाद इंग्लैंड के एक केस में जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अभी किया है में यह निर्णय दिया गया कि :--

"A faithful report in a public newspaper of a debate in either house of Parliament containing matter disparaging to the character of an individual which had been spoken in course of the debate is not actionable at the suit of the person whose character has been called in question."

अब श्रीमन्, यह देखेंगे कि इसके पश्चात् भारतवर्ष में इसकी आवश्यकता अनुभव हुई कि इन पत्रकारों को यह प्रोटेक्शन दिया जाए। इसलिये सन् 1956 में यह पार्लियामेन्टरी प्रोसीडिंग्स (प्रोटेक्शन आफ पब्लिकेशन) ऐक्ट, 1956, विधेयक पारित हुआ। यह जो वर्तमान विधेयक है, उसकी धाराओं को पढ़ने से स्पष्ट होगा कि यह जो सेन्ट्रल ऐक्ट है उसी की धाराओं का अनुवाद करके यहां इसे रख दिया गया है। उसमें केवल एक पांचवीं धारा को और जोड़ दिया गया है। इस सम्बन्ध में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस आया था---डाक्टर सुरेश चन्द्र बनर्जी ऐण्ड अदर्स वरसेज पुनीत गोला। इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह होल्ड किया था कि यह जो भारतवर्ष में अपनी 499 आई०पी०सी० की धारा है, इसके अन्तर्गत जो पब्लिशर्स हैं वे एक्जेम्पटेड नहीं हैं। इसके लिये आवश्यक है कि चूंकि इसके अन्तर्गत उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उनके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिये। तो पार्लियामेंट ने यह ऐक्ट पास किया और 1956 के बाद से इतने दिनों बाद यहां ऐक्ट आ रहा है। इस बीच बहुत सी नई

परिस्थितियां पैदा हो गई है, जिसमें पत्रकार बन्धुओं को अन्य मामलों में भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। मैं इस संबंध में गोखरपुर की एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां 'बिस्मिल' अखबार के दफ्तर पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया था और इसका मुकदमा दर्ज किया गया, किन्तु फिर उस मुकदमे को प्रान्तीय सरकार द्वारा उठा भी लिया गया। मैं निवेदन करूंगा ....

श्री अध्यक्ष—

यह सब संगत इससे कैसे है। जो आप तर्क दे रहे हैं, वह तो इसके खिलाफ जा रहे हैं। मतलब आपका यह है कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए, और अभी आपने कहा कि तत्काल पास किया जाये। जो कानून है, उससे जो संरक्षण सबके पास है, वह तो है ही।

श्री अवधेश कुमार—

मैं वही कह रहा हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। इस पर और अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अतः इसको 7 दिन के लिए प्रवर समिति के पास भेजा जाए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर पुनः विचार किया जाए। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करें।

श्री त्रिवेणी सहाय —

मैं श्री अवधेश जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उसके पीछे मेरा आरगूमेंट यह है कि इसी प्रकार का विधेयक लोकसभा में फीरोज गांधी ने प्रस्तुत किया था और वह असरकारी विधेयक था। सरकार ने उसे मान लिया था। वह विधेयक भी लोकसभा में डिस्कशन के बाद सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था। किन कारणों से भेजा गया, वह भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक कारण यह है कि जैसे यह विधेयक आया है कि पत्रकार, जो सदन में कार्यवाही होती है, वह कार्यवाही यदि वह ठीक से, सही रूप में छापें और उस हालत में यदि उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाए, तो उससे उनको बचाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं इसका आदर करता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश विधान सभा में आज तक यह विधेयक नहीं लाया जा सका। सरकार का ध्यान कब गया, सरकार का ध्यान उस समय गया जब सदन की कार्यवाही के कारण बाहर किसी माननीय सदस्य को परेशानी हुई। मुझे एक केस मालूम है। अखबार में एक सदस्य का भाषण छपा और उस पर सूट दाखिल हो गया। तब आपका ध्यान यहां पर गया। इस विधेयक को लाने के पहले क्या विचार किया गया कि क्या हम उन पत्रकारों को बचा सकते हैं जिन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। क्या इसको रिट्रास्पैक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं जिससे मुकदमें समाप्त हो जायं? इस पहलू पर आपने विचार नहीं किया और भी पहलू है। संविधान के आर्टिकल 194(2) और (3) में हमको और पार्लियामेंट को अधिकार दिये गये हैं। इसलिए हमें सदन की कार्यवाही में पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय विषय है। सदन में माननीय सदस्य जो कार्यवाही करते हैं उसे छापने के लिये आप पत्रकारों को रोक सकते हैं। अगर आप इस बात के हिमायती हैं कि पत्रकार स्वच्छन्द रूप से कार्य करे, और माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अगर कोई माननीय सदस्य वाक आउट करें उसको छपने से रोक सकते हैं ....

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही क्या है? कार्यवाही यहां चल रही है, दो माननीय सदस्य अलग जो बात करते हैं वह कार्यवाही नहीं हुई?

श्री त्रिवेणी सहाय—

जो वाक आउट किया वह जायज था। प्रदेश की गम्भीर समस्या ....

श्री अध्यक्ष--

उसके लिए नियमों में प्रावधान है । अध्यक्ष का निर्णय के विरुद्ध 'वाक आउट' सदन का अपमान है । अध्यक्ष की आज्ञा से जो कार्यवाही चलायी जायगी उसी की रिपोर्टिंग होगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं उसको छोड़ दे रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि पत्रकारों के ऊपर सोर्ड आफ डेमोक्लिस लटका दिया । 499 में डिफेमेशन सूट का प्राविजन है । जब कोई माननीय सदस्य सदन में बोले और उसको तोड़ मरोड़ कर कोई छाप दे तो उस पर मकदमा हो जाता है । उस में भी संशोधन लाने के प्रयास किये गये । यहां तक कि आल इंडिया वार्किंग जनरलिस्ट्स और एडिटर्स कान्फ्रेंस में यह मांग की गयी कि पत्रकारों को इस बात की स्वाधीनता दी जाय कि माननीय सदन में जो जो कार्यवाही होती है उसको सही-सही छापने का अधिकार मिले । इसके ऊपर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमीशन नियुक्त किया, उसकी भी रिपोर्ट आयी । इस विधेयक को आज यहां ला कर अच्छा काम किया है ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

फिर विरोध क्यों हो रहा है ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय नारायणदत्त जी तिवारी आज तक जितने बिल लाये बहुत सीधे, बहुत मीठे । आज बहुत महत्वपूर्ण बिल आ गया है । इसके लिए तो देर तक बैठेंगे । बैठिए, दिल थाम कर बैठिए । आज तक जितने प्रवर समिति के प्रस्ताव किये हैं उनको आपने रिजेक्ट कर दिया । लेकिन आज इसको आप मानिये । इसलिये मानिये कि जो पत्रकार यहां बैठे हुए हैं, उनको स्वतंत्रता देने का सवाल है कि क्या और सुविधायें उनको दी जायें । आई0पी0सी0 की धारा 499 बहुत महत्वपूर्ण है । उसने न्यायालय की प्रोसीडिंग्स को एक्जेम्प्ट कर रखा है । प्रेस जो मन में आये छाप सकता है उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा । हमारा इतना ही कहना है कि माननीय सदन भी न्यायालय है । यहां जो प्रोसीडिंग्स होती है वह न्यायालय की तरह से ही होती हैं । जो इसकी कार्यवाही हो वह इम्यून होनी चाहिये । लेकिन उनकी समझ में यह बात नहीं आयेगी और किस तरह से उनको समझायें क्योंकि उनके ऊपर तो भूत सवार है कि जल्द से जल्द विधेयक पास कर लिया जाय । इसलिये प्रवर समिति के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आज 1974 में यह बिल माननीय तिवारी जी लेकर आये हैं । आज 33 मुकदमें पत्रकारों के ऊपर चल रहे हैं । उन्होंने सदन की कार्यवाही छाप कर जनता को आगाह किया था कि हम सदन में अपने विचार क्या रखते हैं । जाहिर है कि उन्होंने हिम्मत के साथ जनता को आगाह किया था । इस बिल को आज लाकर तिवारी जी समझते हैं कि सैद्धांतिक बात मना रहे हैं जिससे जम्हूरियत आगे बढ़ेगी । मैं एक शेर रखता हूं: --

"कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा,
हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना ।"

मैं जनसंघ को मुबारकबाद पेश करता हूं जो 6 अप्रैल, 1956 से आज तक 20 जून, 1974 को उन्होंने 180 डिग्री का टर्न लिया है । मैं श्री यू0 एन0 त्रिवेदी की तकरीर पेश करता हूं जो उन्होंने लोक सभा में की थी, इस प्रकार है कि--

"I oppose this bill with all the emphasis at my command."

उस समय उनका नजरिया था कि सदन में बहस होने के बाद जनता तक नहीं पहुंचना चाहिये क्योंकि कुछ लोगों की तौहीन होगी । उन लोगों की इज्जत की ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिये । तब शायद जनसंघ डिक्टेटरशिप के ज्यादा करीब था और 56 से 74 तक उसने इसकी मर्यादा को समझा है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

18 साल के बाद आप कितना बढ़े हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मैं गुजारिश कर रहा था कि यह सिद्धांत का सवाल है और इस सदन में इस बिल पर विचार करें । हम पत्रकारों पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं । इस सदन में एयर कंडीशनिंग का इंतजाम है लेकिन इसके बावजूद गर्मी पैदा हो जाती है तो वह पत्रकारों की वजह से होती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बात जनता तक वही पहुंचाते हैं । इसलिये उनको संरक्षण देना चाहिये । जाहिर है कि पत्रकारों के जरिये आप उसको पहुंचाना चाहते हैं । लेकिन पत्रकारों के प्रिविलजेज होंगे । इसको आप सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार की सीमाओं के आधार पर निर्धारित नहीं करते हैं ! यह जुल्म है, जब जब यह सवाल उठा है कि सदन के विशषाधिकार क्या ह और सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं और उनमें जब टकराव होता है तब हम तानाशाहों की तरह सोचने लगते हैं ।

इस सदन के एक माननीय सदस्य केशव सिंह थे वह सोशलिस्ट पार्टी के थे । उनके मुकदमें में बुनियादी सवाल इसी सदन में उठा था । श्री एम0एस0एम0 शर्मा पटना के एक पत्रकार थे । बिहार विधान सभा में जो कार्यवाही हुई उसे अध्यक्ष ने कहा कि उस कार्यवाही को निकाल दिया जाये । अध्यक्ष के इस निर्देश के बावजूद भी श्री शर्मा ने उस कार्यवाही को अखबार में निकाल दिया इसलिये उनके ऊपर ब्रीच आफ प्रिविलेज का केस चला । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर श्री शर्मा को यह मालूम होता कि उनको इस बात के लिए सजा मिलेगी तो वह उसे न छापते । उस मुकदमे में यह निर्धारित कर दिया गया कि सदन को अधिकार तानाशाहों का मिल गया । जनता को स्वतंत्र भाषण के लिये मौलिक अधिकार मिला है संविधान की धारा 19 में । उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है । लेकिन जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो कहते हैं कि यह सदन चाहे जिस बात पर प्रतिबन्ध लगा दे । आज इस तरह की बात चल रही है ।

आज हम इस सदन में जो बात करते हैं उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता । उसके बारे में कोई उल्लेख अखबारो में छप नहीं सकता है । केशव सिंह के साथी आज यहां विशेषाधिकार का प्रश्न लाते हैं । उसकी टिप्पणी किसी किताब में छाप दी जाती है । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1974 में केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व में एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी जनता की समस्याओं को हल कर सकेगी । अगर यह नहीं होता तो पिछले 6 सप्ताहों में कई देश हैं जिनकी सरकारें बदलीं केवल लक्ष्यवर्ग की नहीं बदली और फ्रांस की सरकार बदली इसलिए कि वह जनता की समस्याओं को हल नहीं कर सकीं । सदन में क्या नहीं कहा जायेगा क्या निक्सन के बारे में नहीं कहा जायेगा, क्या इलाहाबाद के कमिश्नर के बारे में नहीं कहा जायेगा । क्या मेरे बारे में नहीं कहा जायेगा । क्या वे यह सवाल नहीं पूछेंगे कि आप कैसे वकील हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको समझा दिया । बार बार आप उसी चीज को उठा रहे हैं । तब मुझे तरस आता है । मैं आपको बताता हूं । तो मैंने कहा कि कोई सरकार इसको नहीं करेगी । किसी जज के खिलाफ कहने की हिम्मत नहीं होती है और यहां कहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

मैं जजों से क्या कहता हूं यह आप जजों से पूछियें पर आप से मुझे जरूर डर लगता है क्योंकि मैंने शेरनी का दूध नहीं पिया है । लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें कड़ुवी बात कहनी पड़ती है और हम जनतंत्र की रक्षा चाहते हैं तो क्या यह बात अधूरी नहीं रहेगी ? अगर वह बात उसी सूरत से जनता तक नहीं पहुंचेगी तो उसका खंडन करने का मौका उस आदमी को भी होगा जिसके विरुद्ध वह बात कही गई । वह आपको पत्र लिखकर कह सकता है । आपको याद होगा कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट का गठन हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि हमारी कार्यवाही छापने पर रोक लगी रहेगी, कोई उसे छापेगा नहीं । 1834 में हाउस आफ कामन्स की कार्यवाही को हैन्सर्ड ने छापा तो हैन्सर्ड के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमें में डिक्री हो गई । डिक्री की वसूली हुई तो सदन को बहुत गुस्सा आया और सदन ने उसके वकील के खिलाफ और उस डिक्री वसूल करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की और उसे जेलखाने भेज दिया । आज 33 मुकदमें इस प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ चल रहे हैं । उसके बावजूद इस सदन में एक मर्तबा भी नेता सदन ने यह हिम्मत नहीं की कि सदन की मर्यादा को बचाने के लिए जिन लोगों ने उन मुकदमों को चलाया है उन लोगों के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज ला कर सजा देते ।

श्री अध्यक्ष---

किस कानून के खिलाफ उनको बुला कर सजा दिलायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

मान्यवर, यह साफ कहा गया है कि एक मुकदमें में कार्यवाही छापने के बारे में सजा दी गई थी । मान्यवर, उन पर मुकदमा चला कर उनसे डैमेज वसूल किया गया था । अगर इस सदन की कार्यवाही सदन के बिना आदेश के छापते हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और उसको सजा दिलायी जा सकती है । मैं नहीं चाहता हूं कि सजा किसी को कराई जाय लेकिन शिकायत हमको इस बात की है कि माननीय तिवारी जी ने अगर उस पार्लियामेंट ऐक्ट को पढ़ लिया होता जो 1840 में बना तो वह देख लेते कि उसमें क्या कहा गया था कि:

"Whereas it is essential to the due and effectual exercise and discharge of the functions and duties of parliament, and to the promotion of wise legislation, that no obstructions or impediments should exist to the publication of such of the reports, papers, votes or proceedings of either house of parliament as such house of parliament may deem fit or necessary to be published; and whereas obstructions or impediments to such publications have arisen, and hereafter may arise, by means of civil or criminal proceedings being taken against persons employed by or acting under the authority of the houses of parliament, or one of them, in the publication of such reports, papers, votes, or proceedings (*k*); by reason and for remedy whereof it is expedient that more speedy protection should be afforded to all persons acting under the authority aforesaid, and that all such civil or criminal proceedings should be summarily put an end to and determined in manner hereinbefore mentioned;

(*k*) It had been held before this Act, in the great case of Stoclalale *v.* Hansard."

और जितने पेंडिंग केसेज हैं, क्रिमिनल और सिबिल कोर्ट्स में, उनमें कार्यवाही रोक दी जायगी और जब अध्यक्ष महोदय का सर्टीफिकेट मिल जायगा तो वह कार्यवाही समाप्त कर दी जायगी । आप इससे संरक्षण नहीं दे रहे हैं । आप विधान मंडल के अधिकारों को डिफाइन करने को तैयार नहीं हैं । आप प्रेस की जिम्मेदारियों को मानते हैं लेकिन उन्हें मानने के लिये अपने अधिकारों पर सीमा लगाने के लिये तैयार नहीं हैं । आपको इस बिल के सिद्धांतों के पालन के लिये एक और दूसरा बिल लाना चाहिये और हमें अपने विशेषाधिकारों को कोडिफाई करना चाहिये । प्रेस को छापने के लिए फ्रीडम होनी चाहिये ताकि वे जनता में विश्वास पैदा कर सकें और हर नागरिक को और खास कर अखबारों के प्रतिनिधियों को फ्रीडम आफ स्पीच का अधिकार होना चाहिये । ताकि जो मुकदमों में फंसे हुए हैं, वे छूट जायं । करंजिया को सजा देने का इतिहास है, यह हमारे लिए एक शर्मनाक इतिहास है । इस सदन की कार्यवाहियों को अगर कोई छपवाता है या उसका क्रिटिसिज्म करता है और हम उनको सजा देते हैं तो उससे हम जनवादी परम्पराओं को आगे नहीं बढ़ाते हैं । इस बिल में ऐसे परिवर्तन होने चाहिये कि जो मुकदमें चल रहे हैं, वे फौरन खत्म हों और सदन के विशेषाधिकारों को कोडिफाई किया जाय ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली में पत्रकारों को इस बात की सुरक्षा होना चाहिये कि वे बिना भय के किसी भी विधान मंडल की जो कार्यवाही हो, उसे समाचार पत्रों में छाप सकें लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय संसदीय मंत्री ने इस बिल को बेमन से पेश किया है । यही नहीं इस बिल में मुझे कुछ विरोधाभास भी मालूम पड़ता है क्योंकि विधान मंडल के अन्दर जो कार्यवाही होती है यदि उसकी सारतः सही रिपोर्ट समाचार-पत्र में प्रकाशित होती है तो जिस समाचार-पत्र में या जिस पत्रकार ने छपवाया है, उन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलना चाहिये।

इस बिल में दो बातें ऐसी हैं जिनमें विरोधाभास प्रतीत होता है । विधेयक की उपधारा 3 में यह दिया हुआ है कि किसी न्यायालय में, किन्हीं सिविल अथवा दांडिक कार्यवाहियों के लिए, तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि प्रकाशन विद्वेष से किया गया साबित न हो जाय और उपधारा (2) में यह दिया गया है कि "जिस का प्रकाशन लोक कल्याण के लिये नहीं है" ।

इसका मतलब यह है कि मैजिस्ट्रेट या अन्य एजेंसी इन दो अधिकारों से इस बात के विवेक पर आती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि सदन में जो कार्यवाही हुयी सारतः प्रकाशित हुयी है लेकिन अगर वे विद्वेष से या लोक कल्याण के लिये नहीं प्रकाशित किया गया है तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि इस ऐक्ट की मंशा पत्रकारों के हित में, जन अधिकारों के हित में और जनतंत्र की रक्षा में सारतः रिपोर्ट प्रकाशित करने पर मैजिस्ट्रेट को विवेक का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये । इसलिये उपधारा 3 में जहां पर "विद्वेष से" और "लोक कल्याण में" इन दोनों चीजों को इससे हटा देना चाहिये । सदन की कार्यवाही सारतः सही प्रकाशित भी की जायगी लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो पत्रकारों के प्रतिनिधियों पर मुकदमें चल सकते हैं । यदि सरकार चाहती है कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं, वे बिना भय के समाचार प्रकाशित करें तो इन दोनों चीजों को डिलीट कर दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं, मान्यवर, इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं । मैं इस में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है । मुझे इस बात का

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

खेद है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि 33 मुकदमें चल रहे हैं । अच्छा होता कि इस प्रकार बिल इसके बहुत पहले आया होता । अभी हमारे भाई साहब गर्ग जी ने त्रिवेदी जी का एक स्टेटमेंट पढ़ कर सुना दिया कि मैं इस बिल का अपोज करता हूं। मैंने पूरा संदर्भ उसका पढ़ा नहीं लेकिन एक स्मरण दिला दूं कि जिस विचारधारा के वे पोषक हैं वहां कोई नाटक भी नहीं लिख सकता अपने देश की आइडियोलाजी के विरुद्ध । आज वह शिकार और शिकारी को एक जगह एक साथ बैठाना चाहते हैं तो कुछ भी रख सकते हैं । मैं तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता का इतना जबरदस्त पोषक हूं कि मैं एक ही चीज अनुभव करता हूं कि मेरी हमेशा इच्छा रही है कि सारा काम छोड़ कर प्रेस में जाता और पत्रकारिता का काम करता । मेरे में वह योग्यता नहीं, लेकिन वह लालच मेरी इस उम्र तक चली आ रही है । मैं लोकतंत्र का प्रेमी हूं । मैं जानता हूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा विशिष्ट कार्य करना पड़ता है । उसकी स्वतंत्रता परमावश्यक है । लोकतंत्र के वे सजग प्रहरी हैं। आज भले ही अनेक कारणों से कैप्टिव हैं, कैदी की शक्ल में हैं । उन्हें चलने के लिये विज्ञापन चाहिये धन चाहिये, कागज चाहिये । कहीं सरकार दबोचती है तो कहीं धनवान दबोचता है । आज उनके विचारों की अभिव्यक्ति तक नहीं हो पाती ।

मैं तो यह भी कहता हूं कि हमारे जो राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक क्षेत्रों में गिरावट आई है, जो मानदंड नीचे गिरे हैं उसका कारण यह है कि इतनी स्वतंत्रता हमारे पत्रकार बंधुओं को और समाचार-पत्रों को नहीं होती कि उसका ये विश्लेषण करते उसकी आलोचना करते समाज के सामने ले आते और हमारा समाज शिक्षित होता-तब उसको निर्णय करने का अवसर मिलता और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होतीं । आज अगर लोकतंत्र को व्यक्ति मान लिया जाय तो उसके अन्दर वेदना है कि आज पत्रकार कैप्टिव हैं । इसलिये इस बिल को बहुत पहले लाया जाना चाहिये और उनकी स्वतंत्रता उनको मिलती चाहिये थी । यह बिल बहुत अच्छा है जिसमें लिखा हुआ है कि सारतः सही रिपोर्ट का प्रकाशन होना चाहिये । गर्ग साहब ने इंटरप्रिटेशन किया कि यह अधिनियम उन कार्यवाहियों के संबंध में भी लागू होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि पर किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन हों, यह रिस्ट्रास्पेक्टिव इफेक्ट के तौर पर है । इस माने में उन्होंने प्रयास किया है नेकनीयती से कि जब यह विधेयक पास हो जायगा तो कोई पेंडिंग जो केस होगा उसे समाप्त हो जाना चाहिये । अगर इसमें कोई खामी है तो हमारे विधि-विशेषज्ञ बैठे हैं वह उसे पूरा कर लें । अभी हमारी तरफ से जो यह संशोधन लाया गया कि यह संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय तो वह नेकनीयती से उनके अधिकारों को और बढ़ाने की नीयत से लाया गया, न कि इस बिल में डिले करने की नीयत से । तिवारी जी कहेंगे तो हमारे माननीय सदस्य विचार करेंगे, लेकिन पुनः आपसे कहता हूं · · · (व्यवधान) मैंने कहा कि मेरा बोलने का विचार नहीं था, लेकिन अपने दल का अगुवा होने के नाते और प्रेस बन्धुओं के प्रति अपनी पूर्ण सहानुभूति होने के नाते मैंने यह कहना प्रारम्भ किया और विचार व्यक्त किये । जनसंघ पर भी दो-चार शब्द कहे गये, इसलिये मेरा कहना आवश्यक हो गया ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि इस बिल में सचमुच अगर कोई खामी रह गयी हो तो मैंने तो इसको ठिकाने से पढ़ा नहीं है, उसको वह पूरा करें तब पास करें तब तो अच्छा होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मुझे खेद है कि सम्मानित सदस्य श्री अवधेश कुमार जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं । यह उनका प्रथम भाषण था, उनकी मेडन स्पीच थी, वह तैयार होकर आये, मैं उन्हें बधाई देता हूं लेकिन उन्होंने जिस केस का हवाला

दिया हम तो उस केस से आगे बढ़ रहे हैं । उनका कहना यह था कि प्रवर समिति में इसलिये भेजा जाय कि जो मैंने हवाला दिया था शुरू में वासन वर्सेज वाल्टर का जिसमें जस्टिस काकबर्न का फैसला है उसको सही माने में लागू नहीं किया जा रहा है। जो हाउस आफ कामन्स की पद्धति है उसमें मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के 18 वें एडीशन के पेज 79 का हवाला देता हूं :—

"Pblisher of report of parliamentary debate is protected if the whole debate is published. There is a distinction between the absolute privilege of Members speaking in the House, or in any committee of the House, and the qualified privilege of a publisher reporting words spoken; in the latter case publication of parliamentary proceedings Parliament, but on the analogy of the publication of proceedings in courts of justice.

The judgement in Wason v. Walter in 1868 was made on the principle that the publication of the proceedings both of courts of justices and of Parliament are protected by privilege on the same ground — "that the occasional inconvenience to individuals arising from it must yield to the general good." A fair and faithful report of the whole debate would therefore not be actionable.

The judgement further indicated why the publication of a single speech from a debate would not be privileged—"It is to be observed that the analogy between the case of reports of proceedings of courts of justice and those of proceedings in Parliament being complete, all the limitations placed on the one to prevent injustice to individuals will necessarily attach on the other ; a garbled or partial report, or of detached parts of proceedings, published with intent to injure individuals, will equally be disentitled to protection."

अब हमने यह नहीं कहा कि होल डिबेट छपनी जरूरी है । हमने तो सारतः सही रिपोर्ट, जैसा कि सम्मानित जनसंघ दल के नेता ने उल्लेख किया, सब्सटैन्शली ट्रू रिपोर्ट कहा है। हम यह आशा नहीं कर सकते कि हर सदस्य का पूरा पूरा भाषण छपे। यह कोई अधिकार हमारा नहीं है। यह समाचार-पत्रों का अपना काम है कि वे किस भाषण को छापते हैं, कितना छापते हैं, कभी एक नाम ही छाप सकते हैं। जो हम समझते हैं कि महत्व का है, छपना चाहिये वह छपा हुआ नहीं मिलता । लेकिन जो छपता है वह सारतः सही है उसी को हमने इस विधेयक में स्थान दिया है। जो हाउस आफ कामन्स में वासन वर्सेज वाल्टर का केस है उससे यह एक कदम आगे है और जैसा कि माननीय कृष्ण सहाय जी ने कहा, पार्लियामेंट में जो कानून बना वैसा ही है। माननीय सदस्य गोंडा ने कहा कि यह सेलेक्ट कमेटी में इसलिये भेजा जाय क्योंकि पार्लियामेंट में गया था । तो वहां तो इसलिये गया था कि वह एक प्राइवेट मेम्बर का बिल था, सम्मानित फीरोज खां गांधी ने अपनी ओर से उसे पेश किया था और उसमें यह भी प्राविधान था कि पार्लियामेंट और विधान मंडल, दोनों का एक ही कानून हो लेकिन बाद में तय हुआ कि विधान मंडल अपना अलग कानून बनायें । इसलिये इसको प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्य हरद्वार ने भी विस्तार के साथ कुछ और बातों की ओर ध्यान दिलाया, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि मेम्बर्स के विशेषाधिकार को कोडिफाई करने का विषय और जो प्रोसीडिंग्स बाहर छपती हैं, दोनो अलग-अलग हैं । सदन के प्रिविलेजेज अलग हैं और सदन के बाहर मेम्बर्स के प्रिविलेजेज अलग हैं । हम दोनों को

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मिला नहीं सकते । हम यह नहीं आशा करते हैं कि सदन के बाहर जो छपता है उसका कोडिफिकेशन इस बिल के मातहत हो । हमारे संविधान में फ्रीडम आफ स्पीच को तो अलग से लिख दिया है बाकी हाउस आफ कामन्स के समान ही हमारे अधिकार, दायित्व और प्रिविलेजेज हैं । अभी पार्लियामेंट ने भी यह कोशिश नहीं की है कि अलग से सदन के सदस्यों के प्रिविलेजेज का कानून बनाया जाय ।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग--

क्या कोई प्रिविलेजेज हाउस आफ कामन्स के ऐसे हैं जिनको आप अपने कानून से ज्यादा मानते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप मंत्री जी को सुन लें कृपया । उनको कानून नहीं बनाता है, वे तो हैं ही ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जब तक मान्यवर, हम अपने कानून नहीं बना देते तब तक जो वहां के प्रिविलेजेज हैं उनको हम भी मानते हैं । इसीलिये यह मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की सहायता हम यहां आये दिन लेते हैं । अगर माननीय सदस्य इसे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 18 वीं शताब्दी में, शुरू में, प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वे सदन के भाषणों को छापें । इसमें लिखा है ।

"Though the House resolved on this occasion that publication its proceedings with a high indignity and a notorious breach of privileges....."

तो धीरे धीरे, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गयीं, परम्परायें भी बदलती गयीं, उनका विस्तार होता गया, विचार भी बदलते गये । इन्होंने भी अपने विचारों को धीरे-धीरे बदला है । हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई केसेज अदालत में आ गये तो ऐसा करना पड़ा ।

यह मान्यवर, दूसरा प्रश्न है कि सामान्य नागरिकों के क्या प्रिविलेजेज हैं और हमारे क्या हैं । नागरिकों के जो प्रिविलेजेज हैं वे संविधान में डिफाइंड हैं । माननीय सदस्यों के प्रिविलेजेज को और नागरिकों के प्रिविलेजेज को मिक्सअप नहीं किया जा सकता । फिर जब हम सदन के अन्दर बैठते हैं तो हमारे प्रीविलेजेज दूसरे हैं, सदन के बाहर दूसरे हैं । क्या आप चाहते हैं या यह सदन चाहता है कि हम अपने प्रिविलेजेज को कोडीफाई करें । मेरा ख्याल है कि अभी वह स्थिति नहीं आयी है । जब आयेगी तो यह सदन उस पर विचार करेगा ।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग--

केशव सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कृपया उसे देख लें । हमारे विशेषाधिकार फंडामेंटल राइट्स के मातहत हैं । नागरिकों के मौलिक अधिकार अलग हैं, पत्रकारों के अलग हैं, और सदन के अधिकार उनसे ऊपर हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आयी ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने यह नहीं कहा है कि सदन के अधिकार सबसे ऊपर हैं । मैंने कहा है कि हमारे प्रीविलेजेज सदन के अन्दर दूसरे हैं और सदन के बाहर दूसरे हैं ।

मान्यवर, मैं अब सदन से आग्रह करूंगा कि वह इस विधेयक को पास करे । माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लें तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष---

क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेते हैं ।

श्री अवधेश कुमार---

मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधयक, 1974

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन को संरक्षण देने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल की कार्यवाहियां) (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषा

2---इस अधिनियम में, "समाचार-पत्र" का तात्पर्य किसी ऐसी नियत-कालिक मुद्रित कृति से है जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचार पर टीका टिप्पणियां अन्तर्विष्ट हों ।

विधान मंडल की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन का विशेषाधिकृत होना

3---(1) उपधारा (2) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के किसी सदन की किन्हीं भी कार्यवाहियो की सारतः सही रिपोर्ट के किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन अथवा किसी समाचार-पत्र में प्रकाशन के हेतु, किसी समाचार एजेंसी द्वारा सामग्री के प्रदान के, संबंध में किसी न्यायालय में, किन्हीं सिविल अथवा दांडिक कार्यवाहियों के लिये, तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि प्रकाशन विद्वेष से किया गया साबित न हो जाय ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे विषय के प्रकाशन को संरक्षण प्रदान करती है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिये नहीं है ।

विधान मंडल की कार्य-वाहियों के बेतार टेली-ग्राफी द्वारा प्रसारण पर भी अधिनियम का लागू होना

4--यह अधिनियम किसी प्रसारण स्टेशन द्वारा व्यवस्थित किसी कार्य-क्रम अथवा सेवा के भाग के रूप में बेतार टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों अथवा सामग्रियों के संबंध में लागू होता है।

विचाराधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होना

5--यह अधिनियम उन कार्यवाहियों के संबंध में भी लागू होगा जो इस अधिनियम, के प्रारम्भ की तिथि पर किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन हों।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5 खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 56 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
20 जून, 1974 ।

नत्थ 'क'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 826 पर)

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2-8-73 को थाना मंगलपुर, जिला कानपुर पर इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि दिनांक 1/2-8-73 की रात में कुछ व्यक्तियों ने ग्राम जलिहापुर निवासी श्री सुधर सिंह यादव व रणजीत सिंह को मारपीट कर घायल किया जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की घर पहुंचते मृत्य हो गई तथा दूसरे घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया जिसकी भी बाद में अस्पताल में मृत्य हो गई। इस सूचना पर एक मुकदमा धारा 302/307 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना मंगलपुर पर कायम किया गया और विवेचना की गई।

पुलिस ने उक्त घटना के संबंध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसने उक्त घटना का एकबाल किया और उसमें शामिल अपने अन्य साथियों के नाम बतलाये। उस अभियुक्त का चालान किया गया तथा 3 फरार अभियुक्तों का चालान मफरुरी में किया गया।

---:---:---

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 828 पर)

पावर स्टेशन का नाम	यूनिट मेगावाट	पांचवी योजना अवधि में परिवर्तन (मेगावाट)
1	2	3
क--अधिनीत योजनायें जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना-काल मे फलित हो गी--		
हाइड्रो		
1--यमुना स्टेज--2		
(1) चिधरी	4×60	360
(2) खोदरी	4×30	
2--यमुना स्टेज--4 भाग--1 ..	3×10	30
3--रामगंगा	3×66	198
4--मनेरी माली भाग--1 ..	3×30	90
थर्मल		
1--ओबरा थर्मल एक्सटेन्शन स्टेज--1 ..	2×100	200
2--ओबरा थर्मल एक्सटेन्शन स्टेज--2 ..	3×200	600
3--पन्की थर्मल एक्सटेन्शन ..	2×110	220
4--हरदुआगंज स्टेज--5 ..	2×110	120
ख--वे नई योजनायें जो पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में ली जायंगी तथा पूरी भी होंगी--		
हाइड्रो		
1--मनेरी माली भाग--2 (प्रथम इकाई)	1×52	52
2--ऋषिकेश-हरिद्वार ..	3×36	108
थर्मल		
1--ओबरा थर्मल एक्सटेन्शन स्टेज--3 ..	2×200	400
2--हरदुआ गंज स्टेज--6 ..	2×55	110
3--गोरखपुर थर्मल	2×110	220
4--परिच्छा थर्मल .. .. (प्रथम इकाई)	1×200	200

1	2	3
ग—उपरोक्त के अतिरिक्त जिला बुलन्दशहर में नरोरा स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा परमाणु विद्युत् गृह	470 मे0 वा0	..
घ—उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित तापीय विद्युत् गृहों के बनाने की योजना है जिन पर अभी भारत सरकार की स्वीकृति होनी है और जिसके लिये प्राक्कलन या तो भेज दिये गये हैं या भेजे जायेंगे		
परीक्षा तापीय विद्युत् गृह योजना ..	400 मे0 वा0	..
पूर्वी उ0 प्र0 तापीय विद्युत् गृह योजना ..	400 मे0 वा0	..
सिंगरौली क्षेत्र के बृहत तापीय विद्युत् गृह की योजना	2000 मे0 वा0	..

नत्थी 'ग'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 847 पर)

जिला बहराइच के पिछड़े खण्डों के सर्वांगीण विकास हेतु अपनाई गई योजनाओं का ब्योरा

कृषि--

ये सभी विकास खण्ड तराई में स्थित हैं। जिले के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य की प्रति हेतु इस क्षेत्र में 14,000 हेक्टेयर परती तथा 7,642 हेक्टेयर बंजरभूमि को कृषि के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। हरिहरपुर रानी, नवाबगंज एवं मिहिपुरवा खण्डों में शिड्यूल्ड बैंक अथवा सहकारी बैंकों की शाखायें खोली गई हैं और 20,000 से अधिक कृषकों को विभिन्न कार्यों के लिये ऋण प्रदान किया जा चुका है।

सिंचाई--

प्रश्नगत क्षेत्र में 13,350 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें पक्के कुओं, बोरिंग, पम्पिंग सेट, रहट, निजी नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम सम्मिलित है।

पशुपालन--

इस क्षेत्र में 6-6 पशुपालन केन्द्र व पशु चिकित्सालय हैं तथा दो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी हैं जिनसे पशुओं का नस्ल सुधार होगा एवं दग्ध, अन्डा, मांस इत्यादि उपलब्ध होगा।

यातायात--

इस क्षेत्र में 12 नये पुल तथा 118 कि0 मी0 नई सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिनके बन जाने से यातायात में सुगमता होगी और समस्त क्षेत्र मोटर, बस द्वारा संबंधित हो जायगा।

विद्युत्--

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत विकास खण्ड ले लिये गये हैं तथा भिगा में 132 के0 बी0 शक्ति का एक सब-स्टेशन भी बनाने का प्रस्ताव है।

वन--

इस क्षेत्र के 8,900 हेक्टेयर में आर्थिक एवं औद्योगिक प्रजातियों का वृक्षारोपण कराने का प्रस्ताव है।

बाढ़ नियंत्रण--

इस क्षेत्र में ड्रेन बनवाकर जलमग्न भूमि का उद्धार करने का प्रस्ताव है। इस हेतु 22.4 लाख रु0 का परिव्यय जनपद के लिये प्रस्तावित है। खंडवार विभाजन होना शेष है।

उद्योग धन्धे--

विकास खण्ड मिहिपुरवा के गौरा-पिपरा नामक स्थान पर एक सल्फीटेटेड शुगर बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है जिसकी अचल पूंजी की लागत 3,62,000 रुपये होगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा 3,25,000 रु0 स्वीकृत किया गया है।

प्रश्नगत विकास खंडों में वन सम्पत्ति पर आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावनायें हैं व उन्हें स्थापित करवाने का प्रयास किया जायेगा।

शिक्षा--

इन विकास खंडों के शिक्षा के विकास हेतु 30 प्रारम्भिक पाठशालायें, 4 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 8 हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 848 पर)

वर्तमान मंत्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा मंत्रि परिषद् गठित होने की तिथि से अर्थात् 5 मार्च, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक की अवधि में हुए वास्तविक जेब खर्च का विवरण

क्रम संख्या	नाम तथा पद	दिनांक 5 मार्च, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक आहरित वास्तविक जेब खर्च	विवरण
		रु0	
1	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, मुख्य मंत्री ..	100.00	
2	श्री अजित प्रताप सिंह, वन मंत्री ..	177.00	
3	श्री इस्तफा हुसेन, लघु उद्योग मंत्री ..	50.00	
4	श्री नारायण दत्त तिवारी, वित्त मंत्री ..	360.00	
5	श्री बलदेव सिंह आर्य, सामुदायिक विकास मंत्री	108.00	
6	श्री महमूद अली खां, सिंचाई मंत्री ..	118.00	
7	श्री राज मंगल पांडेय, न्याय एवं परिवहन मंत्री	150.00	
8	डा0 रामजी लाल सहायक, शिक्षा मंत्री ..	261.00	
9	डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेई, खाद्य एवं रसद मंत्री	* ..	*सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग में अभी तक भत्ता विवरण प्राप्त नहीं हुये हैं।
10	श्री लक्ष्मी शंकर यादव, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री	173.00	
11	श्री स्वामी प्रसाद सिंह, राजस्व मंत्री ..	165.00	
12	श्री सालिग राम जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री	*	

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 851 पर)

राज्य सरकार के हेलीकाप्टर द्वारा फरवरी तथा मार्च, 74 में तिथिवार यात्रा करने का विवरण

फरवरी, 1974 के विवरण

तिथि	यात्रा करने वाले व्यक्ति	कहां से	कहां को	यात्रा का उद्देश्य
1	2	3	4	5
9-2-74	पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	लखनऊ	इलाहाबाद (नैनी)	सरकारी कार्य से
10-2-74	तदैव	नैनी	बमरौली	,,
,,	तदैव	बमरौली	नैनी	,,
,,	तदैव	नैनी	लखनऊ	,,
11-2-74	मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली	लखनऊ	बहराइच	,,
,,	तदैव	बहराइच	लखनऊ	,,
12-2-74	तदैव	लखनऊ	गोंडा	,,
,,	तदैव	गोंडा	बस्ती	,,
,,	तदैव	बस्ती	गोरखपुर	,,
13-2-74	तदैव	गोरखपुर	देवरिया	,,
,,	तदैव	देवरिया	बलिया	,,
,,	तदैव	बलिया	गोरखपुर	,,
14-2-74	तदैव	गोरखपुर	आजमगढ़	,,
,,	तदैव	आजमगढ़	जौनपुर	,,
,,	तदैव	जौनपुर	इलाहाबाद	,,
,,	तदैव	इलाहाबाद	लखनऊ	,,
15-2-74	तदैव	लखनऊ	कानपुर	,,
,,	तदैव	कानपुर	उरई	,,
,,	तदैव	उरई	मिरजापुर	,,
,,	तदैव	मिरजापुर	कानपुर	,,
16-2-74	तदैव	कानपुर	बांदा	,,
,,	तदैव	बांदा	उरई	,,
,,	फेरी फ्लाइंट	उरई	कानपुर	,,
,,	तदैव	कानपुर	लखनऊ	,,

तिथि	यात्रा करने वाले व्यक्ति	कहां से	कहां को	यात्रा का उद्देश्य
1	2	3	4	5
17-2-74	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	लखनऊ	बरेली	उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी द्वारा किराये पर लिया गया।
,,	तदैव	बरेली	पन्तनगर	,,
,,	तदैव	पन्तनगर	कोटाबाग	,,
,,	तदैव	कोटाबाग	स्यालदे	,,
,,	तदैव	स्यालदे	अलमोड़ा	,,
,,	मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश	अलमोड़ा	लोहाघाट	उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किराये पर लिया गया।
,,	तदैव	लोहाघाट	बागेश्वर	,,
,,	तदैव	बागेश्वर	जोशीमठ	,,
,,	तदैव	जोशीमठ	श्रीनगर	,,
,,	तदैव	श्रीनगर	पौड़ी	,,
18-2-74	तदैव	पौड़ी	गौचर	,,
,,	तदैव	गौचर	अगस्तमुनि	,,
,,	तदैव	अगस्त्य मुनि	देवप्रयाग	,,
,,	तदैव	देवप्रयाग	कोटद्वार	,,
,,	तदैव	कोटद्वार	कालागढ़	,,
,,	तदैव	कालागढ़	हरद्वार	,,
,,	तदैव	हरद्वार	डोइबाला	,,
,,	तदैव	डोइबाला	सहस्तीपुर	,,
,,	तदैव	सहस्तीपुर	सरसावा	,,
19-2-74	फेरी फ्लाइट	सरसावा	बरेली	,,
,,	तदैव	बरेली	लखनऊ	,,
,,	तदैव	लखनऊ	इलाहाबाद	,,
,,	रक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	इलाहाबाद	इमलिया	,,
,,	तदैव	इमलिया	वाराणसी	,,
,,	तदैव	वाराणसी	अहरोला	,,
,,	तदैव	अहरोला	गाजीपुर	,,
,,	तदैव	गाजीपुर	बलिया	,,

तिथि	यात्रा करने वाले व्यक्ति	कहां से	कहां को	यात्रा का उद्देश्य
1	2	3	4	5
19-2-74	रक्षा मंत्री, भारत सरकार नई दिल्ली	नवाबगंज	लखनऊ	उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमे ी द्वारा किराये पर लिया गया ।
20-2-74	तदैव	बलिया	बेलरिया	,,
,,	तदैव	बेलरिया	बरहाज	,,
,,	तदव	बरहाज	देवरिया	,,
,,	तदैव	देवरिया	आजमगढ़	,,
,,	तदव	आजमगढ़	मोहोमाबाद	,,
,,	तदैव	मोहोमाबाद	लालगंज	,,
,,	तदैव	लालगंज	मनकापुर	,,
,,	तदैव	मनकापुर	गोंडा	,,
21-2-74	तदैव	गोंडा	काडीपुर	,,
,,	तदव	काडीपुर	कुंडा	,,
,,	तदव	कुंडा	उमराव	,,
,,	तदैव	उमराव	लखनऊ	,,
,,	तदव	लखनऊ	शिवगढ़	,,
,,	तदैव	शिवगढ़	मौरावां	,,
,,	तदव	मौरावां	गजनर	,,
,,	तदैव	गजनेर	नवाबगंज	,,
22-2-74	तदैव	लखनऊ	कुरसी	,,
,,	तदैव	कुरसी	बलरामपुर	,,
,,	तदैव	बलरामपुर	सिदौली	,,
,,	तदैव	सिदौली	सन्डीला	,,
,,	तदैव	सन्डीला	पिसबान	,,
,,	तदव	पिसवान	फर्रुखाबाद	,,
,,	तदैव	फर्रुखाबाद	महोमाबाद	,,
,,	तदव	मोहोमाबाद	बिल्लौर	,,
,,	तदैव	बिल्लौर	लखनऊ	,,
24-2-74	फेरी फ्लाइट	लखनऊ	कानपुर	,,
,,	रक्षा उत्पादन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	कानपुर	आगरा	,,
,,	तदैव	आगरा	खुरजा	,,
,,	फेरी फ्लाइट	खुरजा	आगरा	,,

तिथि	यात्रा करने वाले व्यक्ति	कहां से	कहां को	यात्रा का उद्देश्य
1	2	3	4	5
25–2–74	तदैव	आगरा	नरोरा	,,
,,	तदैव	नरोरा	आगरा	,,
,,	रक्षा उत्पादन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	आगरा	कानपुर	,,
,,	फेरी फ्लाइंग	कानपुर	लखनऊ	,,

मार्च, 1974 के विवरण

5–3–74	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद, लखनऊ	लखनऊ	वाराणसी	सरकारी कार्य से
,,	तदैव	वाराणसी	ओबरा	,,
6–3–74	तदैव	ओबरा	रिहन्द	,,
,,	तदैव	रिहन्द	लोकल	,,
,,	तदैव	रिहन्द	वाराणसी	,,
,,	तदैव	वाराणसी	लखनऊ	,,
13–3–74	फेरी फ्लाइट	लखनऊ	कानपुर	,,
,,	रक्षा उत्पादन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली	कानपुर	इबरामपुर	,,
,,	तदैव	इबरामपुर	लालगंज	,,
,,	तदैव	लालगंज	इबरामपर	,,
,,	तदैव	इबरामपुर	लालगंज	,,
,,	तदैव	लालगंज	रायबरेली	,,
14–3–74	तदैव	रायबरेली	चकेरी	,,
,,	फेरी फ्लाइट	चकेरी	लखनऊ	,,
,,	तदैव	लखनऊ	लखनऊ (गोल्फ जी आर डी)	,,
,,	मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल, उत्तर प्रदेश	गोल्फ (जी आर डी)	सीतापुर	,,
,,	तदैव	सीतापुर	गोल्फ (जी आर डी)	
,,	फेरी फ्लाइट	गोल्फ (जी आर डी)	अमौसी (लखनऊ)	,,
15–3–74	तदैव	लखनऊ	गोल्फ (जी आर डी)	,,
,,	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	गोल्फ (जी आर डी)	बन्थरा	,,

तिथि	यात्रा करने वाले व्यक्ति	कहां से	कहाँ को	यात्रा का उद्देश्य
1	2	3	4	5
15-3-74	मुख्य मंत्री उ० प्र०	बन्थरा	बनी	सरकारी कार्य से
,,	तदैव	बनी	अमौसी	,,
18-3-74	परिवहन सचिव	लखनऊ	कानपुर	,,
,,	,,	कानपुर	लखनऊ	,,
27-3-74	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् लखनऊ ।	लखनऊ	वाराणसी	,,
,,	तदैव	वाराणसी	ओबरा	,,
,,	तदैव	ओबरा	सिंगरउ	,,
,,	तदैव	सिंगरउ	ओबरा	,,
,,	तदैव	ओबरा	वाराणसी	,,
28-3-74	तदैव	वाराणसी	लखनऊ	,,

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 76 वि० स०—1974—(1182)—835.